Rs. 25

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

फाल्गुनी

जनवरी 2010



SHALIMAR

RESTAURANT



Special Items

CHICKEN

- Murg Mumtaz
- Chicken Malaysia
- Jalwa Kabab
- Tiranga Kabab
- Seekh Kabab
- Multani Kaban

SEA FOOD

- Fish Tandoori
- King Prawns Tandoori
- Fish Angara

VEG

- Paneer Tikka



CHICKENS KABABS

- Chicken Tandoori
- Chicken Liver Takka
- Chicken Tikka
- Murg Kohinoor
- Reshmi Kabab
- Sholay Kabab
- Pahadi Kabab
- Khazana Kabab
- Chaurangi Kabab
- Sonali Kabab

Exclusively at : Shalimar Corner, Bhendi Bazar,Mumbai-400003
E-mail : info@shalimargroup.com, www.shalimargroup.com
Tel. : 23456630/34, Fax : 23456629

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

कान्ति

वर्ष 19 अंक 8 जनवरी 2010

● तुम्हारे पास प्रभु का स्पष्ट मार्गदर्शन आ गया है, अतः नाप और तौल पूरे करो, लोगों को उनकी चीज़ों में घाटा न दो और धरती में बिगाड़ पैदा न करो, जबकि उसका सुधार हो चुका है, इसी में तुम्हारी भलाई है ।

● अल्लाह ब्याज का मठ मार देता है और ख़ैरात (दान) को बढ़ाता है । –क़ुरआन

संपादक

डॉ० मुहम्मद अहमद

अपने विचार, लेख, रचनाएं भेजने एवं संपादकीय मामलों के लिए लिखें–
संपादक, 'कान्ति' मासिक
डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव
जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025
ई मेल editorkanti@yahoo.com

* * *

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए लिखें–
प्रबंधक, 'कान्ति' मासिक
डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव
जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025
फोन–(011)–26949430
ई मेल kantiweekly@yahoo.in

सहयोग राशि

एक प्रति रु० 15/- विशेषांक रु० 25/-
वार्षिक रु० 160/-
दो वर्ष 300/- पांच वर्ष 700/-
सऊदी अरब और खाड़ी के देशों से–60 रियाल
यूरोप व अमेरिका से–25 US डॉलर

बोट–चेक / ड्राफ्ट **'मासिक कान्ति'** के नाम से बनवाएं

इस्लामी बैंकिंग

इस्लामी बैंकिंग कोई नयी चीज़ नहीं है, लेकिन यह सच है कि हमारे देश में इसका परिचय एक तरह से नगण्य है । अत: इस आवश्यकता को किसी सीमा तक पूर्ण करने के लिए 'कान्ति' ने इसके परिचय के विभिन्न आयामों पर रोशनी डालने की इस विशेषांक में कोशिश की है । यहां यह प्रश्न सहज ही उठ खड़ा हो सकता है कि इस बैंकिंग को क्या वैकल्पिक रूप में अपनाया जा सकता है ? यदि इसको व्यापक रूप में अपनाया जाता है तो इससे मानवता को क्या-क्या फ़ायदा होगा ?

जहां तक पहले प्रश्न का संबंध है तो इस बैंकिंग प्रणाली की विशेषताओं को देखते हुए मानवता के हितार्थ इसे अवश्य अपनाना चाहिए । यह शोषणमुक्त प्रणाली है, जो दोनों पक्षों के हानि-लाभ पर आधारित है । इसमें ऐसा नहीं है कि किसी के धन पर कोई मालामाल होता जाए और जिसका मूलधन हो, वह निर्धारित कुछ रक़म पाये और यह निर्धारित रक़म (ब्याज) की मूल प्रवृत्ति ऐसी हो जो मानवता के लिए शोषक और विध्वंसक हो एवं यह ऐसे मार्ग को प्रशस्त करे, जो असमानता और ऊंच-नीच की खाई को बढ़ाए, अराजकता की स्थिति पैदा करे और अशांति लाए ।

कहने का तात्पर्य यह कि परिवार, समाज और आगे बढ़कर राज्य और देश के देश इसकी मार से बच न पाएं । आज विश्व की यही स्थिति है । बड़े-बड़े देश तक कंगाल हो चुके हैं । कई बैंक और संस्थाएं नाज़ुक दौर से गुज़र रही हैं । इस स्थिति में विकल्प के रूप में इस्लामी वित्तीय प्रणाली को अपनाना मानवता की सच्ची सेवा करना है । यह सुखद तथ्य है कि विश्व के कई देशों में इस्लामी बैंकिंग के विंडो/संस्थागत इकाइयां खोली जा रही हैं । कुछ मुस्लिम देशों में इस्लामी बैंकों का अस्तित्व और उनकी कार्यशैली इस प्रणाली की उपयोगिता को स्पष्ट करती है । 'कान्ति' ने इस्लामी बैंकिंग से देशवासियों को परिचय कराने का जो प्रयास किया है, वह कितना सफल है, अपने विचारों से हमें अवश्य अवगत कराने का कष्ट करें ।

■ **संपादक**

इस अंक में

इस्लामी बैंकिंग : एक अच्छा विकल्प (संपादकीय)		5
इस्लामिक वित्तीय प्रणाली का उदय	–दानिश रियाज़	7
इस्लामी वित्त व्यवस्था	–नरेन्द्र कुमार	9
सर्वकल्याणकारी बैंकिंग प्रणाली	–पूर्णिमा एस॰ त्रिपाठी	11
इस्लाम : आर्थिक न्याय का पक्षधर	–डॉ॰ फ़ज़्लुर्रहमान फ़रीदी	15
इस्लामी अर्थव्यवस्था : भारत के...	–डॉ॰ निजातुल्लाह सिद्दीक़ी	19
आधुनिक बैंकिंग	–मौलाना अबुल आला मौदूदी	25
इस्लामी बैंकिंग : एक परिचय	–डॉ॰ फ़रहत हुसैन	29
आदर्श बैंकिंग	–सग़ीर किरमानी	33
भारत में इस्लामी वित्त की व्यापक...	–मुशर्रफ़ अली	37
ब्याजरहित अर्थव्यवस्था से ही दुनिया...	–किशन पटनायक	41
जायज़ कारोबार के शेयर	–डॉ॰ मुहम्मद अहमद	43
पूंजीवाद का बढ़ता वर्चस्व...	–अंशुमाली रस्तोगी	45
इस्लामी अर्थव्यवस्था का यथार्थ (इंटरव्यू)	–एच॰ अब्दुर्रक़ीब	55
आर्थिक शोषण से मुक्ति का एकमात्र...	–संपादन प्रभाग	57
डॉ॰ फ़रीदी से इंटरव्यू	–मुहम्मद यूसुफ़ 'मुन्ना'	59
इस्लामी बैंकिंग के प्रति बढ़ता रुझान	–अमजद अब्बासी	61
इस्लामी बैंकिंग : बढ़ता कारोबार	–एस॰जी॰ हक़	65
इस्लामी बैंकिंग के संभावी उत्पाद	–संपादन प्रभाग	67
इस्लामी बैंकिंग की विशिष्टता	–मुहम्मद अरशद फ़ारूक़ी	69
पूस की रात (कहानी)	–मुंशी प्रेमचन्द	71
कैसे मिटे भुखमरी ?	–वंदना शिवा	75
वर्तमान वित्तीय संकट और इस्लामी...	–संपादन प्रभाग	77
इस्लामी बैंकिंग का उत्थान	–डॉ॰ मलिक राशिद फ़ैसल	79
अर्थजगत और हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰)	–डॉ॰ फ़रहत हुसैन	81
एस॰बी॰आई॰ की पहल	–संपादन प्रभाग	85
सट्टेबाज़ों से सावधान	–संपादन प्रभाग	87
केन्द्र सरकार की पहल	–संपादन प्रभाग	89
डॉ॰ रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट	–संपादन प्रभाग	90
इंडियन सेन्टर फॉर इस्लामिक फ़ाइनांस	–संपादन प्रभाग	92
वैकल्पिक बैंकिंग प्रणाली	–संपादन प्रभाग	93
लॉटरी : इस्लामी दृष्टिकोण	–संपादन प्रभाग	94

संपादकीय

इस्लामी बैंकिंग : एक अच्छा विकल्प

पूंजी का सही या ग़लत इस्तेमाल यह निश्चित करता है कि उसकी प्रभावोत्पादकता और परिणति क्या है ? इसके परिवार, समाज, राज्य और राष्ट्र पर किस प्रकार के प्रभाव पड़ेंगे ? स्पष्ट है कि यदि पूंजी का इस्तेमाल सही व अच्छे कार्यों में होगा तो इसके परिणाम अच्छे आएंगे, किन्तु इसके विपरीत यदि बुरे और मानवता विरोधी कार्यों में इसका इस्तेमाल होगा तो परिणाम भी बुरे आएंगे । अत: पूंजी दोषयुक्त नहीं होती, उसका इस्तेमाल उसकी शुद्धि-अशुद्धि, कल्याण-अकल्याण के रूप में परिणति होता है । कुछ प्राचीन और अर्वाचीन अर्थशास्त्रियों में इस बात पर सहमति पायी जाती है कि पूंजीवादी व्यवस्था अपने प्रारंभिक काल में पूंजी को इस तौर पर लगाती थी कि मानवता को लाभ पहुंचता था और इस कारण से भी विश्व की समग्र उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ । भौतिक उन्नति हुई, उत्पादन बढ़ा, यातायात और संचार के साधन पहले से काफ़ी बेहतर हुए । इससे बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय संसाधनों का इस्तेमाल हुआ और प्राय: कृषि पर आश्रित रहने वाले मज़दूरों और श्रमिक वर्ग का जीवन-स्तर ऊपर उठा । कार्ल मार्क्स तक यह स्वीकार करते हैं कि यह आरंभिक काल अधिक समय तक स्थिर नहीं रहा, अपितु शीघ्र ही यह अल्पकाल समाप्त हो गया और पूंजीपतियों की लोभ-लिप्सा पर आधारित घिनौने स्वार्थों एवं शोषणों का दौर शुरू हो गया । अब पूंजी का इस्तेमाल ग़लत कामों में होने लगा, जिसका उद्देश्य येन-केन-प्रकारेण धन की उगाही करके धन्नासेठ बनना था । यह स्थिति आज भी बरक़रार है ।

जब पूंजीवाद का आरंभिक काल समाप्त हुआ तो उक्त मानसिकता सक्रिय हुई और स्वाभाविक रूप से धन धीरे-धीरे सिमट कर कुछ पूंजीपतियों के हाथों में आ गया और ग़रीब, मज़दूर वर्ग अपनी संपत्ति से वंचित हो गये । इससे पूंजीपतियों को मज़दूर हासिल करने में बड़ी आसानी हो गयी । मज़दूरों के ख़ून-पसीने से पूंजीपतियों की थैलियां भरने लगीं और मज़दूर शोषण के शिकार हो गये । थैलियां भरने पर साहूकारी आयी, जिसने ब्याज पर धन देकर भारी मुनाफ़ा कमाना शुरू किया । मुनाफ़े के साथ जन शोषण भी बढ़ा और आगे बढ़कर इसी पैटर्न पर बैंक अस्तित्व में आये । बैंक ब्याज लेकर सरकारों तक को ऋण उपलब्ध कराने लगे, जिससे बैंकर्स मालामाल होते चले गये और जनता के हितों के ख़्याल की शब्दावली ही उनकी नज़रों से ओझल हो गयी । आज भी स्थिति यह है कि बैंक जनता को ऋण देते हैं, जिस पर ब्याज की रक़म इतनी अधिक होती है, जिसे चुकता करने में ऋणी को काफ़ी परेशानी होती है । 'रेह्न' की भी यही समस्या है । हर जगह ब्याज की काली छाया है, जो किसी विशाल दैत्य से कम नहीं लगती । इस विषम परिस्थिति में जन-मानस वैकल्पिक बैंकिंग चाहता है, जो ब्याजरूपी शोषण पर आधारित न हो और सर्वकल्याणकारी हो । इस्लामी बैंकिंग जनता की इस अतीव आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम है । यही कारण है कि संसार में जहां भी इस्लामी बैंकिंग अपनायी गयी है और अपनायी जा रही है, वहां मुसलमानों के साथ ही अन्य लोगों की बड़ी संख्या लाभान्वित हो रही है । अल्लाह से दुआ है कि हमारे देश में भी इस सर्वकल्याणकारी बैंकिंग की स्थापना हो, ताकि सभी नागरिक इसकी उपादेयता का पर्याप्त लाभ उठा सकें और अपनी पूंजी का सही इस्तेमाल कर सकें ।

इस्लामिया अरबिक कॉलेज

ISLAMIA ARABIC COLLEGE

(रेजिडेंशियल स्कूल Residential School)

मंसूरा एजूकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के अंतर्गत



दीनी और आधुनिक शिक्षा का सुन्दर संगम

इस्लामिया अरविक कॉलेज, दक्षिण भारत का अनोखा रेजिडेंशियल स्कूल है, जहां देश के विभिन्न राज्यों के छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

आधुनिक शिक्षा (पांचवीं से दसवीं कक्षा तक) के साथ-साथ दीनी शिक्षा में सानविया तक की शिक्षा दी जाती है।

शिक्षा का उद्देश्य

- छात्रों को किताब व सुन्नत की तालीम देना।
- आधुनिक शिक्षा देना • मोमिनाना बसीरत पैदा करना।
- इक़ामते दीन के फ़रीज़े के लिए तैयार करना।
- अल्लाह का मुख़लिस बन्दा और देश का एक अच्छा नागरिक बनाना।



उपलब्ध सुविधाएं

विस्तृत कैम्पस, सुखद और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा-प्रशिक्षण, हॉस्टल, मस्जिद, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, मार्शल आर्ट्स की शिक्षा, खेल-कूद के लिए बड़ा मैदान, दावती काम के लिए लिखित व मौखिक अभ्यास, सभी विभागों के लिए योग्य, अनुभवी और मेहनती शिक्षक।

दाख़िले की शर्तें

- छात्र की उम्र 11 वर्ष से अधिक न हो।
- पांचवीं कक्षा पास हो।
- नाज़रा क़ुरआन मजीद पढ़ सकता हो।
- हमारी प्रवेश परीक्षा में सफल हो।

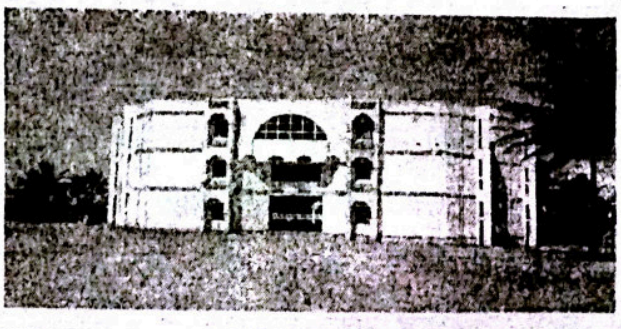

रजिस्ट्रेशन और अन्य जानकारियों के लिए संपर्क करें :

1 जून से शिक्षा वर्ष का आरंभ होता है
प्रवेश परीक्षाएं मई के महीने में होती हैं।

ताहिर हुसैन (सेक्रेट्री)
09845475006

मुनव्वर पाशा
09986841646

Islamia Arabic College,Mansoora, Post ALUR.573213,Dist:Hassan,Karnataka
Ph:08170-218320,9341995959,E.mail:secmansoora@rediffmail.com
Website:www.iacmansoora.com

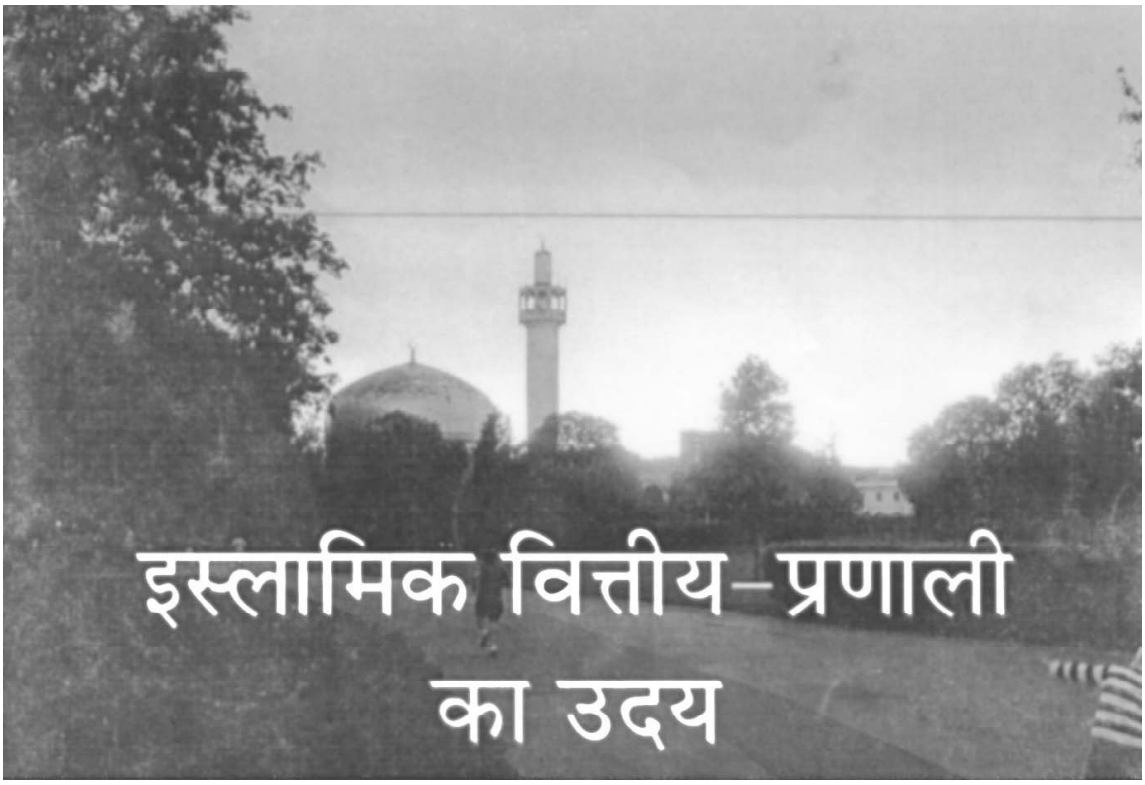

इस्लामिक वित्तीय-प्रणाली का उदय

■ **दानिश रियाज़**

इस्लाम के अनुसार मानव जीवन का उद्देश्य अल्लाह की रज़ा हासिल करना है–

''मैंने तो जिन्नों और मनुष्यों को केवल इसलिए पैदा किया है कि वे मेरी बन्दगी करें ।'' (क़ुरआन, 51:56)

इसलिए अर्थव्यवस्था, व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में भी इस्लाम ने कुछ मौलिक सिद्धांत बनाए हैं । इस्लाम अपने अनुयायियों से इसकी मांग करता है कि व्यवसाय और व्यापार में भी वे इन निर्देशक नियमों का पालन करें, जिनकी शिक्षा क़ुरआन व हदीस में दी गयी है । अर्थव्यवस्था के विकास के लिए इस्लाम ने जहां यह नियम बनाए हैं कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का हक़ न मारे, वहीं यह भी स्पष्ट किया है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त हो कि वह अपनी बेहतर ज़िन्दगी के लिए उन जायज़ तरीक़ों को प्रयोग में लाए जिससे मानवता की भलाई हो सके ।

इस विषय को अल्लाह ने इस आयत में बयान किया है–

''ऐ लोगो ! अल्लाह की तुम पर जो अनुकम्पा है, उसे याद करो । क्या अल्लाह के सिवा कोई और पैदा करने वाला है, जो तुम्हें आकाश और धरती से रोज़ी देता हो ? उसके सिवा कोई पूज्य-प्रभु नहीं । तो तुम कहां से उलटे भटके चले जा रहे हो ?'' (क़ुरआन, 35:3)

दूसरी जगह अल्लाह फ़रमाता है–

''निश्चय ही अल्लाह ही है रोज़ी देने वाला, शक्तिशाली, दृढ़ । (क़ुरआन, 51:58)

''धरती में चलने-फिरने वाला कोई भी प्राणी ऐसा नहीं, जिसकी रोज़ी अल्लाह के ज़िम्मे न हो ।'' (क़ुरआन, 11:6)

इस्लाम ने इन्सान की रोज़ी-रोटी को उसकी तक़दीर से जोड़ दिया है और यह स्पष्ट किया है कि मां के गर्भ में ही उसके रोज़ी-रोटी का फ़ैसला कर दिया जाता है । बुख़ारी व मुस्लिम में अब्दुल्लाह बिन मसऊद से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने हम लोगों से बयान किया कि ''प्रत्येक मनुष्य का ढांचा उसकी मां के गर्भ में इस प्रकार तैयार किया जाता है कि पहले चालीस दिन वह 'नुत्फ़ा' रहता है उसके बाद के चालीस दिन वह 'अल्क़ा' रहता है, फिर अगले चालीस दिन वह 'मज़्ग़ा'

रहता है । फिर अल्लाह तआला उसके पास एक फ़रिश्ता भेजता है, जो उसके बारे में सारी बातें लिखता है– उसका कर्म, उसका जीवन, उसका रिज़्क़, वह बुरा होगा या भला, इसके बाद उसमें रूह फूंकता है ।''

इस्लाम ने मानव के आर्थिक मुद्दे को परलोक से भी जोड़ दिया है और यह व्याख्या की है कि हश्र के मैदान में जहां लोगों से विभिन्न प्रश्न होंगे वहां रोज़गार के बारे में भी पूछा जाएगा कि माल किस तरह कमाया और कहां ख़र्च किया । अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने फ़रमाया कि क़ियामत में इन्सान को छुटकारा नहीं मिल सकता जब तक उससे पांच चीज़ों के बारे में सवाल न कर लिया जाए–उम्र के बारे में कि उसे कहां लगाया, जवानी के बारे में कि उसे कहां गुज़ारा, माल के बारे में कि उसे कहां से कमाया और कहां ख़र्च किया और यह कि अपने इल्म के अनुसार अमल किया या नहीं ?

इस्लाम के इन मौलिक सिद्धांतों के बाद जब आप दुनिया की वर्तमान व्यवस्था का जायज़ा लें तो स्पष्ट होगा कि साम्यवाद, समाजवाद और पूंजीवाद के ध्वजावाहकों ने इन्सान के आर्थिक मुद्दे को इन मौलिक शिक्षाओं से ही काटने का प्रयास किया है । यही कारण है कि समाज के भीतर जो असमानता उत्पन्न हुई हैं उनमें इन मानव-निर्मित व्यवस्थाओं का बड़ा हाथ है । आधुनिक व्यवस्था ने अमीर को और अमीर और ग़रीब को और ग़रीब बनाने के लिए अगर ब्याज की अवधारणा प्रस्तुत की तो इस्लाम ने इसके दुष्प्रभावों से समस्त मानवता को अवगत कराया । अल्लाह फ़रमाता है–

जिसको उसके रब की ओर से नसीहत पहुंची और वह बाज़ आ गया, तो जो कुछ पहले ले चुका वह उसी का रहा और उसका मामला अल्लाह के हवाले है । और जिसने फिर यही कर्म किया तो ऐसे ही लोग आग (जहन्नम) में पड़ने वाले हैं । उसमें वे सदैव रहेंगे । अल्लाह ब्याज का मठ मार देता है और सदक़ों को बढ़ाता है और अल्लाह किसी अकृतज्ञ, हक़ मारने वाले को पसन्द नहीं करता । (क़ुरआन, 2:275,276)

इस समय पूरी दुनिया वित्तीय संकट का शिकार है इसका कारण इस्लाम के ऊपर वर्णित सिद्धांतों का पालन न करना ही है । पहले जब दुनिया वित्तीय संकट का शिकार हुई तो लोग खाने को इसलिए तरस गये कि दुनिया में जीवन सामग्री की कमी हो गयी थी और कुछ लोगों के पास ही सारी वस्तुएं सिकुड़ गयी थीं, लेकिन इस समय जीवन सामग्री की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसका कोई ग्राहक नहीं है । नित नयी खोजों ने यदि दुनिया को विकसित बनाया है तो इससे लाभांवित होने वाले केवल वही लोग हैं जिनके पास क्रय-शक्ति है । वे लोग जो मध्यम आय वाले हैं, वे आज भी उन खोजों से वंचित हैं, जिन्हें पूंजीपति वर्ग प्रयोग कर रहा है । यही कारण है कि इस समय विश्व वित्तीय संकट से प्रभावित वही हैं, जो पूंजीपति हैं, क्योंकि अब उनकी पूंजी फलदार साबित नहीं हो रही है । ग़रीब वर्ग अब भी वैसे ही जीवन बिता रहा है, जैसे वह पहले था ।

इस्लाम ने व्यापार के लिए साझेदारी और सहयोग पर ज़ोर दिया है । साझेदारी यह है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी व्यवसाय में इस समझौते के साथ शरीक हों कि सब मिलकर व्यवसाय करेंगे और व्यवसाय के लाभ व हानि में निर्धारित अनुपात के साथ शरीक होंगे । मुज़ारबत यह है कि एक व्यक्ति पूंजी उपलब्ध कराये और दूसरा व्यक्ति व्यवसाय करे । इस समझौते के तहत उसे कारोबार के लाभ में एक निर्धारित अनुपात में हिस्सा मिलेगा । मुज़ारबत में भी पूंजी उपलब्ध करने वाले और कारोबार करने वाले कई व्यक्ति हो सकते हैं । अर्थात पूंजी कुछ लोग मिलकर उपलब्ध कराएं और उस पूंजी से कुछ लोग मिलकर व्यवसाय करें या पूंजी एक व्यक्ति की हो और उससे कुछ लोग मिलकर व्यवसाय करें या कुछ लोगों की पूंजी हो और उससे एक व्यक्ति व्यवसाय करे ।

इब्ने माजा की रिवायत है कि नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया कि मुज़ारबत में बरकत है । यही कारण है कि हज़रत उमर (रज़ि॰) ने ज़ैद बिन ख़लीदा के साथ मुज़ारबत की थी । हज़रत उमर (रज़ि॰) ने बैतुलमाल की ओर से भी मुज़ारबत का तरीक़ा अपनाया था । आप (रज़ि॰) यतीमों का माल भी मुज़ारबत के तौर पर व्यवसाय के लिए देते थे, ताकि उसमें वृद्धि हो । इस्लाम ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए यदि साझेदारी और मुज़ारबत की सराहना की है, तो बाज़ार में भाव बराबर रहे इसके लिए जमाख़ोरी (Hoarding) से मना किया है ।

(शेष पृष्ठ 10 पर)

इस्लामी वित्त व्यवस्था

■ **नरेन्द्र कुमार**

एक समय ऐसा था जब इस्लामी वित्त व्यवस्था का अर्थ बहुत सीमित था, मगर आज ऐसा नहीं है, आज वित्तीय दुनिया के सभी नियम इस्लामी वित्तीय व्यवस्था का भाग हैं । यही कारण है कि आज पश्चिमी दुनिया की वित्तीय संस्थाएं इस्लामी वित्त व्यवस्था की दिन दूनी रात चौगुनी सफलता को देखकर आश्चर्यचकित हैं ।

यह विचारणीय है कि इस्लामी वित्त व्यवस्था 14 सदी पुरानी है, जिसके तीन महत्वपूर्ण पहलू हैं और सबसे स्पष्ट पहलू यह है कि उन गतिविधियों से खुद को दूर रखना, जिन्हें इस्लाम बुरा मानता है । उदाहरण के लिए जुआ, शराब या सूअर के मांस का कारोबार । दूसरा पहलू यह है कि सूद न लेना अर्थात ब्याजरहित क़र्ज़ की व्यवस्था करना । इस्लामी वित्त व्यवस्था में सूद प्राप्त करने वाले बचत खाते पर प्रतिबंध है । इस वित्त व्यवस्था का तीसरा पहलू है अनिश्चित और जोखिम भरी गतिविधियों से दूर रहना । यही कारण है कि इस्लामी वित्त व्यवस्था बीमा क्षेत्र के प्रति रुचि नहीं दिखाता । कुछ दशक पूर्व तक इस्लामी वित्त व्यवस्था को वर्तमान वित्त व्यवस्था में एक अव्यावहारिक व्यवस्था माना जाता था, लेकिन इसकी लोकप्रियता और व्यापारिक फैलाव ने पश्चिमी वित्त व्यवस्था के अनुयायियों को चौंकने पर मजबूर कर दिया है । आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि जिन हालात में पश्चिमी विशेषज्ञ (विशेष रूप से अमेरिकी और अन्य ईसाई विशेषज्ञ) पश्चिमी और इस्लामी जीवन व्यवस्था में सहयोग के बहुत कम बिन्दु खोज पाते हैं, वहीं पश्चिमी बैंकिंग और वित्त व्यवस्था के विशेषज्ञ इस्लामी उलमा से मिलकर पहले इस्लामी वित्त को तुरंत अपनाने में लगे हैं । यही नहीं यह इस्लामी वित्त व्यवस्था की बढ़ती लोकप्रियता ही है कि अधिकतर अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों ने अपने यहां इस्लामी वित्त सब्सीडीज़ स्थापित की हैं या करने जा रहे हैं । यह भी विचारणीय है कि दुनिया के वित्त का बैरोमीटर समझे जाने वाले अमेरिका की आंकड़ों से संबंधित संस्था डाउजोंस में कुछ साल पहले ही इस्लामी शरीअत के तहत काम करने वाली कंपनी को सूचीबद्ध करने का निर्णय ले लिया गया था । दुनिया के सभी अर्थ-शास्त्रियों का मानना है कि अगर आज के समय में इस्लामी वित्तीय व्यवस्था को लागू किया जाए तो क़र्ज़ में डूबी हुई दुनिया को निकाला जा सकता है, क्योंकि दुनिया की सभी वित्तीय संस्थाओं का अंदाज़ा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में अमीरी और ग़रीबी के बीच की दूरी जो बढ़ी है उसका मूल कारण ब्याज है ।

इस्लामी वित्त व्यवस्था की ओर से उपलब्ध पूंजी से उत्पादित चीज़ों का मूल्य 40-50 प्रतिशत तक कम हो जाता है । क्योंकि उत्पादन के लिए लिए गये क़र्ज़ में कोई ब्याज नहीं देना पड़ता और न ही पूंजी के नुक़सान की आशंका से लाभ की दर अधिक रखनी पड़ती है । इस प्रकार उत्पादित माल का विक्रय मूल्य घट जाता है । वास्तव में इस्लामी वित्त व्यवस्था की सफलता का राज़ यही है ।

आज तीसरी दुनिया के मुल्कों पर 50 अरब डॉलर से अधिक का क़र्ज़ है । दुनिया की 70 प्रतिशत आय दुनिया के 12-15 प्रतिशत लोगों तक ही सीमित है । ब्रिटेन जैसे अमीर देश में आय के विभाजन का अनुपात 1:60 है । इसका अर्थ है उन देशों में एक वर्ग ऐसा है, जिसकी आय देश के बाक़ी लोगों की आय की तुलना

में 60 गुना अधिक है । घाना, अंगोला और ब्रोंडी जैसे अफ़्रीक़ी देशों में जनता की आय पिछली शताब्दी के छठे दशक से ही जमी हुई है, जबकि जापान, कनाडा, दक्षिण कोरिया, जर्मनी और अमेरिका में एक ऐसा वर्ग है जिसकी आय इस समय 1960 ई॰ की तुलना में 1000 प्रतिशत तक बढ़ गयी है । अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अमीरी और ग़रीबी के बीच यह विस्तृत खाई ब्याज पर आधारित बैंकिंग व्यवस्था के कारण है और अगर दुनिया ब्याजरहित बैंकिंग व्यवस्था को अपना ले तो वह क़र्ज़ से आज़ाद और ख़ुशहाल हो सकती है ।

इस्लामी वित्तीय व्यवस्था को समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले इस्लाम को समझा जाए, क्योंकि वित्तीय व्यवस्था का एक हिस्सा है । इस्लामी जीवन व्यवस्था का मूल तत्व यह है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, वे समान हैं और प्रत्येक मनुष्य को जीवन बिताने के लिए कम से कम खाने और कपड़े की ज़रूरत होती है । इसी परिप्रेक्ष्य में इस्लाम ने धन के एक स्थान पर इकट्ठा होने पर रोक लगायी है, क्योंकि जहां भी और जब भी धन एक स्थान पर इकट्ठा हुआ है उसके परिणामस्वरूप ग़रीबी बढ़ी है ।

लेकिन केवल धन को एक जगह जमा होने से रोकने से ही बात नहीं बन जाती है और न ही इससे विकासशील अर्थव्यवस्था की नींव पड़ती है । इस्लामी वित्तीय व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण है पूंजी का विभाजन । इस्लाम का एक नियम है कि इसके अनुयायियों की साल भर में जो बचत होती है उसमें से ढाई प्रतिशत का एक टैक्स देना पड़ता है, जिसको ज़कात कहा जाता है । ज़कात अदा करना मुसलमानों की मर्ज़ी पर निर्भर नहीं करता है बल्कि यह एक अनिवार्य टैक्स है, जिस पर ग़रीबों का हक़ है । अब अगर किसी देश में इस्लामी हुकूमत क़ायम हो तो ज़कात जमा करने और उसे विभाजित करने का काम सरकार ही करती है और अगर सरकार न हो तो उस धन के विभाजन का काम ख़ुद मुसलमान करते हैं और यहीं से इस्लामी वित्त व्यवस्था अपना रूप लेता है ।

अगर किसी व्यक्ति के पास अनुभव है लेकिन उसके पास पूंजी नहीं है तो आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था उसे रोज़गार के लिए पूंजी उपलब्ध कराता है । बाद में एक निश्चित अवधि के भीतर निर्धारित ब्याज के साथ दिया गया क़र्ज़ वापस ले लेता है । इस्लामी वित्त व्यवस्था भी ऐसे व्यक्ति को क़र्ज़ देती है, लेकिन यदि क़र्ज़ लेने वाले व्यक्ति को किसी कारण से लाभ के बजाय घाटा हो जाता है तो इस्लामी बैंकिंग व्यवस्था ख़ुद भी उस घाटे में भागीदार हो जाता है । वह क़र्ज़ लेने वाले पर किसी भी क़ीमत पर क़र्ज़ लौटाने का दबाव नहीं डालता है । बैंक यह मानता है कि केवल उसकी पूंजी का ही नुक़सान नहीं हुआ है बल्कि क़र्ज़ लेने वाले व्यक्ति की ऊर्जा और उसकी मेहनत का भी नुक़सान हुआ है । इस नियम का दुरुपयोग नहीं हो इसके लिए इस्लाम में एक अतिसंवेदनशील खोज-बीन की व्यवस्था है । इस्लामी वित्त व्यवस्था की ओर से उपलब्ध पूंजी से उत्पादित चीज़ों का मूल्य 40-50 प्रतिशत तक कम हो जाता है । क्योंकि उत्पादन के लिए लिए गये क़र्ज़ में कोई ब्याज नहीं देना पड़ता और न ही पूंजी के नुक़सान की आशंका से लाभ की दर अधिक रखनी पड़ती है । इस प्रकार उत्पादित माल का विक्रय मूल्य घट जाता है । वास्तव में इस्लामी वित्त व्यवस्था की सफलता का राज़ यही है ।

(पृष्ठ 8 का शेष)

माल को महंगे दामों में बेचने के लिए उनकी कृत्रिम कमी पैदा करने को जमाख़ोरी (Hoarding) कहते हैं । आमतौर पर व्यापारीगण वस्तु का मूल्य बढ़ाने के लिए उसका भंडारण करते हैं और बाद में फिर उसे चोर दरवाज़े से बेचते हैं, जिसके कारण ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है ।

इस्लाम ने जिन आर्थिक नियमों को परिचित कराया है वे न केवल यह कि समस्त मानवता के लिए सुगम एवं सुलभ है बल्कि विश्व शांति का वाहक भी है । दौलत की होड़ ने ही पूरी दुनिया को पागल बना रखा है । करोड़पति, अरबपति बनने के इबलीसी रुझान ने जहां हर मनुष्य को बेचैन कर दिया है वहीं इसने मानवता को भी लज्जित किया है । पारस्परिक प्रेम, एक-दूसरे का दुख-दर्द, एक-दूसरे के लिए बलिदान जैसे नैतिक गुणों के न होने का कारण भी अवैध जीविका की प्राप्ति है । अगर हम बुनियादी तौर पर तो ऊपर वर्णित नियमों का पालन करें तो निश्चित रूप से दुनिया तत्काल विश्व वित्तीय संकट से छुटकारा पा सकती है ।

सर्वकल्याणकारी बैंकिंग प्रणाली

■ पूर्णिमा एस॰ त्रिपाठी

भारत में जनसंख्या की दृष्टि से 15 प्रतिशत से अधिक मुसलमान हैं, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में उनका प्रतिशत मात्र 12 है, 27 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में उनके खाते बेहद कम हैं, जबकि अन्य अल्पसंख्यक समुदाय जो जनसंख्या की दृष्टि से मात्र 6 प्रतिशत हैं उनके इन बैंकों में 8 प्रतिशत खाते हैं । 31 मार्च 2001 से 31 मार्च 2005 की अवधि के औसत आंकड़ों से यह तथ्य स्पष्ट होता है । इस अवधि में मुसलमानों के खातों की संख्या 11 प्रतिशत पायी गयी जबकि अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के खातों की संख्या 10.5 प्रतिशत ।

देश के 44 अल्पसंख्यक बहुल्य ज़िलों में, जहां मुसलमानों की जनसंख्या 33 प्रतिशत है, उनमें से केवल 21 प्रतिशत मुसलमानों के खाते सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में है, जबकि अन्य अल्पसंख्यकों, जिनकी जनसंख्या मात्र 2 प्रतिशत है, के बैंक खाते 5 प्रतिशत हैं । निजी क्षेत्र के बैंकों में मुसलमानों के खाते 20 प्रतिशत से अधिक हैं, जबकि अल्पसंख्यकों के खाते 15 प्रतिशत हैं ।

सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में अन्य और भी तथ्य पाये जाते हैं । इस कमेटी ने देश के मुसलमानों की आर्थिक स्थिति का अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के साथ तुलनात्मक अध्ययन भी किया था । इस कमेटी की रिपोर्ट में यह बात संदिग्ध रूप में कही गयी है कि विभिन्न कारणों से मुसलमानों की जनसंख्या का बड़ा वर्ग बैंकिंग सेवाओं के दायरे में नहीं आता । इनका प्रतिशत बैंक ऋणों में अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की तुलना में बहुत कम है । बैंक चाहे सार्वजनिक क्षेत्र के हों या निजी क्षेत्र के हर जगह यही स्थिति है । इस कमेटी के अनुसार इन सभी बैंकों में मुसलमानों के खातों की संख्या बैंकों के जमा धनराशि और खाता बक़ाया राशि काफ़ी निराशाजनक है ।

कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इन बातों को इस प्रकार लिखा है–''प्राथमिक क्षेत्रों में भी मुसलमानों के बैंक ऋण अपूर्ण एवं अपर्याप्त हैं । इन ऋणों का औसत अन्य सामाजिक धार्मिक समुदायों की तुलना में अति निम्न है । सिडबी (SIDBI) और नाबार्ड (NABARD) जैसी मुख्य वित्तीय संस्थाओं के भी यही आंकड़े हैं । 2001 की जनसंख्या के आंकड़े बताते हैं कि गांव में मुसलमानों में बैंक ऋणों की संख्या का प्रतिशत अधिक है...।'' मुसलमानों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक उन्नयन में जो वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए वह उनकी पहुंच से काफ़ी बाहर है ।

यह संतोषप्रद और सुखद बात है कि हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों की एक बड़े वर्ग का इस्लामी शरीअत पर आधारित बैंकिंग प्रणाली को देश को व्यावहारिक रूप में क्रियान्वित करने की पहल को समर्थन प्राप्त है । इस संदर्भ में सरकार गहन विचार-विमर्श कर रही है ।

हमारे बैंकिंग क्षेत्र में नकारात्मक धारा भी प्रवाहित हो रही है और वह मुसलमान और मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों को नेगेटिव ज़ोंस (नकारात्मक क्षेत्र) क़रार देकर अपनी पूर्वाग्रही मानसिकता प्रदर्शित करती है ।

वास्तविक आर्थिक मुद्दे

यह पहला अवसर है जब मुस्लिम समुदाय के वास्तविक आर्थिक मुद्दों पर गंभीर बातचीत की जा रही है और यह मांग धीरे-धीरे बलवती होती जा रही है कि सरकार को इस्लामी शरीअत पर आधारित बैंकिंग सेवाएं शुरू करने के लिए विशेष क़दम उठाने चाहिएं ताकि मुसलमानों के बड़े वर्ग को उनकी धार्मिक आस्थाओं के अनुसार बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिल सके जिनसे वे अब तक वंचित हैं । अब यह मांग ज़ोर पकड़ रही है कि इस्लामी बैंकिंग उत्पादों की देश में शुरुआत की जाए । मुसलमानों ने अपनी इस मांग को प्रभावकारी ढंग से अब

पेश किया है और इस सिलसिले में इंडियन सेन्टर फॉर इस्लामिक फाइनेंस (ICIF) नामक मंच का गठन किया गया है, जिसमें मुस्लिम बुद्धिजीवी, सांसद, बैंकर और इस्लाम धर्म के विद्वान शामिल हैं । यह मांग धीरे-धीरे एक लोकप्रिय मुहिम का रूप लेती जा रही है ।

रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यह तथ्य उभर कर सामने आया कि मुसलमानों की आर्थिक उन्नति के लिए वित्तीय सुधार के क़दमों में इस्लामी बैंकिंग के गठन को प्राथमिकता के तौर पर लेना चाहिए । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष आई॰एम॰एफ॰ की मुख्य अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने वित्तीय सुधारों पर 2006 ई॰ में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी थी । इस रिपोर्ट में यह बात कही गयी है कि, ''कुछ धर्मों में वित्तीय क्रियाकलापों में ब्याज के प्रयोग का निषेध है अत: उनके अनुयायियों को ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली की अनुपलब्धता के कारण आर्थिक लाभ नहीं मिल पाता और वे बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं का लाभ उठाने से वंचित रह जाता है ।''

इसका तात्पर्य यह है कि भारत की मुस्लिम जनसंख्या का बड़ा वर्ग बैंकिंग प्रणाली के लाभों से वंचित है क्योंकि वर्तमान समय में हमारे देश में ब्याज मुक्त बैंकिंग उत्पाद मौजूद नहीं है । इस्लाम में ब्याज देने और प्राप्त करने पर पूर्णत: प्रतिबंध है । आई॰सी॰आई॰एफ॰ के संयोजक जनाब एच॰ अब्दुर्रक़ीब के अनुसार अगर भारत में ब्याज मुक्त बैंकिंग की शुरुआत हो जाए तो यह आर्थिक प्ररिदृश्य के लिए क्रान्तिकारी सिद्ध होगा और बड़े पैमाने पर वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे, जिससे देश की अर्थव्यवस्था मज़बूत होगी । उपयुक्त वातावरण न होने के कारण मुसलमानों की बड़ी जनसंख्या की पूंजी सुचारू रूप से गर्दिश नहीं कर पाती । उन्होंने बताया कि ब्याजरहित इस्लामी बैंकिंग सभी के लिए है और यह स्वागतयोग्य होगी क्योंकि वर्तमान समय में ब्याज दरों का भारी बोझ है, जो अंतत: उपभोक्ता और खातेदार पर पड़ता है । इस्लाम इस शोषणकारी ब्याज से मुक्ति दिलाता है ।

स्पष्ट है कि यू॰पी॰ए॰ सरकार को इस तर्क में कुछ दम दिखा है इसलिए वह भारतीय रिजर्व बैंक के संयोजन में ऐसे मॉडल को विकसित करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही है । वैसे भारतीय रिजर्व बैंक इस मॉडल का पहले से ही प्रबल समर्थक रहा है । ''आर॰बी॰आई॰ लीगल न्यूज़ एंड व्यूज़'' के अप्रैल-जून 2005 ई॰ के प्रकाशित अंक में मुख्य रूप में एक लेख में लिखा गया था कि विश्व भर से मुद्रा अर्जित करने के लिए ब्याजरहित बैंकिंग प्रणाली में बड़ा आकर्षण विद्यमान है इसलिए इसे भारत में क्रियान्वित करने का यह उपयुक्त समय है ।

इस रिपोर्ट में इन शब्दों में भारत की वर्तमान स्थिति का उल्लेख किया गया है–''बताया जाता है कि भारत में हज़ारों लोगों के ऐसे खाते हैं, जिन पर मिला ब्याज धन बैंकों में ही जमा है और वे अपनी आस्था के कारण उस ब्याज रूपी धन पर अपना दावा नहीं करते ये धन करोड़ों रुपये में है । देश के मुसलमानों के पास लगभग 1.5 खरब डॉलर की सम्पत्ति है और इसमें प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है । केवल केरल में यह सम्पत्ति 40 हज़ार करोड़ से अधिक हो सकती है । अनुसंधानों से पता चलता है कि इतनी बड़ी धनराशि का वैसा सदुपयोग नहीं हो पाता, जैसा होना चाहिए । यह निष्क्रिय अवस्था में रहती है । अगर लाभ-हानि के आधार पर इसका निवेश किया जाए तो इसका सही सदुपयोग किया जा सकता है और इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है । इस रिपोर्ट में यह बात कही गयी कि देश के कुछ बैंकों में एकल खिड़की के माध्यम से ब्याजरहित बैंकिंग प्रणाली को शुरू किया जा सकता है ।

यू॰पी॰ए॰ सरकार ने अपनी समग्र विकास की नीति को ध्यान में रखते हुए 2005 ई॰ में इस प्रकार की पहल की थी और उसी समय रिजर्व बैंक को निर्देश दिया था कि वह भारत में इस्लामी बैंकिंग को शुरू करने का मार्ग प्रशस्त करे । इस संदर्भ में रिजर्व बैंक ने अपने बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग के मुख्य महाप्रबंधक आनंद सिन्हा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था । इस कमेटी ने इस सिलसिले में थोड़ा विस्तार में जाकर अध्ययन किया और निष्कर्ष के रूप में यह बात कही कि वर्तमान क़ानूनी और विनयामक ढांचे के अंतर्गत भारतीय बैंकों की देश और विदेश स्थित शाखाओं में इस्लामी बैंकिंग गतिविधियों का परिचालन संभव नहीं है । यह रिपोर्ट 2006 में केन्द्र सरकार को सौंपी गयी ।

इस रिपोर्ट को देखते हुए मुस्लिम समुदाय ने बैंकिंग नियमन क़ानून में संशोधन की मांग की जो अब बलवती होती जा रही है । इस मांग के सिलसिले में आई॰सी॰आई॰ एफ॰ के एक प्रतिनिधिमंडल ने 11 सितम्बर 2009 को रिजर्व बैंक के उपगवर्नर डॉ॰ के॰सी॰ चक्रवर्ती से भेंट की और भारत में इस्लामी शरीअत पर आधारित बैंकिंग गतिविधियां शुरू करने के लिए मांग पत्र उनकी सेवा में पेश किया । इस मांग पत्र में कहा गया है कि अगर लंदन, सिंगापुर, टोकियो और हांगकांग इस्लामी वित्त और बैंकिंग के केन्द्र बन सकते हैं तो मुंबई और कोचीन क्यों नहीं ।

अब लगता है कि इस्लामी बैंकिंग देश में व्यावहारिक रूप ग्रहण करेगी और वह दिन अब दूर नहीं कि लोगों की इस बड़ी आवश्यकता की पूर्ति हो । भारतीय रिज़र्व बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हां हम अन्य प्रस्तावों के साथ इस प्रस्ताव पर भी गंभीरता से विचार कर रहे हैं । भारतीय बैंक संगठन (IBA) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की प्रतिनिधि सभा इस्लामी बैंकिंग के गठन के प्रस्ताव के पक्ष में पहले ही सहमति दे चुकी है । अगस्त 2007 ई॰ में बैंकिंग पर आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व चेयरमैन एम॰वी॰एन॰ राव ने कहा था, ''इस्लामी बैंकिंग की कल्पना पर विचार करने का समय आ गया है । इस संदर्भ में IBA अध्ययन करेगा, लेकिन हम इसे चलाने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित वैधानिक ढांचे की प्रतीक्षा करेंगे ।''

वैकल्पिक मॉडल

अगर मुस्लिम सांसदों और इस्लामी बैंकिंग के अन्य विद्वानों की रायों को देखा जाए तो पता चलता है कि इस्लामी बैंकिंग के लिए वैधानिक ढांचा गठित होने में अब अधिक समय नहीं लगने वाला है । प्रधानमंत्री डॉ॰ मनमोहन सिंह व्यक्तिगत रूप में इस अवधारणा के पक्ष में हैं । उन्होंने राज्यसभा के उपसभापति के रहमान ख़ां से कहा है कि वे सांसदों का इस्लामी बैंकिंग के पक्ष में और इसे क्रियान्वित करने के लिए प्रयासों के सिलसिले में राय देने के लिए तैयार करें ।

मि॰ रहमान ख़ां स्वयं इस बैंकिंग के गठन के लिए प्रयत्नशील रहे हैं । उन्होंने इसके लिए सांसदों का एक ग्रुप भी बनाया है । मि॰ रहमान ख़ां का कहना है कि हमारे देश में बिना किसी बड़े क़ानूनी संशोधन के इस्लामी बैंकिंग की अवधारणा साकार हो सकती है । इस ग्रुप ने प्रधानमंत्री डॉ॰ मनमोहन सिंह को इस्लामी बैंकिंग की रूपरेखा का प्रपत्र सौंपा और उनसे निवेदन किया कि इसे एक वैकल्पिक मॉडल के रूप में शीघ्र अपनाया जाए । इस मॉडल को अपनाने के बाद पूरी तरह से इस्लामी बैंकिंग के अन्य उत्पादों को लांच किया जाए । इस ग्रुप ने जो मॉडल तैयार किया है वह मलेशिया के ताबुंग हाजी द्वारा बनाये गये मॉडल पर आधारित है । मि॰ रहमान ख़ां की अगुआई में बनी कमेटी ने जनवरी 2006 ई॰ में जो रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी थी उसमें कहा गया था कि मुसलमानों की ऐसी संस्था हो जहां उनकी बचत जमा की जा सके और इस बचत का इस्तेमाल हज के लिए भी संभव हो सके और अतिरिक्त धन राशि का इस्लामी शरीअत पर आधारित अन्य योजनाओं में भी इस्तेमाल किया जा सके । कमेटी ने एक ऐसे संस्थान के गठन की भी सिफ़ारिश की, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर मुसलमानों को हज के लिए भेजने के ख़र्चे को उठाये ताकि हज सब्सीडी को बन्द किया जा सके । कुछ लोग हज जैसे धार्मिक अनुष्ठान में सरकारी धन के इस्तेमाल को अनुचित बताते हैं ।

ऐसे प्रस्तावित संस्थान के लाभों पर प्रकाश डालते हुए समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि हज कमेटी के वर्तमान ढांचे के तहत इस तरह की व्यवस्था नहीं हो सकती । ताबुंग हाजी की तर्ज़ पर ऐसा संस्थान बने जो हज के लिए जाने वालों को बचत के लिए उभारे और मुसलमान शरीअत पर आधारित अन्य योजनाओं में भी अपने धन का निवेश कर सकें । हज यात्रा के संसाधनों में धन का निवेश हो सकता है, जैसे एयरक्राफ्ट की ख़रीद या उसे पट्टे पर लेने, भारत और सऊदी अरब दोनों जगह हाजियों के लिए आवास व्यवस्था कम भाड़े पर लंबे समय तक विमान सुविधा उपलब्ध कराने के लिए धन का निवेश हो ।

प्रधानमंत्री डॉ॰ सिंह द्वारा ब्याज मुक्त बैंकिंग के प्रति दिलचस्पी का नतीजा है कि कैबिनेट सेक्रेट्री की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के सेक्रेट्री की एक समिति बनायी गयी है, जो इस सिलसिले में अपने सुझाव प्रस्तुत करेगी । हालांकि इस कमेटी ने अभी तक अपनी रिपोर्ट

नहीं सौंपी है । मि॰ रहमान ख़ां के अनुसार इस्लामी बैंकिंग के सिलसिले में एक संस्थान परीक्षण के रूप में तत्काल गठित किया जा सकता है अगर इसमें सफलता मिलती है तो इस्लामी बैंकिंग को व्यापक रूप में लागू किया जा सकता है । उन्होंने कहा कि भारत में इस्लामी बैंकिंग के लिए व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं । देश के 18 करोड़ मुसलमानों के साथ ही अन्य नागरिकों की इसमें भागीदारी होगी । मि॰ ख़ां के अनुसार ये प्रस्तावित संस्थान 15 मिलियन निवेशकों में से 10 प्रतिशत को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है तो प्रति निवेशक 25 हज़ार रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया जा सकता है, जो कि 3.5 वर्ष के भीतर 30 हज़ार करोड़ रुपये की धनराशि हो सकती है । भारत के मुस्लिम समुदाय का कायाकल्प किया जा सकता है ।

अगर मलेशिया जैसे छोटे देश में जहां मुस्लिम आबादी 1.5 करोड़ है, वहां ऐसी कोशिशें हो सकती हैं और इसमें सफलता भी मिल जाती है तो क्या हम इसे नहीं अपना सकते । उन्होंने बताया कि सांसदों की बहुसंख्या और धार्मिक विद्वानों ने भी इसके लिए सहमति व्यक्त कर दी है और अब यह मसला प्रधानमंत्री के सामने है । वही इस मामले में अगला क़दम उठा सकते हैं । एक-दूसरे स्तर पर सांसदों का इस वैकल्पिक प्रणाली के प्रति समर्थन लेने की कोशिश हो रही है । ऑल इंडिया मजलिस इत्तिहादे-मुस्लिमीन (MIM) के सांसद असदुद्दीन ओवैसी निजी तौर पर इस संबंध में एक विधेयक तैयार किया है, जिसे वे शीत सत्र में पेश करेंगे । जनाब ओवैसी ने कहा कि मैंने सभी पार्टी के सांसदों से अपील की है कि हमारे विधेयक का समर्थन करें । उन्होंने कहा कि हम इसे इस्लाम के चश्मे से क्यों देखते हैं । यह तो सभी के लिए है और देश के लिए यह वैकल्पिक मॉडल बन सकता है ।

उन्होंने बताया कि वे बैंकों में निष्क्रिय पड़ी मुसलमानों की ब्याज धनराशि के बारे में भली-भांति अवगत हैं । उन्होंने सवाल किया कि हमें इस संसाधन को गर्दिश में लाने के लिए क्या कुछ नहीं करना चाहिए ? इस्लामी शरीअत में ब्याज के सभी रूप हराम (निषिद्ध) हैं । उन्होंने बताया कि आज ग़ैर-मुस्लिम देशों तक में इस्लामी शरीअत पर आधारित बैंकिंग व्यवस्था अच्छी तरह चल रही है । ब्रिटेन, अमेरिका, सिंगापुर, जापान में इस्लामी बैंकिंग प्रणाली अस्तित्व में है । मलेशिया और इंडोनेशिया तो इसके अच्छे उदाहरण हैं ।

वेलूर से निर्वाचित डी॰एम॰के॰ के सांसद और भूतपूर्व बैंकर जनाब अब्दुर्रहमान का कहना है कि ब्याज मुक्त बैंकिंग को इस्लाम से जोड़कर पेश करना आवश्यक नहीं है, बल्कि इस पर आधारित बैंकिंग और म्यूचुअल फंड्स ऐसे होंगे जिनका लाभ मुसलमान और दूसरे लोग आसानी से उठा सकते हैं । हमारे देशवासियों के लिए तो यह बहुत लाभकारी सिद्ध होगा । इस व्यवस्था में सभी निवेशकों को उचित लाभ मिलेगा और हानि-लाभ की सहभागिता पर आधारित होने के कारण भी लाभ की संभावना अधिक है । इससे मुसलमानों को क़र्ज़ प्राप्त करने में आसानी होगी और उनका सामाजिक व आर्थिक स्तर काफ़ी सुधरेगा ।

जनाब अब्दुर्रक़ीब के अनुसार भारत में इस्लामी बैंकिंग से भारी धनराशि यहां तक कि विदेशों से काफ़ी धन आने की संभावना है । एक अपुष्ट अनुमान के अनुसार 9/11 के बाद खाड़ी देशों से 40 खरब डॉलर की भारत में अनुकूल बैंकिंग प्रणाली होने पर निवेश किये जाने की आशा है ।

इस्लामी बैंकिंग प्रणाली को विभिन्न राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो चुका है, कांग्रेस, माकपा, सपा, राजद और डी॰एम॰के॰ ने पहले ही अपने समर्थन की घोषणा कर चुके हैं ।

(सा॰ : फ्रंट लाइन, 23 अक्तूबर 2009)

ब्याजरहित बैंकों के लाभ

इस्लामी बैंकिंग व्यवसाय का एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि इसे ग़ैर-मुस्लिम लोग बड़ी तादाद में अपना रहे हैं । मलेशिया में इस्लामी बैंकिंग व्यवस्था भी चल रही है । एक अध्ययन से पता चला कि मलेशियाई इस्लामी बैंकिंग संस्थाओं के उत्पाद एवं सेवा के 77 प्रतिशत उपभोकता, ग़ैर-मुस्लिम भारतीय एवं चीनी मूल के लोग हैं । जिन देशों में यह प्रणाली सुचारु रूप से चल रही है, वहां किये गये अध्ययन बताते हैं कि ब्याजरहित बैंक अपने ग्राहकों को ब्याजरहित बैंक से कहीं ज़्यादा लाभ दे रहे हैं ।

इस्लाम : आर्थिक न्याय का पक्षधर

■ **डॉ॰ फ़ज़लुर्रहमान फ़रीदी**

इस्लाम दुश्मनी के बहुत से प्रेरकों में से एक महत्वपूर्ण प्रेरक यह है कि वह पूंजीवादी व्यवस्था पर चोट करता है । वह कमज़ोरों, असहाय जनों, साधनहीनों की सहायता को दीन व ईमान का हिस्सा क़रार देता है और एक ऐसी सभ्यता को जन्म देता है जो धन एवं आर्थिक स्रोतों को नैतिकता और मानवता के अधीन मानती है । वह सामाजिक एवं आर्थिक न्याय का आवाहक है । अगर यह धर्म स्थापित हो गया तो ख़तरा है कि पूंजीवाद पर स्थापित सभ्यता का पतन हो जाएगा । धन एवं जीवन स्तर की पागल दौड़ (Rat Race) ख़त्म हो जाएगी ।

सभ्यताओं के टकराव की भविष्यवाणी करने वाले हों (The clash of Civilizations : Huthington) या इस्लाम पर कट्टरपंथ अथवा पुरातनपंथ का आरोप लगाने वाले या औरतों के अधिकारों के लिए शोर मचाने वाले, इस सब की रणनीति के पीछे दरअस्ल यही भय है जो कभी स्पष्ट झलकता है और कभी नेपथ्य में चला जाता है ।

साम्यवाद और समाजवाद से पश्चिम की दुश्मनी की अस्ल वजह भी यही भय था कि वह पुरज़ोर अंदाज़ में मज़दूरों के अधिकारों का आवाहक था । वरना आधुनिक सभ्यता के सामान्य उद्देश्य–'भौतिकवाद एवं आर्थिक मामलों में नैतिकता से असंबद्धता' की दृष्टि से दोनों में ज़रा भी अन्तर न था । इसके पतन के बाद अब सिर्फ़ इस्लाम रह जाता है जो ग़रीबों, साधनहीनों के अधिकारों का आवाहक है । इसलिए पश्चिम का लक्ष्य अब इस्लाम है वरना पश्चिमी देश जानते हैं कि सैनिक एवं आर्थिक शक्ति के दृष्टिकोण से मुस्लिम जगत की उनसे कोई तुलना नहीं ।

समाजवाद सिर्फ़ आर्थिक आन्दोलन नहीं था

मुक्त अर्थव्यवस्था के समर्थकों और साम्यवाद के बीच बहस में साम्यवाद (Communism) को प्राय: एक स्थानापन्न अर्थव्यवस्था और एक अधिनायकवादी राजनीतिक व्यवस्था के रूप में पेश किया जाता है और सही हैसियत से इसके परिणाम एवं परिदृश्य पर बहस की जाती है । लेकिन साम्यवाद और समाजवाद अपने यथार्थ में पूंजीवादी व्यवस्था के शोषण के विरुद्ध एक प्रोटेस्ट था । इसका निहितार्थ ज़ुल्म और अन्याय का ख़ात्मा, मज़दूरों एवं पीड़ित वर्गों को उनके अधिकार दिलाना था । मार्क्स और उसके अनुयायियों की वैचारिक ग़लती यह थी कि उन्होंने धर्म को उस ज़ुल्म, शोषण, अन्याय का कारण बताया, जिसका शिकार उनके ज़माने के मज़दूर और किसान थे । मार्क्स की नज़र पूंजी व दौलत की उस हवस को न पहचान सकी जिसने धर्म एवं नैतिक मूल्य दोनों का दोहन किया था और आज भी कर रही है । साम्यवाद की इस वैचारिक त्रुटि का लाभ पूंजीवादी व्यवस्था के अलमबरदारों ने ख़ूब उठाया और इसे नैतिकता विरोधी एवं नास्तिकतावादी विचार घोषित किया ।

मुक्त अर्थव्यवस्था भारत में

आज की दुनिया में मुक्त अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी व्यवस्था का सैलाब आया हुआ है । इस सैलाब में न्याय और मानवीय मूल्य जिस तरह ग़र्क़ हो रहे हैं, इसका अंदाज़ा करने के लिए यहां सिर्फ़ महत्वपूर्ण परिणामों का उल्लेख काफ़ी होगा । भारत में आर्थिक नीतियों में जो परिवर्तन आया है उसके नतीजे के तौर पर जीवन की आवश्यक वस्तुओं की क़ीमतों में बेतहाशा इज़ाफ़ा हो रहा है । सरकार की पालिसी के तहत ग़रीबों के बजट में जो उपभोक्ता वस्तुएं आती थीं, उनकी क़ीमतों में जो सरकारी अनुदान (Subsidy) दिया जाता था, वह अब अर्थशास्त्रियों एवं बुद्धिजीवियों के निकट एक अनावश्यक बोझ माना जाने लगा है । अत: मौजूदा वित्त मंत्री का वादा है कि आइंदा कुछ वर्षों में इसे 50 प्रतिशत तक कम कर दिया जाएगा । नये बजट में उद्योगपतियों के टेक्स में जो

कमी की गयी है और आयात पर टेक्स में जो छूट दी गयी है और अन्य सुविधाओं के साथ हाल के बजट को सही ही सपनों का साकार होना (Dream Budget) कहा जा रहा है ।

शिक्षा जैसे क्षेत्र में सरकारी सहयोग में असाधारण कमी की वजह से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की फ़ीस में दो से चार गुना तक वृद्धि हो गयी है । प्राइवेट अस्पतालों के उत्साहवर्धन के नतीजे में अब इलाज आदि ग़रीबों के बस की बात नहीं रही है । सरकारी अस्पतालों की हालत ख़स्ता हो रही है । निजीकरण की नीति के चलते आम आदमी के लिए जीवन-यापन यातनामय हो गया है । ग़रीबी और अमीरी का अन्तर तेज़ी से बढ़ रहा है । एक छोटा-सा वर्ग है जो बढ़ते धन के भंडार से ऐश कर रहा है, जबकि सरकारी अनुमान के अनुसार 35 प्रतिशत आबादी ग़रीबी की रेखा से नीचे का जीवन गुज़ार रही है ।

पूंजीपतियों का वर्चस्व इतना बढ़ा है कि एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने अतिरिक्त भूमि (लगभग 1,25,000 एकड़) को गुजरात में दलितों को एलाट किया है मगर न दलितों में हिम्मत है और न ही प्रशासन में कि वे इन ज़मीनों को उनके पूर्व मालिकों के क़ब्ज़े से निकाल सकें । (इंडिया टूडे, मई 97) इस सिलसिले की एक रिपोर्ट पी॰ साई नाथ की है जो बताती है कि किस तरह देश के निर्धनतम इलाक़ों के अनुसूचित जन-जातियां और अन्य अत्यंत पिछड़े वर्ग, जागीरदारों और पूंजीपतियों के शोषण का शिकार है ।

पश्चिमी देशों में भी पूंजीवादी व्यवस्था के तहत ग़रीबी और अमीरी का अन्तर बहुत बढ़ा है । इसका एक सबब यह है कि आधुनिक वितरण प्रणाली के तहत पिछले दो दशकों में ऐसी स्कीमों का रिवाज असाधारण रूप से बढ़ा है जो आमदनी बढ़ाती हैं, रोज़गार नहीं बढ़ती (HDR 1996)। ग़रीब और अमीर देशों के बीच साधनों के विभाजन का यह हाल है कि दुनिया के 80 प्रतिशत साधन-स्रोत केवल 25 प्रतिशत देशों और वर्गों के अधिपत्य में हैं ।

संक्षेप में यह कि किसी देश के भीतर साधनों का असमान बंटवारा हो या विश्व स्तर पर यह विभेद हो दोनों क्षेत्रों में यह पूंजी का एक रुख़ी बहाव जारी है, जो पूंजीवादी व्यवस्था की देन है । कम्युनिज़्म के अंत के बाद अब कोई ताक़त ऐसी नहीं है, जो इस नाइन्साफ़ी और ज़ुल्म के ख़िलाफ़ संघर्ष करने का साहस और सामर्थ्य रखती हो, और न ही कोई ऐसी सशक्त विचारधारा है जो ग़रीबों और कमज़ोरों के अधिकारों का आह्वान कर सके । इस सैलाब में अर्थशास्त्री तो बह ही गये हैं । समाज सुधारक की मुक्त अर्थव्यवस्था के उन्मुक्त खेल को असहाय से बने हसरत से देख रहे हैं ।

पूंजीवाद को चैलेंज

इस सूरतेहाल में सिर्फ़ इस्लाम है जो पूंजीवाद के वर्चस्व को चैलेंज करने की क्षमता रखता है । इस चैलेंज की गंभीरता का शऊर पश्चिम को पहले भी था । लेकिन अब तक उनकी रणनीति में इस्लाम को सिर्फ़ पुरातनपंथी कहकर काम चल रहा था, मगर पश्चिम के कुछ लोगों को नये-नये पहलुओं की तलाश रहती है । गालियां चाहे कैसी भी हों, इनके अधिक इस्तेमाल से अपना असर खोने लगती है । इसलिए अब नया लक़ब दिया जा रहा है कि इस्लामी तहरीकों का दक्षिण पंथ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि वे असफल वामपंथ (Left) की अनुगूंज हैं—जो कम्युनिज़्म के रूप में टूट चुका था मगर अब ज़्यादा ख़तरनाक रूप में उभरने वाला है ।

(देखें वाशिंगटन पोस्ट का हाल का आलेख)

इस्लाम से अस्ल जलन स्वार्थी वर्गों और लोगों को इसीलिए है कि वह कमज़ोर वर्गों और असहाय जनों का समर्थक है लेकिन इस्लाम प्रचलित भावार्थ में वामपंथी (Leftist) आन्दोलन नहीं है वह एक ऐसी परिपूर्ण विचारधारा का वाहक है जो पूरी ज़िन्दगी को एक ही इकाई के विभिन्न अटूट अंशों पर आधारित समझता है । इसके नज़दीक इन्सानी ज़िन्दगी की हर बीमारी और उसकी हर कठिनाई का इलाज वस्तुतः एक सुदृढ़ प्रोग्राम के ज़रिये संभव है जिसका आत्मा में नैतिकता और ख़ुदपरस्ती समोई हुई है । इस्लाम जो निदान पेश करता है उसमें आदर्श और व्यवहार का सुन्दर सामंजस्य है । वह सिर्फ़ सिद्धांतों और मूल्यों पर बस नहीं करता बल्कि क़ानून और शक्ति से भी उसे लागू करता है । वह आज़ादी को इन्सानी ज़िन्दगी का मर्म मानता है, लेकिन उन पर सीमाएं भी निर्धारित करता है ।

इस्लाम ग़रीबों, अत्याचार पीड़ितों और मज़दूरों की

हिमायत व सहायता को सिर्फ़ आर्थिक एवं प्रबंधकीय मामला नहीं समझता, बल्कि स्पष्ट करता है कि ये उद्देश्य सिर्फ़ ऐसे समाज में प्राप्त किये जा सकते हैं जो परोपकार, स्नेह परस्पर सहयोग जैसे नैतिक मूल्यों पर क़ायम किया गया हो । जहां लोग इन्सान और इन्सान के बीच, न उनकी समाजी हैसियत के आधार पर अन्तर करते हों, और न उनके रंग, नस्ल व आस्था की बुनियाद पर बल्कि सारे इन्सानों को भाई-भाई समझते हों । अत: इसके लिए वह मात्र प्रवचन नसीहत से काम नहीं लेता बल्कि ऐसे क़ानूनों को लागू करता है जो इन मूल्यों के उन्नयन में सहायक हों । ये प्रयास समाजी, राजनीतिक और आर्थिक सभी स्तर पर किये जाते हैं । ये सब मिलकर ऐसा वातावरण बनाते हैं, जिसमें वरीयताएं बदल जाती हैं और लाभ-हानि के मापदंड भी ।

इस्लाम ग़रीबों और मज़लूमों के कल्याण को ईमान का लाज़िमी तक़ाज़ा बताता है । साधन-स्रोतों को ख़ुदा की अमानत बताता है और यह भी स्पष्ट करता है कि इनके उपयोग की निगरानी ख़ुद अल्लाह करता है । वह हलाल व हराम के ऐसे नियम बताता है, जिससे समाजी एवं आर्थिक जीवन के मौलिक पहलुओं पर ऐसी सीमाएं निर्धारित हो जाती हैं जो मानव के कल्याण और हित में हैं । साथ ही ज़ुल्म के दरवाज़े बंद हो जाते हैं और अधिकारों एवं दायित्वों को निर्धारित में भी सहायक होते हैं ।

इस्लाम आधुनिक अर्थशास्त्र के इस सिद्धांत को रद्द करता है जिसे Percolation कहते हैं । इसका सादा भावार्थ यह है कि अगर धनी वर्ग पूंजी निवेश के ज़रिये राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ाएंगे तो इसका लाभ (मेहनताना, उत्पादों की उपलब्धता के रूप में) अंतत: जन-साधारण को पहुंचेगा । इसलिए बीच की अवधि में यदि आधे पेट खाते हैं और झोपड़ पट्टियों में ख़स्ताहाली की ज़िन्दगी गुज़ारते हैं तो कोई हर्ज नहीं । इसमें पूरे देश का फ़ायदा है जो आख़िरकार उन्हें पहुंचेगा । यह दृष्टिकोण बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में भी अर्थशास्त्रियों ने रद्द कर दिया था । मगर मुक्त अर्थव्यवस्था के सैलाब में यह दृष्टिकोण अब बड़ी ढिठायी के साथ पेश किया जा रहा है । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (IMF) विश्व बैंक और इनकी सहयोगी संस्थाओं ने ऐसे बहुत से दृष्टिकोणों को नया जीवन प्रदान किया है, जो अनुसंधान और अनुभव की रोशनी में रद्दी की टोकरी में डाल दिये गये थे ।

इस्लाम इस दृष्टिकोण के विपरीत पूंजी निवेश में जनसाधारण के हित को भी उतना ही महत्व देता है जितना कि एक पूंजीपति का निजी लाभ । इस्लाम बुनियादी ज़रूरतों की उपलब्धता का उत्साहवर्धन करता है और उद्योगपति के भीतर ऐसी सशक्त भावना पैदा करता है कि वह इस क्षेत्र में पूंजी निवेश को प्राथमिकता दें । वह खुले बाज़ार को अर्थ तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा समझता है, मगर वह इसके हानिप्रद पहलुओं पर भी रोक लगाता है । ज़ख़ीरा अंदोज़ी (Hoarding) को हराम क़रार देता है । गला काट प्रतिद्वंद्विता (Cut Throat Competetion) की जगह सहयोग का उत्साहवर्धन करता है । अख़्लाक़ और आम इन्सानी हित को नुक़सान पहुंचाने वाली वस्तुओं के उत्पादन पर रोक लगाता है । ज़कात के ज़रिये निसहाय लोगों की सहायता का विशेष प्रावधान रखता है ।

हाजी अनवर हुसैन
9893209849
9302934131
अब्दुल माबूद
9893913540


Marhum-M Faruque
New Bakery
Complete Range of
SPECIAL TOASRUS, BISCUITS,
NICE, KHARI, SHEERMAAL &
BIRTHDAY CAKES
उत्तर मोतीनाला, मस्जिद पत्थर फोड के सामने, जबलपुर (म०प्र०)

All India Council of Muslim Economic Upliftment Ltd.

Registered under Indian Companies Act 1956 (vide No. 28920/82) and under Bombay Public Trust Act 1950 (vide No. E-10118(B)/85

1st Floor, Vazir Building, 179, Ibrahim Rahmatullah Road, Mumbai-400003
Tel. : 91 22 2347 8329/2347 6497 Fax : 91 22 2347 8884
E-mail : aicmeus@yahoo.com Website : www.aicmeu.org

स्थापना

डॉ॰ रहमतुल्लाह और उनके साथियों ने 1981 में अपनी विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं के ज़रिये इस्लामी अर्थव्यवस्था की रोशनी में समाज के आर्थिक उत्थान के उद्देश्य से AICMEU की स्थापना की।

AICMEU के कार्य/उपलब्धि पर एक नज़र

	योजनाएं/सेवाएं	लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या
1.	बैतुलमाल से ब्याजरहित क़र्ज़ दिये गये	6,688
2.	AICMEU रोज़गार के तहत नौकरी की जानकारी उपलब्ध करायी गयी	19,686
3.	AICMEU रोज़गार के तहत नौकरी उपलब्ध करायी गयी	8,095
4.	नौकरी की ऑनलाइन जानकारी www.login4job.com के ज़रिये दी गयी	9,272
5.	कौंसिलिंग और वोकेशनल गाइडेंस	2,051
6.	SSC स्तर तक जनरल एजूकेशन	6,455
7.	ITI के ज़रिये तकनीकी शिक्षा	4,120
8.	AICMEU के जे॰आर॰ कैरियर सेन्टर के ज़रिये कंप्यूटर की शिक्षा	1,310
9.	ग़रीब लेकिन मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप	2,030
10.	AICMEU के बैतुज़्ज़कात से ज़कात की रक़म दी गयी	9,871
11.	विकलांगों एवं शोषित/पीड़ित लोगों की पुनर्वास योजना	195
12.	बाबा-ए-क़ौम मेडिकल सर्विसेज़ ट्रस्ट के ज़रिये मेडिकल कैम्प	9,080
13.	बाबा-ए-क़ौम मेडिकल सर्विसेज़ ट्रस्ट के ज़रिये स्वास्थ्य सेवाएं	44,690
14.	प्रकाशन के ज़रिये इन्फ़ॉरमेशन एवं गाइडेंस	26,700
15.	कैम्प, सेमीनार और वर्कशॉप	11,088
	AICMEU से लाभान्वित होने वालों की कुल संख्या	161,331

सहयोग के अवसर

AICMEU को स्थापित हुए 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं और वह सदियों तक अपने इस सामाजिक/आर्थिक कल्याणकारी योजनाओं को भारत के विभिन्न भागों में कार्यान्वित करना चाहती है। हम इस बात पर आभार प्रकट करते हैं जो हमें कोऑरडिनेटर, वोलेन्टियर, सब्सक्राइबर और अहलेख़ैर हज़रात से भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ और हम निम्नलिखित योजनाओं पर काम कर सके–

1. इम्पलाइमेंट इन्फौरमेशन सर्विसिज़ (www.login4job.com के ज़रिये)
2. बिज़नेस इन्फॉरमेशन सर्विसेज़ (www.vyaparindia.com के ज़रिये)
3. 'तहरीके ज़कात इंडिया' के ज़रिये सेन्ट्रलाइज़्ड ज़कात सिस्टम को बढ़ावा देना
4. कम्यूनिटी कोऑर्डिनेशन इनीशिएटिव के ज़रिये मुस्लिम NGO को मज़बूत बनाना
5. जनसेवा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि॰ (प्रस्तावित) संस्था के ज़रिये इन्टेरेस्ट फ्री फ़ाइनांस की सुविधा प्रदान करना।

महत्वाकांक्षी लोगों से अपील है कि वे समाज के उत्थान के लिए हमारे हाथ मज़बूत करें।

इस्लामी अर्थव्यवस्था : भारत के संदर्भ में

■ **डॉ॰ निजातुल्लाह सिद्दीक़ी**
(सुप्रसिद्ध इस्लामी अर्थशास्त्री)



इन्सानी ज़िन्दगी में रोज़ी-रोटी और आजीविका को जो महत्व हासिल है वह क़ुरआन की आयतों से भी प्रतिबिम्बित होता है। इन्सानों को दुनिया के परिक्षागृह में प्रवेश देते समय ही बता दिया गया था कि धरती पर तुम्हारे जीवन-यापन का सामान उपलब्ध करा दिया गया है। पवित्र क़ुरआन में है–"और हमने धरती में तुम्हें अधिकार देकर बसाया और उसमें तुम्हारे लिए जीवन- सामग्री रखी, मगर तुम लोग कम ही शुक्रगुज़ार होते हो।"

(क़ुरआन, 7:10)

और साथ ही यह चेतावनी भी दे डाली कि रोज़ी-रोटी की यह व्यवस्था कुछ उसूलों की पाबन्द है और आर्थिक संसाधनों में इन्सानों के साथ दूसरे प्राणी भी शामिल हैं। उन्होंने फ़रमाया : "और हमने धरती को फैलाया और उसमें अटल पहाड़ डाल दिये और उसमें हर चीज़ नपे-तुले अंदाज़ में उगाई। और उसमें तुम्हारे गुज़र-बसर के सामान निर्मित किये और उनको भी जिनको रोज़ी देने वाले तुम नहीं हो। और कोई भी चीज़ तो ऐसी नहीं है जिसके भंडार हमारे पास न हो, फिर भी हम उसे एक ज्ञात (निश्चित) मात्रा के साथ उतारते हैं।"

(क़ुरआन, 15:19-21)

मगर यही संसाधन उन लोगों के लिए तबाही का कारण बन जाते हैं जो संतुलन का मार्ग त्याग कर इतराने लग जाते हैं : "हमने कितनी ही बस्तियों को विनष्ट कर डाला, जिन्होंने अपनी गुज़र-बसर के संसाधन पर इतराते हुए अकृतज्ञता दिखायी। तो वे हैं उनके घर, जो उनके बाद आबाद थोड़े ही हुए। अंततः हम ही वारिस हुए।"

(क़ुरआन, 28:58)

सामूहिक इतराहट (Arrogance) का परिणाम तबाही और बरबादी है तो व्यक्तिगत हवस में अल्लाह को भूल जाने की सज़ा बेचैनी और उलझनों वाली ज़िन्दगी है। फ़रमाया : "और जिस किसी ने मेरी स्मृति से मुंह मोड़ा तो उसका जीवन संकीर्ण होगा और क़ियामत के दिन हम उसे अंधा उठाएंगे।"

(क़ुरआन, 20:124)

सूरह तकासुर, सूरह माऊन और दूसरी अनेक आयतों में मालों-दौलत को मक़सद बनाने और उसके लिए दूसरों के अधिकारों की अनदेखी करने की भरपूर आलोचना की गयी है : "वे कहते हैं : "यह क़ुरआन इन दो बस्तियों के किसी बड़े आदमी पर क्यों नहीं अवतरित हुआ ?" क्या वे तुम्हारे रब की दयालुता को बांटते हैं ? सांसारिक जीवन में उनके जीवन-यापन के साधन हमने उनके बीच बांटे हैं और हमने उनमें से कुछ लोगों को दूसरे कुछ लोगों से श्रेणियों की दृष्टि से उच्च रखा है, ताकि उनमें से व एक-दूसरे से काम लें। और तुम्हारे रब की दयालुता उससे कहीं उत्तम है जिसे वे समेट रहे हैं।" (क़ुरआन, 43:31-32)

इन आयतों से पता चलता है कि आर्थिक संसाधन हमारी परीक्षा के लिए मिले हैं ।

एक व्यक्ति के धन-दौलत में दूसरों का भी हक़ है और दुनिया के संसाधनों में इन्सान के साथ अन्य प्राणियों का भी अधिकार है । जीवन के इम्तिहान का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अपनी कमायी में से दूसरों का हक़ पहचानना और अदा करना है ।

दौलत समेटने के लोभ और उस पर इतराना व्यक्तिगत जीवन में बेचैनी और सामूहिक स्तर पर बरबादी लाती है । आर्थिक ख़ुशहाली बड़प्पन का पैमाना नहीं है । ख़ुदा, जिसने सब कुछ दिया है, उसे याद रखना ज़रूरी है ताकि व्यक्तिगत हितों के साथ दूसरों के भले का भी लिहाज़ रहे । इन्हीं उसूलों की हदीसों में भी तालीम दी गयी है ।

हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि नबी (सल्ल॰) फ़रमाते हैं : ''या अल्लाह ! मैं ग़रीबी, तंगहाली और ज़िल्लत से तेरी पनाह चाहता हूं ।''
(बुख़ारी)

धन-दौलत अपेक्षित है व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी और उच्च सामाजिक उद्देश्यों के लिए भी । अतएव आप (सल्ल॰) ने फ़रमाया : ''अच्छे आदमी के लिए अच्छा माल ख़ूब है ।'' (बुख़ारी)

अनस बिन मालिक (रज़ि॰) से रिवायत है, फ़रमाया, हम अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) के साथ एक लड़ाई में शरीक थे । हमारे पास से एक फुर्तीला जवान गुज़रा जो ग़नीमत में हिस्से के तौर पर मिले (मवेशी) को लिए जा रहा था । तो हम बोल पड़े कि उसकी जवानी और सक्रियता अल्लाह के राह में ख़र्च होती तो क्या अच्छा होता । हमारी यह बात अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) तक पहुंची तो आप (सल्ल॰) ने पूछा, क्या बोले थे ? हमने बताया कि यह और यह कहा था ।

आप (सल्ल॰) ने फ़रमाया, ''यदि वह अपने माता-पिता या उनमें से किसी एक के लिए दौड़-भाग करे तो यह भी अल्लाह की राह में गिना जाएगा । और यदि वह अपने बाल-बच्चों के लिए दौड़ भाग कर रहा होता कि उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके तो यह भी अल्लाह की राह में गिना जाएगा और यदि वह अपनी ज़ात के लिए काम करे तो यह भी अल्लाह की राह में होगा ।'' (बैहक़ी)

हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने फ़रमाया : ''ताक़तवर मोमिन ज़्यादा अच्छा और अल्लाह को ज़्यादा पसन्द है, कमज़ोर मोमिन की तुलना में और अच्छे सभी हैं ।''
(मुस्लिम)

आप (सल्ल॰) ने फ़रमाया : ''...ख़ुदा की क़सम ! मुझे तुम्हारे बारे में ग़रीब रह जाने का इतना ख़तरा नहीं, बल्कि आशंका यह है कि ऐसा न हो कि पिछली क़ौमों की तरह तुम्हें भी फ़रावानी के साथ मिले और तुम भी उन्हीं की तरह उसके पीछे एक-दूसरे से आगे बढ़ जाने की कोशिश में लग जाओ । अतएव वह तुम्हें भी उसी तरह बरबाद कर दे जैसे पिछलों को बरबाद कर चुकी है ।'' (बुख़ारी)

भारत और इस्लाम की अर्थव्यवस्था

उपरोक्त बातों की रोशनी में जिस व्यवस्था का गठन होगा उसके तीन बुनियादी पहलू होंगे :

1. इस्लामी आर्थिक आचार (Islamic Economic Ethics)
2. इस्लामी आर्थिक संस्थाएं (Islamic Economic Institution)
3. इस्लामी रियासत की निगरानी (Supsvision of Islamic State)

भारत में इस्लामी आर्थिक प्रणाली के मार्ग में कोई उसूली रुकावट नहीं है । इस्लामी आर्थिक संस्थाएं भी क़ायम हैं और संस्थाएं भी क़ायम की जा सकती हैं और उन्हें और प्रभावशाली भी बनाया जा सकता है । अलबत्ता रियासत जिस पर शरई क़ानून के तहत तहसील की ज़िम्मेदारी है, की समस्या अभी शेष है ।

इस्लामी अर्थव्यवस्था में इस्लामी आर्थिक प्रणाली को बुनियादी महत्व हासिल है । इसके बिना इस्लामी अर्थव्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती । इस्लामी आर्थिक आचार में सच्चाई, ईमानदारी, अमानतदारी, वादा निभाना, नाप-तौल में खड़ा होना, लेने और देने के पैमाने में अन्तर न करना, अपना भला चाहने के लिए दूसरे को नुक़सान न पहुंचाना, बल्कि जहां तक संभव हो सके उनका भी भला चाहना, व्यक्तिगत हित हासिल करने के

लिए सामूहिक हित की अनदेखी न करना, अपने माल में से ज़रूरतमंदों और वंचितों का हक़ स्वीकार करना आदि-आदि...पर ज़ोर दिया गया है । इस विषय पर बहुत सारे लिट्रेचर मौजूद हैं । यहां हमें विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं ।

इस्लामी आर्थिक संस्थाओं में ज़कात, सदक़ात, औक़ाफ़, विरासत, सूद और जुवा पर रोक...दाख़िल है । ये संस्थाएं व्यक्तिगत पूंजी, कारोबार की आज़ादी और आपसी सहयोग के फ्रेमवर्क में काम करते हैं । इस फ्रेमवर्क की विशेषता यह है कि यह व्यक्तिगत सम्पत्ति और कारोबार की आज़ादी पर इस्लामी शर्तें लागू करता है । उसके अलावा वे ज़िम्मेदारियां जो मालिक और कारोबारी को अदा करनी है । इस्लामी आर्थिक आचार को जब तक इस तरह की इस्लामी संस्थाएं उपलब्ध न हों । इस्लामी अर्थव्यवस्था क़ायम नहीं हो सकती ।

भारत में ज़कात

भारत में बहुत से मुसलमान ज़कात अदा करते हैं । उश्र भी काफ़ी मात्रा में दिया जाता है । किसी हद तक देने वाले प्रत्यक्ष रूप से मुस्तहक़ीन को ज़कात पहुंचा देते हैं और शेष ज़कात कुछ संस्थाएं जमा करके उन्हें उन मदों में ख़र्च कर देते हैं जिनके बारे में क़ुरआनी हिदायतें मौजूद है ।

ज़रूरत इसकी है कि इस सिलसिले में आंकड़े जमा किये जाएं । इससे दो लाभ होंगे । एक यह कि हम मालूम कर सकेंगे कि ज़कात का अस्ल उद्देश्य जिसकी व्याख्या नबी (सल्ल॰) ने यह कहकर की है कि :

''तुम में से अमीर लोगों से लेकर तुम में जो ग़रीब हैं, उन्हें पहुंचायी जाती है । यह उद्देश्य पूरा हो रहा है या नहीं ।''

दूसरा लाभ यह होगा कि ज़कात को जमा करने और उसे बांटने की व्यवस्था को इस्लामी संस्थाओं से जोड़ने और इस तरह ज़कात, वक़्फ़, इस्लामी संस्थाओं, तीनों के सामूहिक प्रयास के माध्यम से मुसलमानों के कल्याण और देशवासियों के सामने इस्लाम की आर्थिक व्यवस्था की तर्जुमानी का एहतिमाम हो सकेगा । मेरा प्रस्ताव है कि भारत में ज़कात के माल को जमा करने और उसको बांटने की ज़िम्मेदारी ऐसी संस्था करे जिसका ज़कात से



कोई लेना-देना न हो ।

भारत में मुस्लिम औक़ाफ़

हमारा सौभाग्य है कि सन 2008 ई॰ में जनाब के॰ रहमान ख़ां की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय कमेटी बराये औक़ाफ़ ने एक व्यापक रिपोर्ट पेश की है । यह नौवीं रिपोर्ट अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों भाषाओं में उपलब्ध है । इस रिपोर्ट में औक़ाफ़ की मौजूदा स्थिति, औक़ाफ़ की सुरक्षा, विकास और उनसे लाभांवित होने के उपाय सुझाये गये हैं । आप इसका अवश्य अध्ययन करें । यहां केवल मौजूदा स्थिति के बारे में रिपोर्ट के कुछ अंश प्रस्तुत किये जा रहे हैं ।

''विभिन्न राज्यों में औक़ाफ़ की मौजूदगी से लोगों को अवगत नहीं कराया गया है और बहुत से लोगों ने मुतवल्लियों या औक़ाफ़ के मैनेजरों के साथ सांठ-गांठ करके वक़्फ़ की सम्पत्तियों पर ग़ैर-क़ानूनी तरीक़ों से क़ब्ज़ा कर लिया या उन्हें बेच दिया ।'' (पृष्ठ-11)

''वक़्फ़ बोर्डों की आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर है ।'' (पृष्ठ-411)

''जब तक वक़्फ़ बोर्ड माक़ूल अनुभवी और प्रोफ़ेशनल लोगों की नियुक्ति नहीं करेगा तब तक वह अपने किसी भी कल्याणकारी और विकास के काम को बेहतर नहीं कर सकते हैं ।'' (पृष्ठ-611)

''कमेटी मुस्लिम समाज से आग्रह करती है कि वक़्फ़ की सम्पत्ति के और अधिक स्थानांतरण को रोकने

के लिए और उन लोगों और संस्थाओं को बेनक़ाब करने के लिए आगे आएं जिन्होंने सम्पत्तियों को हड़प लिया है ।'' (पृष्ठ-822)

इस्लामी आर्थिक संस्थाएं

ऐसी इस्लामी आर्थिक संस्थाओं की स्थापना जो देश की क़ानून व्यवस्था की पाबन्दी करते हुए इस्लामी आदाब और शर्तों के अनुसार मुसलमानों की बचतों को जमा करें और उस पूंजी को इस तरह काम पर लगाएं कि लाभ और सरमायाकारी से जुड़े ख़तरों को उठाने में पूंजी लगाने वाले और कारोबारी दोनों शरीक हों, अभी तैयारी के मरहलों से गुज़र रहा है । उम्मीद की जाती है कि जल्द ही देश में ब्याजरहित लाभकारी सरमायाकारी की राहें खुल जाएंगी ।

ज़कात, वक़्फ़ और इस्लामी आर्थिक संस्थाओं के आपसी सम्पर्क और सहयोग का उद्देश्य मुसलमानों की सम्पत्तियों की रक्षा, उनको बढ़ाना और उच्च कार्यक्षमता की ज़मानत देना है । यह काम फ़क़ीहों, अर्थशास्त्रियों, एडमीनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट को मिलाकर करना है । इस्लामी संस्थाओं को वक़्फ़ की सम्पत्ति के विकास और उनकी आमदनी बढ़ाने के काम में हाथ बंटाना चाहिए । आज के फ़क़ीहों ने ज़कात से जमा की गयी सम्पत्ति को बढ़ाने के उपाय अपनाने, मुस्तहक़ लोगों को नक़द सहयोग करने के स्थान पर उनको आवश्यक वस्तुओं, भोजन व अन्य खाद्य सामग्री, ठिकाना, इलाज और शिक्षा आदि उपलब्ध कराने के जो तरीक़े सुझाये हैं उनको सामने रखिये । मलेशिया, उर्दुन और कुछ अन्य मुस्लिम देशों में इस सिलसिले में जो तरीक़े इस्तेमाल किये गये हैं उनका जायज़ा लीजिए और अपने देश के लिए एक कार्य योजना तैयार कीजिए । व्यावहारिक योजनाएं राज्य स्तर पर बना अधिक हितकारी होगा ।

सरकार की भूमिका

भारत सरकार का मुसलमानों की मज़हबी ज़िन्दगी में पहले भी अहम भूमिका रही है और अब उसमें और व्यापकता आ रही है । इस्लामी आर्थिक संस्थाएं इसी पहलू से विचार कर रही हैं । आशा की जाती है कि जब आप आगे हाथ बढ़ाएंगे तो दूसरी ओर से भी हाथ आगे बढ़ेगा ।

भारत के मुसलमान नागरिक ज़कात, वक़्फ़ और भागीदारी पर आधारित इस्लामी आर्थिक संस्थाओं के ज़रिया आयोजित किये जाने वाली कल्याणकारी स्कीमों को सरकारी योजनाओं के तहत लाकर अपने क्रियाकलाप को नियमित कर सकते हैं । माली दायरे में अमलदरामद की लगभग सभी धाराओं पर सारी दुनिया सहमत है । भारतीय क़ानून के तहत भी झूठ, धोखा, ग़लतबयानी, वादाख़िलाफ़ी आदि की रोकथाम, समझौतों और संधियों का सम्मान, नापतौल में कमीबेशी की रोक आदि शामिल हैं । प्रश्न केवल उन मामलों के सिलसिले में है जो Volountary Sector के बस से बाहर है और जिनके लिए Public Sector में काम होना है जैसे Monetary System, Taxation आदि ।

इन मामलों के सिलसिले में जो ज़्यादातर इज्तिहादी हैं, हमें जम्हूर के सामने पेश करके उनका समर्थन हासिल करना होगा । चूंकि जम्हूर आम मस्लिहत देखकर फ़ैसला करते हैं इसीलिए इसमें कोई उसूली रुकावट नहीं है ।

भारतीय मुसलमानों की आर्थिक स्थिति

मुसलमानों को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने और दौलत कमाने का बिला झिझक प्रयास करना चाहिए । अस्ल चीज़ नीयत है । अपनी ख़ुशहाली के बाद यदि दीन और मिल्लत और आम इन्सानों की भलाई को अपना मक़सद बना लिया तो जितना माल मिले ख़ुदा की देन है । ज़ाहिर है अल्लाह के इनामो-इकराम का हक़दार बनने के लिए शर्तें भी पूरी करनी होंगी । आध्यात्मिक शर्त सच्ची नीयत है तो भौतिक शर्त मेहनत, महारत और आपसी सहयोग है । कठिनाई यह है कि इस समय दीनदार मुसलमानों में इन तीनों तत्वों की कमी है । आलिमों और इस्लाम का प्रचार-प्रसार करने वालों को इस सिलसिले में आगे आना चाहिए और भारत में मुसलमानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए ।

मेहनत का अर्थ सबको मालूम है परन्तु 'महारत' का भाव समझना चाहिए । एक महारत वह है जिसकी काश्तकारों और मज़दूरों को ज़रूरत है । व्यापारियों और उद्यमियों को दूसरी तरह की महारत दरकार है । इंजीनियरों, डॉक्टरों, एकाउंटेंटों, बैंककारों और स्टाक एक्सचेंज वालों

को दूसरी तरह की महारत दरकार है । हर जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल और इंटरनेट के ज़रिया जानकारी हासिल करने का रिवाज है । अर्थात जितने काम उतनी महारतें । मुसलमानों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो ज़्यादा मेहनत और उच्च कोटि की महारत की चिंता करे ।

आलिमों, जिनको मुसलमानों की चिंता है उन्हें यह बताएं कि दीन के काम में परिपक्वता के लिए दुनिया के काम में परिपक्वता दरकार है ।

अब तक हम इस्लाम की आर्थिक शिक्षाओं का परिचय नज़रियाती तौर पर कराते रहे हैं । ज़ोर इस पर दिया जाता रहा है कि हमारे यहां तरक़्क़ी सामाजिक न्याय के साथ होगी । परन्तु इस दावे का समर्थन हमारे अमल से नहीं हो पाता । मुस्लिम देश इस सिलसिले में अपनी ज़िम्मेदारी किस हद तक अदा कर पाते हैं, वे जानें लेकिन हम भारतीय मुसलमानों को जो दुनिया के मुसलमानों के लगभग 10 प्रतिशत हैं अपनी ज़िम्मेदारियां समझनी चाहिए ।

भारत के संदर्भ में इस्लामी कार्यशैली अपनाने, इस्लामी आर्थिक संस्थाएं क़ायम करने और सरकार से सम्पर्क साधने पर हमारी संक्षिप्त बातचीत से ज़ाहिर है कि करने के बहुत से काम हैं ।

एक समय था जब नज़रियों में बड़ा आकर्षण था । लोग तक़रीरें सुनकर और किताबें पढ़कर अपना क़िब्ला बदल लेते थे । अब ऐसे लोग मुश्किल से ही मिलेंगे । अमल दरकार है ।

मुसलमान यदि इस्लामी आर्थिक आचार का प्रदर्शन करें तो उसका गहरा प्रभाव पूरे भारतीय समाज पर पड़ेगा । वह समाज जिसकी एक बड़ी समस्या, भ्रष्टाचार है । आपके औक़ाफ़ तरक़्क़ी करें तो आम भारतीयों को भी रोज़गार मिलेगा । आपकी ज़कात की बरकत से मुसलमान भिखमंगों और चीथड़े चुनने वालों (Rag pickers) की संख्या कम होगी । ब्याजरहित बैंककारी और भागीदारी पर आधारित सरमायाकारी की शुरुआत की प्रतीक्षा बहुत से भारतीय नागरिक भी कर रहे हैं । इस्लाम अर्थव्यवस्था पर काफ़ी लिट्रेचर उपलब्ध है । उसमें बराबर बढ़ोतरी हो रही है । ज़रूरत है भारत में उसके अमली प्रदर्शन की है, जिसके लिए अत्यधिक अवसर उपलब्ध हैं ।

मैं अल्लाह तआला से दुआ करता हूं कि हमें अपनी राहों में सक्रिय रहने की तौफ़ीक़ दे, आमीन !

''दीन का इल्म सीखो, और दीनी इल्म के लिए वक़ार व संजीदगी सीखो। और जिनसे तुम दीन का इल्म हासिल करो उनसे ख़ाकसाराना बर्ताव रखो।'' (हदीस)

Estd. 1984

इस्लामिक प्राइमरी एवं गर्ल्स जू० हा० स्कूल

रहमत नगर, गोरखपुर-273001

शहर गोरखपुर का एक माना-जाना स्कूल है इस स्कूल में असरी तालीम के साथ ही साथ दीनी तालीम का बेहतरीन इन्तिज़ाम है। बच्चों के अन्दर यह जज़्बा बेदार करना कि वह एक अच्छे शहरी के साथ-साथ एक अच्छा मुसलमान भी बने।

सदर
जनाब अज़ीज़ुल हई
फ़ोन : 0551-2292194

सिक्रेट्री
जनाब फ़रीद अहमद
फ़ोन : 0551-2291043
मोबाइल : 9460426453

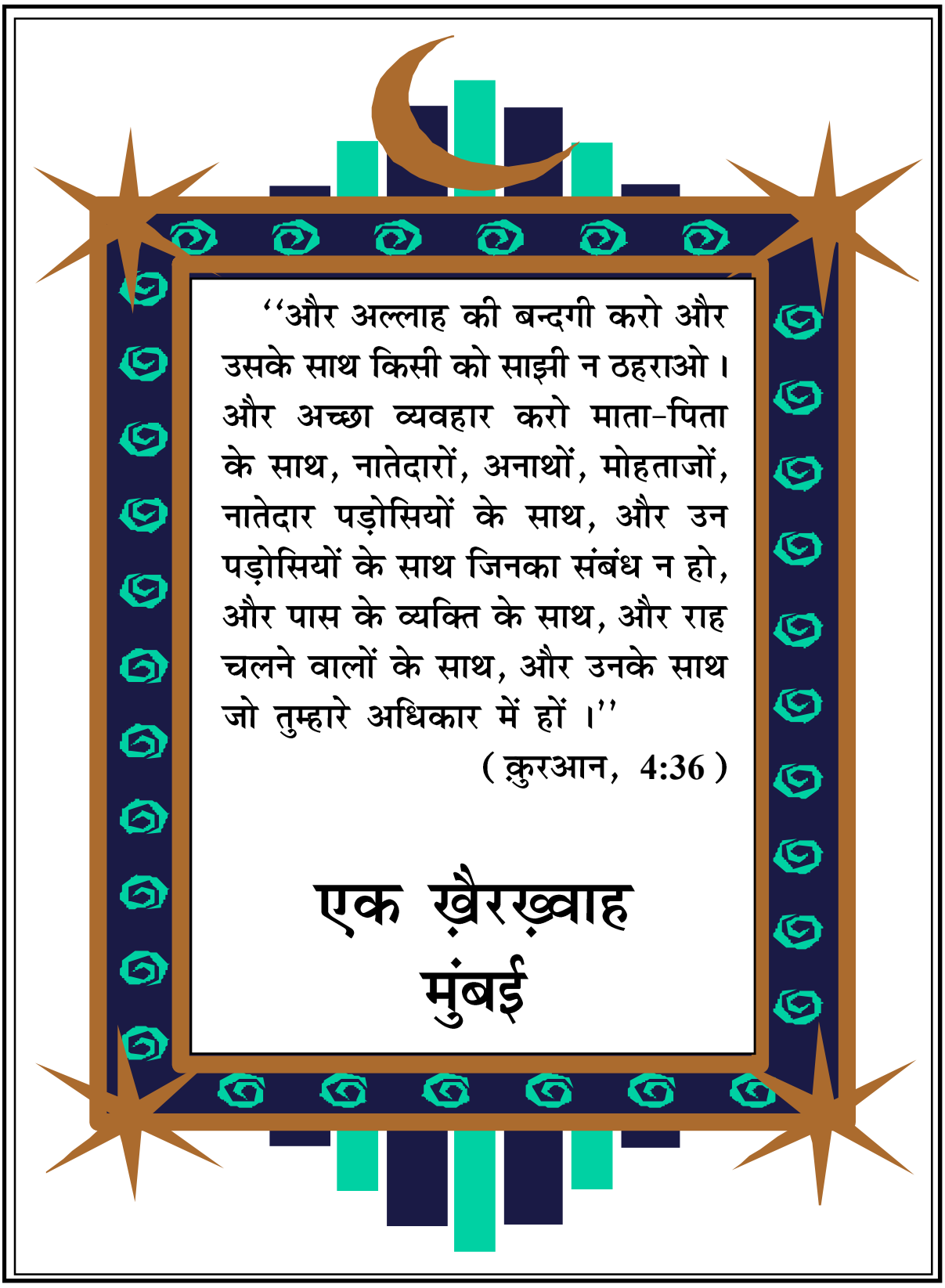

''और अल्लाह की बन्दगी करो और उसके साथ किसी को साझी न ठहराओ। और अच्छा व्यवहार करो माता-पिता के साथ, नातेदारों, अनाथों, मोहताजों, नातेदार पड़ोसियों के साथ, और उन पड़ोसियों के साथ जिनका संबंध न हो, और पास के व्यक्ति के साथ, और राह चलने वालों के साथ, और उनके साथ जो तुम्हारे अधिकार में हों।''

(क़ुरआन, 4:36)

एक ख़ैरख़्वाह

मुंबई

आधुनिक बैंकिंग

■ **मौलाना अबुल आला मौदूदी**

ब्याज के दोषों और उसकी बुराइयों को वर्तमान काल के बैंकिंग नामक संगठन ने कई गुना अधिक बढ़ा दिया है । यह आधुनिक बैंकिंग महाजनी और साहूकारी के पुराने तरीक़े के स्थान पर अस्तित्व में आयी है । इस संगठन ने प्राचीन सर्राफ़ की गद्दी पर वर्तमान काल के बैंकर और फाइनेंसर को ला उठाया है, जिसके हाथ में आकर ब्याज का हथियार प्रत्येक काल से अधिक विध्वंसक बन गया है ।

आरंभिक इतिहास : इस नयी साहूकारी व्यवस्था की प्रकृति को समझने के लिए आवश्यक है कि इसका आरंभिक इतिहास आपके सामने हो । पश्चिमी देशों में इसका आरंभ इस प्रकार हुआ : पहले जब काग़ज़ के नोट न छपते थे तो लोग अधिकतर अपनी संपत्ति सोने के रूप में इकट्ठी किया करते थे और उसे घरों में रखने के स्थान पर सुरक्षा हेतु स्वर्णकारों के पास रखवा देते थे । स्वर्णकार धरोहर रखने वाले (अमानतदार) को प्रत्येक धरोहर (अमानत) के बदले में सोने की मात्रा की रसीद लिखकर दे देता था । इस रसीद में यह भी लिखा होता था कि रसीद धारक का इतना सोना अमुक स्वर्णकार के पास सुरक्षित है । धीरे-धीरे ये रसीदें क्रय-विक्रय और ऋणों की अदायगी और लेन-देन के निबटारे में एक आदमी से दूसरे आदमी की ओर जाने लगीं । लेन-देन के अवसर पर सोना स्वर्णकार के यहां से निकलवाने की अपेक्षा सोने की रसीदें एक-दूसरे को दे देने में लोगों को सुगमता थी इसके माध्यम से व्यवसाय करना भी सरल हो गया था । लोगों के बीच ऐसी आपसी सहमति बन गयी थी कि रसीद को दे देने का अर्थ मानो सोना देने के हो गया था । इसलिए तमाम व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ये रसीदें अस्ल सोने की जगह लेती चली गयीं और ऐसी स्थिति बहुत कम आने लगी कि कोई व्यक्ति स्वर्णकार के यहां रसीद के पीछे सुरक्षित सोना निकलवाये । सोने निकलवाने की आवश्यकता बस उसी समय पड़ती थी जब किसी को स्वयं ही सोने की ज़रूरत होती थी वरना विनिमय-माध्यम की हैसियत से जितने काम सोने से चलते थे, वे सब हल्की-फुल्की रसीदों के द्वारा चल जाते थे । ये रसीदें इस बात की प्रतीक बन गयी थीं कि कौन कितने सोने का स्वामी है ।

अब स्वर्णकारों को लेन-देन के अनुभव से यह ज्ञात हुआ कि जो सोना उनके पास लोगों की धरोहरों का एकत्र है उसका मुश्किल से दसवां हिस्सा निकलवाया जाता है, बाक़ी 9 हिस्सा उनकी तिजोरियों में बेकार पड़े रहते हैं । उन्होंने सोचा कि इन 9 हिस्सों को उपयोग में क्यों न लाया जाए । अतएव उन्होंने यह सोना लोगों को ऋण के रूप में देकर उस पर ब्याज वसूल करना शुरू कर दिया और उसे इस प्रकार उपभोग में लाने लगा मानो वह उनकी अपनी सम्पत्ति है, हालांकि वस्तुत: वह लोगों की सम्पत्ति थी । और मज़े की बात यह है कि वे इस सोने के मालिकों से उसकी सुरक्षा के बदले में मुआवज़ा भी वसूल करते थे और चुपके-चुपके इसी सोने को ऋण के रूप में देकर उसका ब्याज भी प्राप्त कर लेते थे ।

फिर उनकी यह चालाकी और उनका विश्वासघात इस सीमा तक ही सीमित न रहा । वे अस्ल सोना ऋण के रूप में देने के स्थान पर उसकी कूत पर काग़ज़ी रसीदें बाज़ार में वे सारे काम कर रही थीं जो विनिमय-माध्यम की हैसियत से सोना करता था । एक बात यह भी थी कि लेन-देन के अनुभव से उन्हें ज्ञात हो चुका था कि सुरक्षित सोने का केवल दसवां हिस्सा ही व्यावहारत: वापस मांगा जाता है, इसलिए उन्होंने शेष 9 हिस्सों की कूत पर 9 की नहीं बल्कि 90 हिस्सों की जाली रसीदें बनाकर काग़ज़ी-सम्पत्ति की हैसियत से चलानी और ऋण के रूप में देनी आरंभ कर दीं । इसको मिसाल के द्वारा यूं समझा जा सकता है : यदि एक स्वर्णकार के पास एक व्यक्ति ने सौ रुपये का सोना जमा कराया था तो स्वर्णकार ने सौ-सौ रुपये की दस रसीदें बनायीं । उसने प्रत्येक रसीद पर लिखा कि इस रसीद के पीछे सौ रुपये का सोना मेरे पास जमा है । इन दस रसीदों

में से एक (जिसके पीछे वास्तव में सौ रुपये का सोना विद्यमान था) उसने सोना जमा कराने वाले को दे दी और शेष नौ सौ रुपये की 9 रसीदें (जिनके पीछे वस्तुत: कोई सोना मौजूद न था) दूसरे लोगों को ऋण के रूप में देना और उस पर उनसे ब्याज अर्जित करना आरंभ कर दिया ।

स्पष्ट है कि यह एक बड़ी धोखाधड़ी और छल-फ़रेब की बात थी । इस विश्वासघात और जालसाज़ी के द्वारा इन लोगों ने 90 प्रतिशत जाली रुपया बिल्कुल आधारहीन मुद्रा (Currency) के रूप में निर्मित कर डाला और यूं ही उसके मालिक बन बैठे और समाज के मत्थे उसके ऋण के रूप में लाद-लादकर इस पर दस-बारह प्रतिशत ब्याज की उगाही करने लगे । हालांकि न उन्होंने यह सम्पत्ति (सोना) अर्जित की थी, न किसी उचित तरीक़े से उसका स्वामित्व-अधिकार उन्हें प्राप्त था और न वह कोई वास्तविक रुपया था जिसको विनिमय माध्यम के रूप में बाज़ार में चलाना और उसके बदले में वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त करना किसी नैतिकता, अर्थव्यवस्था एवं क़ानून के उसूलों की दृष्टि से उचित हो सकता था । एक सहज स्वभाव वाला आदमी जब उनकी इस करतूत का वृत्तांत सुनेगा तो उसके मन में धोखा, छल-फ़रेब और जालसाज़ी के अपराध से संबंधित दंड-विधान की धाराएं आने लगेंगी और वह यह आशा लगाएगा कि इसके बाद फिर उन स्वर्णकारों पर मुक़दमा चलाया गया होगा लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ । इसके विपरीत ये स्वर्णकार लगातार जालसाज़ी करके उसके द्वारा देश के 90 प्रतिशत धन के स्वामी बन बैठे थे । स्थिति यह हो गयी थी कि स्वयं सरकारें लड़ाइयों के अवसर पर और आन्तरिक कठिनाइयों से छुटकारा पाने के लिए उनसे भारी ऋण ले चुकी थीं । अब किसी में साहस नहीं था जो यह प्रश्न करता कि ये लोग कहां से इतनी बड़ी पूंजी के स्वामी हो गये ? फिर जैसा कि हम अपनी पुस्तक ''इस्लाम और आधुनिक आर्थिक दृष्टिकोण'' में बयान कर चुके हैं, पुरानी जागीरदारी प्रथा के मुक़ाबले में जो नयी बुर्जुआ संस्कृति सम-धर्मिता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र के ज़बरदस्त शस्त्र लेकर पुनरुत्थान काल में उठ रही थी उसके अगुआ और नायक यही साहूकार और कारोबारी लोग थे जिनकी पीठ पर दर्शन और साहित्य एवं कला का एक बड़ा वर्ग प्रत्येक उस व्यक्ति और समूह पर हल्ला बोल देने के लिए तैयार था जो मि॰ गोल्ड स्मिथ (ब्रिटिश अर्थशास्त्री) की बड़ी पूंजी के स्रोत का पता लगाने का साहस करता । इस प्रकार वह धोखाधड़ी और जालसाज़ी जिससे यह धन अर्जित किया गया था, क़ानून की पकड़ में न केवल बचा ही रहा बल्कि क़ानून ने इसे बिल्कुल वैध मान लिया और सरकारों ने अब बैंकर और बन चुके स्वर्णकारों का यह हक़ स्वीकार कर लिया कि वे नोट जारी करें । उनके जारी किये हुए नोट विधिवत् काग़ज़ी मुद्रा की हैसियत से व्यावसायिक जगत में चलने लगे ।

दूसरा चरण : यह थी उस पूंजी की वास्तविकता जिसके बलबूते पर पुराने स्वर्णकार आधुनिक काल के साहूकार और धन-राज्य के शासक बने । इसके पश्चात उन्होंने एक क़दम और बढ़ाया जो पिछले क़दम से भी अधिक उपद्रवकारी था ।

इस जाली पूंजी से शक्ति लेकर यह आधुनिक साहूकारी जिस समय सिर उठा रही थी, यह वही समय था जब पश्चिमी यूरोप में उद्योग और व्यापार बाढ़ की तरह पूरी तेज़ी के साथ बढ़ रहे थे और सारे संसार पर अपनी चौधराहट क़ायम करना चाहते थे । साथ ही उस समय संस्कृति और सभ्यता का एक नया भवन निर्मित हो रहा था जो विश्वविद्यालयों से लेकर नगरपालिकाओं तक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आधुनिक निर्माण करना चाहता था । इस अवसर पर प्रत्येक क़िस्म के आर्थिक और सामाजिक (रहन-सहन संबंधी) कार्यों के लिए पूंजी की आवश्यकता थी । नये-नये उद्योग धंधे और व्यापार को शुरू करने के लिए पूंजी की आवश्यकता थी । पहले से चलते हुए व्यवसाय अपनी उन्नति और विकास के लिए दिन-प्रतिदिन बड़ी मात्रा में पूंजी के इच्छुक थे और सांस्कृतिक एवं सामाजिक उन्नति के लिए बनाए गये विभिन्न व्यक्तिगत और सामूहिक प्रस्तावों को आरंभ करने और उसे बढ़ाने के लिए भी पूंजी की आवश्यकता थी । इन सब कार्यों के लिए स्वयं कर्मचारियों की अपनी निजी पूंजी किसी भी रूप में पर्याप्त न थी । अब आख़िरकार दो ही साधन थे जिनसे यह जीवन-रक्त (पूंजी) इस आधुनिक सभ्यता की तरुणाई की आभा के लिए एक साथ पहुंच सकता था :

(1) वह पूंजी जो पहले के स्वर्णकारों और हाल के साहूकारों के पास थी ।

(2) वह पूंजी जो मध्यम और समृद्धिशाली वर्गों के पास संचित आय के रूप में इकट्ठी थी ।

इनमें से पहले क़िस्म की पूंजी तो थी ही साहूकारों के क़ब्ज़े में, और वह पहले से सूदख़ोरी करते थे । इसलिए उसका एक भाग भी भागीदारी के सिद्धांत पर किसी भी कार्य में लगाया नहीं जा सकता था । इसके द्वारा जितना रुपया भी शिल्पकारों, व्यापारियों और दूसरे आर्थिक जगत के कार्यकर्ताओं को मिला वह ऋण के रूप में मिला और इस शर्त पर प्राप्त हुआ कि चाहे उनको लाभ हो या हानि और चाहे उनका लाभ कम हो या अधिक किसी भी रूप में साहूकार को उन्हें एक नियत दर के अनुसार लाभ प्रदान करना होगा ।

इसके पश्चात केवल दूसरा ही साधन ऐसा रह जाता था जिससे आर्थिक कारोबार और निर्माण एवं उन्नति के कार्यों की ओर पूंजी अच्छी और उत्तम रूप से प्राप्त हो सकती थी, किन्तु साहूकारों ने एक ऐसी चाल चली जिससे वह साधन भी उन्हीं के क़ब्ज़े में चला गया और उन्होंने इसके लिए भी रहन-सहन और अर्थव्यवस्था के मामलों की ओर जाने के एक ब्याज रूपी ऋण के दरवाज़े के अतिरिक्त सारे दरवाज़े बन्द कर दिये । साहूकारों की चाल यह थी कि उन्होंने ब्याज का लाभ लेकर तमाम ऐसे लोगों की पूंजी भी अपने पास खींचना शुरू कर दिया जो अपने आवश्यकता से अधिक आय संचित रखते थे या अपनी आवश्यकताएं रोक कर कुछ न कुछ जमा करने के अभ्यस्त थे । यह बात ऊपर आपको मालूम हो चुकी है कि यह स्वर्णकार-साहूकार पहले से इस प्रकार के लोगों के साथ मेल-जोल रखते थे और उनकी जमा पूंजी उन्हीं के पास अमानत रहा करती थी । अब उन्होंने देखा कि ये लोग अपनी पूंजी को व्यवसाय में लगाने लगे हैं और उनकी संचित सम्पत्तियां हमारे पास आने के बजाय कंपनियों के शेयर (Shares) ख़रीदने में अधिक लगने लगी हैं, तो उन्होंने कहा कि आप लोग यह कष्ट क्यों उठाते हैं ? इस प्रकार तो आपको स्वयं भागीदारी के मामले हल करने होंगे, स्वयं हिसाब-किताब रखना होगा और सबसे अधिक यह कि इस तरीक़े से आपको हानि भी उठानी पड़ सकती है और लाभ का उतार-चढ़ाव भी आपकी आय को प्रभावित करता रहेगा । इसकी अपेक्षा आप अपनी सम्पत्तियां हमारे पास जमा कराएं । हम इनकी सुरक्षा भी बिना किसी मुआवज़े के करेंगे, इनका हिसाब-किताब भी मुफ़्त रहेगा और आपसे कुछ लेने की अपेक्षा उल्टे आपको ब्याज देंगे ।

तीसरा चरण : इसके पश्चात इस गिरोह ने तीसरा क़दम उठाया और अपने व्यवसाय को वह रूप दिया, जिसे अब आधुनिक साहूकारी व्यवस्था कहा जाता है । पहले ये लोग व्यक्तिगत रूप ये यह काम करते थे, यद्यपि कुछ साहूकार घरानों का आर्थिक व्यवसाय बढ़ते-बढ़ते भव्यतम संस्थाओं का रूप ग्रहण कर चुका था । इन संस्थाओं की शाखाएं दूरस्थ स्थानों पर भी स्थापित हो गयी थी, लेकिन बहरहाल ये अलग-अलग घराने थे और अपने ही नाम पर काम करते थे । फिर उनको यह सूझी कि जिस प्रकार व्यवसाय के सारे विभागों में संयुक्त-पूंजी की कंपनियां स्थापित हो रही हैं, उसी प्रकार रुपये के व्यवसाय की भी कंपनियां स्थापित की जाएं और बड़े पैमाने पर इनको संगठित किया जाए । इस प्रकार बैंकों का आविर्भाव हुआ, जिनका आज सारी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था पर प्रभुत्व है ।

इस आधुनिक बैंकिंग संगठन की कार्यविधि संक्षेप में यह है कि कुछ पूंजीपति मिलकर एक साहूकारी संस्था स्थापित करते हैं, जिसका नाम बैंक है । इस संस्था में दो प्रकार की पूंजी का इस्तेमाल होता है । एक भागीदारों की पूंजी, जिससे कार्य प्रारंभ किया जाता है । दूसरी अमानतदारों या खातेदारों (Depositors) की पूंजी, जो बैंक का काम और नाम बढ़ने के साथ-साथ अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त होती जाती है और इसी के कारण बैंक के प्रभाव और उसकी शक्ति और ताक़त में वृद्धि होती चली जाती है । एक बैंक की सफलता का वास्तविक मानदंड यह है कि उसके पास उसकी अपनी निजी पूंजी (अर्थात भागीदारों की लगायी हुई पूंजी) कम से कम हो और लोगों की रखवायी हुई रक़में ज़्यादा से ज़्यादा हों । उदाहरण के रूप में पंजाब नेशनल बैंक को लीजिए, जो आज़ादी के पहले के बड़े सफल बैंकों में से था । इसकी अपनी पूंजी केवल एक करोड़ थी, जिसमें से 80 लाख से कुछ ही अधिक रुपया भागीदारों

ने व्यावहारत: चुकता किया था, परन्तु 1948 ई॰ में यह बैंक लगभग 52 करोड़ रुपये की वह पूंजी इस्तेमाल कर रहा था, जो अमानत रखवाने वालों (जमाकर्ताओं) ने जुटायी थी ।

दिलचस्प बात यह है कि बैंक अपना सारा काम तो ख़ातेदारों या अमानतदारों के रुपये से चलाता है । इनकी दी हुई पूंजी बैंक की समग्र पूंजी (Gross Capital) में 90-95 प्रतिशत बल्कि 98 प्रतिशत तक होती है, लेकिन बैंक के प्रबंध और उसकी नीति में उनका कोई दख़ल नहीं होता । यह चीज़ पूर्णत: न भागीदारों के हाथ में होती है जो बैंक के स्वामी होते हैं और जिनकी पूंजी समग्र पूंजी की केवल दो-तीन या चार-पांच प्रतिशत होती है । अमानतदारों या ख़ातेदारों का काम केवल यह है कि अपना रुपया बैंक में डाल दें और इससे एक विशेष दर के अनुसार ब्याज प्राप्त करते रहें । रही यह बात कि बैंक इस रुपये को किस प्रकार उपभोग में लाता है, इस विषय में वे कुछ नहीं बोल सकते, इसका संबंध केवल भागीदारों से है । वही प्रबंधकों का चयन करते हैं, वही नीति निर्धारित करते हैं, वही प्रबंध और हिसाब-किताब की देख-रेख करते हैं और उन्हीं के इच्छानुसार इस बात का निर्णय किया जाता है कि पूंजी किधर जाए और किधर न जाए । फिर भागीदारों में सब समान नहीं होते । विभिन्न छोटे-छोटे भागीदारों का प्रभाव बैंक के प्रबंध पर नाममात्र का होता है । वस्तुत: कुछ बड़े और भारी भागीदारों का ही पूंजी के वृद्धि (Surge) पर आधिपत्य रहता है और वही इसे उपभोग में लाते रहते हैं ।

बैंक में जो अमानतें (धरोहर) रखवायी जाती हैं, वे मुख्यत: दो प्रकार की होती हैं । पहली, आबद्ध (Fixed) और दूसरी, चालू (Current)। पहली प्रकार की अमानतें कम से कम तीन महीने या इससे अधिक अवधि के लिए बैंक में जमा की जाती हैं और दूसरी प्रकार की अमानतों में से प्रत्येक समय आदमी लेता-देता रहता है । बैंक का नियम यह है कि कोई रक़म जितनी अधिक अवधि के लिए उसके पास रखवायी जाए, उस पर वह उतनी ही अधिक ब्याज-दर देता है और अवधि जितनी कम होती है, उसकी ब्याज-दर उतनी कम हो जाती है । कुछ बैंक चालू खाते (Current Account) पर नाममात्र का कुछ ब्याज दे देते हैं, लेकिन सामान्यत: अब इस पर ब्याज देने का नियम नहीं है । इसके विपरीत जो लोग अपने चालू खाते में से बहुत अधिक और बार-बार रक़में निकालते रहते हैं उनसे बैंक या तो उसका हिसाब-किताब रखने की मज़दूरी प्राप्त करते हैं या उनसे अपेक्षा करते हैं कि विशेष अनुपात के अनुसार अपनी रक़म का कुछ भाग बैंक में स्थायी रूप से रखवा दें ताकि इसके ब्याज से वह ख़र्च निकल आये, जो वह इनका हिसाब-किताब रखने पर सहन करता है ।

बैंक अपनी पूंजी का एक भाग (लगभग 10 से 25 प्रतिशत तक) नक़द अपने पास रखता है, ताकि वह दिन-प्रतिदिन के लेन-देन में काम आ सके । इसके पश्चात कुछ पूंजी मुद्रा बाज़ार (Money-Market) को ऋण के रूप में दी जाती है । यह लगभग नक़दी की तरह प्राप्य और प्रायोज्य (Liquid) रहता है और इस पर ½ से एक प्रतिशत तक ब्याज प्राप्त हो जाता है । फिर एक भाग हुंडी (Bill of Exchange) के कारोबार और दूसरे अल्पकालीन ऋणों में व्यय किया जाता है । इनकी वापसी भी चूंकि जल्दी-जल्दी होती रहती है, इसलिए इन पर भी ब्याज कम लगता है उदाहरणार्थ 2 से 5 प्रतिशत तक या इससे न्यूनाधिक । इसके पश्चात पूंजी का बड़ा भाग ऐसी चीज़ों पर लगाया जाता है, जिनमें पूंजी के सुरक्षित रहने का भी अधिक भरोसा होता है । आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बेच कर भी पूंजी वापस निकाली जा सकती है और फिर उन पर दो-चार प्रतिशत ब्याज भी प्राप्त हो जाता है ।

परिणाम : इस कार्य-पद्धति के साहूकार संगठन के अस्तित्व में आने का परिणाम यह हुआ कि अपने ज़माने के एकाकी और बिखरे महाजनों की अपेक्षा आज के संगठित और व्यवस्थित साहूकारों का मान-सम्मान, प्रभाव एवं विश्वास कुछ बढ़ गया और पूरे-पूरे देश की सम्पत्ति सिमट कर उनके पास चली गयी । अब अरबों रुपये की पूंजी एक-एक बैंक में इकट्ठा हो जाती है, जिन पर कुछ प्रभावशाली साहूकारों का एकाधिकार होता है स्वेच्छापूर्वक उसे व्यय करते हैं । ये साहूकार इस साधन से न केवल अपने देश की बल्कि दुनिया भर के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर विचित्र स्वार्थपरता साथ शासन करते रहते हैं ।

इस्लामी बैंकिंग : एक परिचय

● डॉ० फ़रहत हुसैन
(रामनगर, नैनीताल)

इस्लाम मानवीय जीवन के प्रत्येक पहलू के लिए मार्गदर्शन करता है । इसलिए उसमें मनुष्य के आर्थिक पक्ष को समुचित महत्व देते हुए तत्संबंधी सिद्धांत प्रस्तुत किये गये हैं । ब्याज क्योंकि अन्यायपूर्ण है, समाज के एक वर्ग (संपन्न) को अनुचित लाभ पहुंचाता है, सर्वसाधारण के शोषण का माध्यम बनता है, समाज में आर्थिक विषमता को बढ़ाता है जिसमें संपन्न तथा असंपन्न के बीच वर्ग संघर्ष को बढ़ावा मिलता है, मनुष्य में लोभ-लालच, भौतिकता तथा स्वार्थ की मानसिकता में अत्यधिक वृद्धि होती है इसलिए इस्लाम ने ब्याज रहित (Interest-less) आर्थिक प्रणाली प्रस्तुत की तथा उसे क्रिया रूप प्रदान किया ।

इसमें सन्देह नहीं कि बचतकर्ता बचत करके अपना धन उद्यमी को देता है उसे प्रतिफल अवश्य मिलना चाहिए । परन्तु विचारणीय प्रश्न यह है कि वह प्रतिफल केवल 'ब्याज' है अथवा उसका कोई अन्य न्यायपूर्ण विकल्प भी उपलब्ध है । इस्लामी आर्थिक प्रणाली ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया है उसमें पूंजी उपलब्ध कराने वाले को ब्याज के बजाय उद्यमी के व्यवसाय में भागीदार बनाया गया है ।

ब्याज की विध्वंस-कारी प्रकृति को अब लगभग सभी स्वीकारने लगे हैं, परन्तु प्रश्न यह करते हैं कि क्या वर्तमान युग में इससे छुटकारा संभव है ? संपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था ब्याज पर आधारित है । ब्याज को समाप्त करके बैंकिंग व्यवस्था कैसे संचालित होगी ?

अधिकांश मुस्लिम अर्थशास्त्री तथा अनेक अन्य धर्मों के मानने वाले विद्वान मानते हैं कि ब्याज के बग़ैर भी बैंकिंग एवं वित्त व्यवस्था निर्बाध रूप से चलेगी । परन्तु कुछ बुद्धिजीवी ब्याजरहित बैंकिंग की कल्पना से ही घबराते हैं । उनका तर्क है कि जिस प्रकार प्रत्येक वस्तु या सेवा का मूल्य उसकी मांग तथा पूर्ति के आधार पर निर्धारित होता है ठीक उसी प्रकार पूंजी की मांग और उसकी पूर्ति के द्वारा जो मूल्य या प्रतिफल तय होता है वह ब्याज है । यदि ब्याज को हटा दिया जाए तो वित्तीय साधन एकत्रित नहीं होंगे और पूंजी निर्माण नहीं होगा ।

साधारण शब्दों में उनके तर्क का आशय है कि लोग ब्याज की प्राप्ति के लिए बचत करते हैं । यह बचतें इकट्ठी होकर पूंजी बनती हैं और व्यापार, व्यवसाय तथा उद्योग में निवेश (invest) होती है । ब्याज के अभाव में लोग बचत नहीं करेंगे जिससे वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी ।

इसमें सन्देह नहीं कि बचतकर्ता बचत करके अपना धन उद्यमी को देता है उसे प्रतिफल अवश्य मिलना चाहिए । परन्तु विचारणीय प्रश्न यह है कि वह प्रतिफल केवल 'ब्याज' है अथवा उसका कोई अन्य न्यायपूर्ण विकल्प भी उपलब्ध है । इस्लामी आर्थिक प्रणाली ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया है उसमें पूंजी उपलब्ध कराने वाले को ब्याज के बजाय उद्यमी को व्यवसाय में भागीदार बनाया गया है ।

अध्ययन बता रहे हैं कि ब्याजरहित व्यवस्था पूंजी निर्माण को भली-भांति प्रोत्साहित करती है साथ ही मनुष्य के आर्थिक कल्याण में आश्चर्यजनक वृद्धि होती है । कारण यह है कि निवेशकर्ता व्यवसाय की समता में सहभागिता (Equity Participation) करता है । धन उत्पादक कार्यों में लगता है । सट्टा आदि अनुत्पादक तथा अनार्थिक कार्य हतोत्साहित होते हैं । ऋणों पर निर्भरता कम होने तथा समता सहभागिता के कारण रोज़गार के अवसर निश्चित रूप से बढ़ते हैं ।

जैसा कि ऊपर कहा गया पूंजी धारक अपना धन व्यवसाय को उधार नहीं देता बल्कि उस व्यवसाय में भागीदार बनकर विनियोग करता है । पूर्व निर्धारित ब्याज दर के स्थान पर लाभ के रूप में प्रतिफल पाने का हक़दार बनता है, साथ ही हानि होने की दशा में उसका भार उठाने का जोखिम भी लेता है । ब्याज आधारित प्रणाली में समस्त दौड़-धूप और जोखिम उद्यमी के सिर पर रहती है पूंजी धारक तो ब्याज की दर तय करके परजीवी के रूप में समाज को खोखला करता रहता है । विषम परिस्थितियों में उद्यमी की सहायता करने के बजाय उलटे अपना धन वापस प्राप्त करने के यत्न करने लगता है । कितना बड़ा अन्तर है दोनों परिस्थितियों में ? इसलिए क़ुरआन ने कितनी सुन्दर बात कही–

"जो लोग ब्याज खाते हैं उनकी दशा उस व्यक्ति की सी होती है जिसे शैतान ने छूकर बावला बना दिया है ।" (क़ुरआन, 2:275)

शिरकत तथा मुज़ारबत

व्यवसाय में वित्तीय भागीदारी की दो प्रमुख रीतियां हैं । यदि निवेशकर्ता सक्रिय साझेदार (Active Partner) बनता है तो यह 'शिरकत' कहलाती है । इसमें लाभ होने पर उसकी प्राप्ति अनुबंध के अनुसार होगी । हानि होने पर विनियोजित धन राशि के अनुपात में उसे वहन करना होगा । यदि निवेश- कर्ता व्यापार प्रबंधन में सक्रिय योगदान नहीं करना चाहता, केवल धन का निवेश चाहता है तो यह 'मुज़ारबत' कहलाता है । इसमें जो साझेदार वित्तीय साधन नहीं जुटा रहा है वह लाभ में तो भागीदार होता है परन्तु हानि में नहीं । हानि, धन के विनियोग करने वाले को ही वहन करना पड़ता है ।

विनियोग की इस प्रक्रिया हेतु शेयर बाज़ार, वित्तीय संस्थाएं तथा इस्लामी बैंक मध्यस्थ के रूप में कार्य कर सकते हैं । इस व्यवस्था में ब्याज कहीं भी नहीं, फिर भी संपूर्ण वित्त व्यवस्था कुशलतापूर्वक चलती है । इसमें निवेशकर्ता को लाभ का जो भाग प्राप्त होता है वह प्रायः ब्याज की प्रचलित दरों से अधिक ही होता है और यदि कम भी हो तब भी न्यायपूर्ण होता है । साथ ही उद्योग व्यापार व्यवसाय तथा रोज़गार हेतु अनुकूल माहौल बनता है जिसमें अन्याय, शोषण, अत्याचार एवं अविश्वास नहीं होता ।

उपरोक्त सहभागिता की दोरीतियों 'शिरकत' तथा 'मुज़ारबत' के अतिरिक्त इस्लामी शरीअत ने कुछ अन्य रीतियां भी वैध घोषित की हैं । इसमें क़िस्त भुगतान पद्धति, एडवांस भुगतान पद्धति, ठेका पद्धति (भवन अथवा किसी वस्तु के निर्माण के संबंध में) मुख्य है । इन पद्धतियों के तकनीकी नामों तथा उनकी व्याख्या की यहां आवश्यकता नहीं । बताने का उद्देश्य यह है कि शरीअत के सिद्धांतों के अन्तर्गत पूर्ण वित्त प्रबंधन (Financing) तथा बैंकिंग, ब्याज की लानत के बग़ैर संभव है ।

इतिहास की गवाही

पश्चिमी विद्वान संपूर्ण विश्व को यह विश्वास दिलाने में सफल रहे कि ब्याज का कोई भी विकल्प व्यावहारिक नहीं है । जबकि इतिहास के पन्ने गवाह हैं कि आधुनिक बैंकिंग के समस्त कार्य ब्याजरहित रूप से बड़े पैमाने पर मुस्लिम देशों में संपन्न होते थे । इन देशों को जब यूरोपवासियों ने अपना उपनिवेश बनाया तो पुराने संस्थाओं को बलपूर्वक समाप्त करके ब्याज आधारित संस्थाएं स्थापित कर दीं ।

ख़लीफ़ा अल-मुक़्तदिर (908- 933 ई॰) के युग में ये फाइनेन्सर 'सर्राफ़' कहे जाते थे । वाल स्ट्रीट की भांति इनकी मार्केट थी । आम जनता तथा निवेश के इच्छुक संपन्न लोगों की जमा राशियों (Deposits) को एकत्रित करके इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार व्यापार व्यवसाय में लगाते थे । इस वित्त व्यवस्था के सहारे ही अरब व्यापारियों का कारोबार दूरस्थ क्षेत्रों तक फैला जिसकी गवाही इतिहास के अतिरिक्त मुस्लिम देशों के उन सिक्कों से भी मिलती है जो खोदाई में रूस, फिनलैंड, नार्वे तथा ब्रिटेन के द्वीपों में पाये गये हैं । स्पष्ट है कि अरबों का व्यापार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर था और उसमें ब्याज का चलन नहीं था ।

उस व्यवस्था में आर्थिक संपन्नता में अत्यधिक वृद्धि हुई । जैसे ही यूरोप के देशों ने इन देशों में राजनैतिक सत्ता पर क़ब्ज़ा किया ब्याज आधारित व्यवस्था लागू कर दी। वास्तविकता यह है कि ब्याज आधारित व्यवस्था ने केवल संपन्न वर्ग का ही भला किया। दावे तो संपूर्ण मानव कल्याण के किये गये परन्तु मनुष्य का

कल्याण नहीं हुआ । दवा के नाम से विष देने पर रोगी की जो स्थिति होगी वही मनुष्य की आर्थिक स्थिति की हुई । क्या इस व्यवस्था को बदल कर उसके विकल्प पर विचार करना अनुचित है ? मात्र इसलिए कि वैकल्पिक व्यवस्था धर्म आधारित है ।

उपरोक्त विवेचना पर आपत्ति दर्ज की जा सकती है कि ये तो अतीत की मिसालें हैं । आज के विकसित समाज में जहां वैश्वीकरण हो चुका है, सूचना प्रौद्योगिकी ने क्रान्ति पैदा कर दी है पुराना सिस्टम काम नहीं करेगा ।

वास्तविकता यह है कि आधुनिक अर्थशास्त्री आज यह सोचने पर विवश हैं कि ब्याज आधारित व्यवस्था में "मर्ज़ बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की"। एक अवास्तविक एवं अस्वाभाविक सिस्टम को लागू करने पर मिल्स एवं प्रेसले का मत है–

"अगर हम पलट कर अतीत पर दृष्टि डालें तो इस बात पर विश्वास करने के लिए समुचित तर्क है कि काश सोलहवीं शताब्दी में यूरोप में ब्याज निषेध का विरोध न किया गया होता । ब्याज के निषेध के नैतिक पहलू के पीछे जो व्यावहारिक हिकमत (Practical Wisdom) है उस समय उसका ठीक-ठीक आभास नहीं था ।"

(Mills & Presley, Islamic Finance : Theory and Practice, London Macmillan 1999) P. 120

वर्तमान युग में ब्याजरहित बैंकिंग अर्थात इस्लामी बैंकिंग सफलतापूर्वक चल रही है । पहला पूर्ण ब्याजरहित बैंक 1975 में दुबई में स्थापित किया गया । उसके बाद अनेक बैंक खुले । इस समय लगभग 180 ऐसे बैंक और वित्तीय संस्थाएं कार्य कर रही हैं । जिनकी कुछ संपत्तियां 147.7 बिलियन डॉलर है । इनके अतिरिक्त परम्परागत बैंकों ने ब्याज-रहित खिड़कियां (PLS Windows) खोलकर आश्चर्यजनक स्तर पर कारोबार किया है । इंडोनेशिया, मलेशिया के अतिरिक्त अभी हाल ही में ब्रिटेन में यू॰के॰ इस्लामिक बैंक की स्थापना ने सबको चकित कर दिया है ।

इस्लामी अर्थशास्त्रियों ने इस प्रणाली के प्रत्येक पहलू पर विस्तृत लिट्रेचर उपलब्ध करा दिया है । ग़ैर-मुस्लिम स्कॉलर्स एवं संस्थाएं भी इस वैकल्पिक व्यवस्था में रुचि दिखा रहे हैं । इसमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (IMF) तथा विश्व बैंक भी शामिल है । पश्चिमी विश्वविद्यालयों में इस्लामी आर्थिक प्रणाली तथा इस्लामिक बैंकिंग पर सेमीनार, सिम्पोज़ियम, कान्फ्रेंस आयोजित हुए तथा कुछ ने स्नातकोत्तर तथा शोध डिग्री कोर्स भी शुरू किये हैं, जिनमें प्रमुख लंदन स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स, हारवर्ड लॉ स्कूल, अमेरिका, राईस विश्वविद्यालय, अमेरिका प्रमुख हैं ।

इस्लामी वित्त प्रणाली (Islamic Finance) के लोकप्रिय होने का कारण यह है कि पिछले तीन दशकों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बार-बार गंभीर संकट आये हैं । शोधकर्ता एक नयी व्यवस्था की खोज में हैं । विशेषज्ञ इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि वित्तीय प्रबंधन में पूंजी का निवेश (Investment) समता सहभागिता (Equity Participation) पर आधारित होना चाहिए । ऋणों पर निर्भरता कम से कम की जाए तभी आर्थिक एवं वित्तीय संकटों से बचा जा सकता है । शोध का यही निष्कर्ष इस्लामी व्यवस्था की ओर सभी का ध्यान खींच रहा है ।

"व्यापार, जिसमें रब की नाफ़रमानी के तरीक़े न अपनाये जाएं और अपने हाथ से काम करना–ये दोनों जीविका अर्जित करने के सर्वोत्तम तरीक़े हैं ।"

(हदीस)

Jb. Kalimullah Choudhry

हज़रत अबू अब्दुर्रहमान अब्दुल्लाह बिन
मसऊद (रज़ि॰) कहते हैं कि मैंने नबी
(सल्ल॰) से पूछा : ''कौन-सा कर्म
अल्लाह तआला को सबसे
बढ़कर प्रिय है ?'' आप
(सल्ल॰) ने कहा :
''नमाज़ उसके
अपने समय पर
पढ़नी ।'' मैंने कहा, फिर
कौन-सा ? आप (सल्ल॰) ने कहा :
''माता-पिता के साथ अच्छा व्यवहार करना ।''
फिर कौन-सा ? आप (सल्ल॰) ने कहा :
''अल्लाह की राह में जिहाद करना ।''
(बुख़ारी, मुस्लिम)

A WELL WISHER
MUMBAI

आदर्श बैंकिंग

'भारत के लिए इस्लामी बैंकिंग एक आदर्श है । जितनी जल्दी हो सके, इसे यहां शुरू करना चाहिए, ताकि खाड़ी देशों के निवेश को समय रहते आकर्षित किया जा सके । यह काम जल्दी करने का है । ऐसा न हो कि देर हो जाए ।'

● अब्दुर्रक़ीब, कन्वीनर,
नेशनल कमेटी ऑन इस्लामी बैंकिंग

■ **सग़ीर किरमानी**

इस्लामी बैंकिंग वास्तव में हर इन्सान के दिल में छुपा विशुद्ध मानवीय एहसास है, जो दूसरों का भला करने के लिए आपको हर वक़्त उकसाता रहता है । दूसरों के काम आओ, दूसरों की मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा न उठाओ । यह वास्तविक धर्म (इस्लाम) की शिक्षा है । इसी एहसास के तहत कहा जाता है कि दूसरों की मदद तो ज़रूर करो, मगर इसके बदले में उनसे कुछ लो नहीं । फिर परमेश्वर से बदले की अपेक्षा करो । अगर किसी को क़र्ज़ दे रहे हो तो ब्याज न लो । यह भाव सार्वभौमिक और सार्वकालिक सच्चाई है । मगर इस्लाम ने सूद न लेने पर इतना ज़्यादा ज़ोर दिया है कि ग़ैर-सूदी अर्थव्यवस्था को 'इस्लामी' कहा जाने लगा । आज भी जहां दुनिया भर में ब्याज पर आधारित अर्थव्यवस्था क़ायम है, वहीं इस्लामी देश ग़ैर-सूदी कारोबार पर ज़ोर दे रहे हैं ।

इस्लाम ने सूद लेने और देने को एकदम हराम क़रार दिया है । क़ुरआन शरीफ़ में इसके आदेश हैं । इस्लामी अवधारणा बैंकों को भी ब्याज लेने और देने की इजाज़त नहीं देती । बैंकों में लोग पैसा जमा करते हैं । इसे बैंक 'लायबिलिटीज' (दायित्व) कहता है । वह लोगों की जमा रक़म से लोगों को क़र्ज़ देता है और सूद कमाता है । दोनों मामलों में बैंक सूद लेता और देता है । बैंकों में जो अमानत रखी जाती है, वह वास्तव में अमानत नहीं क़र्ज़ है, क्योंकि अमानत को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जबकि बैंक वह रक़म इस्तेमाल करता है । लिहाज़ा डिपाजिटर्स की रक़म उसकी तरफ़ से बैंक को क़र्ज़ है और किसी भी क़र्ज़ पर अस्ल (मूलधन) से ज़्यादा की अदायगी सूद है । इसी प्रकार बैंक ज़रूरतमंद लोगों को क़र्ज़ देता है और उसे सूद समेत वसूल करता है । इस्लामी बैंकिंग व्यवस्था में इस प्रकार के सूद का लेन-देन पूरी तरह निषिद्ध है । इस व्यवस्था में 'डिपोजिटर्स व बैंक' और 'बैंक व क़र्ज़दार' कारोबारी मामले में हिस्सेदार होते हैं, न तो सूद लेते हैं और न देते हैं ।

दूसरी बात यह कि पैसे को सिर्फ़ जायज़ कारोबार में लगाया जा सकता है, अनैतिक और अवैध कारोबार में नहीं ।

सूद न लेने और देने का प्रचलन इस्लाम ने साढ़े चौदह सौ साल पहले अपनाया । बाक़ायदा बैंकिंग व्यवस्था में इसे 70 के दशक में दुबई इस्लामिक बैंक ने शुरू किया । इस समय दुनिया भर में 200 से ज़्यादा बैंक व वित्तीय संस्थान इस्लामी व्यवस्था के तहत काम

कर रहे हैं । उनकी कुल संपत्ति 300 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है । यह प्रयोग इतना सफल रहा है कि इस्लामी बैंकिंग की विकास दर 15 फ़ीसदी है, जबकि पारंपरिक बैंक की विकास दर महज़ 7 प्रतिशत । ज़ाहिर है, इस्लामी बैंकिंग व्यवस्था पर इस्लामी देशों का वर्चस्व है । इन बैंकों की विश्वसनीयता को बरक़रार रखने के लिए इनका एक सलाहकार बोर्ड होता है, जो इस्लामी मापदंडों के आधार पर मार्गदर्शन व निगरानी करता है ।

भारत में इस्लामी बैंकिंग व्यवस्था को क़ानूनी मान्यता देने के मामले पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है । जमाअते इस्लामी जैसे कुछ संगठनों ने वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया से आर॰बी॰आई॰ क़ानून में संशोधन की मांग की है, ताकि क़ानूनी तौर पर इस्लामी बैंकिंग शुरू की जा सके ।

क़तर इंटरनेशनल इस्लामी बैंक के मैनेजर मुहम्मद ताहा ने बताया कि यह व्यवस्था पूरी तरह सहकारिता व निवेश पर आधारित और 'फिक्स रेट इंटरेस्ट' के ख़िलाफ़ है । उन्होंने बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने इस्लामी बैंकिंग के मुद्दे पर आनंद सिन्हा के नेतृत्व में एक वर्किंग ग्रुप नियुक्त किया है, जो इसके तमाम पहलुओं का गंभीरता से अध्ययन कर रहा है ।

मुहम्मद ताहा का कहना था, '9/11 की घटना के बाद के माहौल में अब पेट्रो-डॉलर का बहाव यूरोप और अमेरिका के बजाय दक्षिण-पूर्व एशिया की तरफ़ मुड़ गया है । हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रो डॉलर भारत की तरफ़ आये । अगर यहां इस्लामी बैंकिंग को आर॰बी॰आई॰ की हरी झंडी मिल गयी, तो भारत में पेट्रो-डॉलर का निवेश बेइन्तिहा बढ़ सकता है ।'

भारत में इस्लामी बैंकिंग

भारत में इस्लामी बैंकिंग को सरकारी व क़ानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है । अलबत्ता कई वर्षों से इस पर विचार हो रहा है । रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया इसके तमाम पहलुओं का गहराई से अध्ययन कर रही है । हमारी मौजूदा बैंकिंग व्यवस्था पूरी तरह ब्याज पर आधारित है, जबकि ब्याज का लेन-देन इस्लाम के ख़िलाफ़ है । इस्लामी उसूलों के समर्थक लोग मौजूदा बैंकों में निवेश करने के बजाय अपना पैसा को-ऑपरेटिव सोसायटियों में डाल रहे हैं । इस्लामी उसूलों पर आधारित ऐसी कई सोसायटियां काम कर रही हैं । उनमें हैदराबाद की 'अल-अमीन' प्रमुख है । मुंबई में एक दशक पहले 'बैतुन्नसर' क्रेडिट सोसायटी की स्थापना हुई थी । इसने अपना काफ़ी पैसा शेयर बाज़ार में लगा रखा था । जब शेयर घोटाला हुआ और शेयर बाज़ार औंधे मुंह गिरा, तो इस सोसायटी की हालत ख़स्ता हो गयी । इसके लाखों सदस्यों का करोड़ों रुपया डूब गया । महाराष्ट्र में भी कुछ वर्ष पहले एकम्यूज बैतुलमाल क्रेडिट सोसायटी की स्थापना की गयी । भिवंडी में इसका मुख्यालय तथा कुर्ला व गोवंडी में शाखाएं हैं ।

यह इस्लामी सहकारी संस्थाएं ज़रूरतमंदों को ब्याज मुक्त क़र्ज़ देती हैं । उनसे ब्याज के बदले में सर्विस चार्ज लिया जाता है । निवेशकों को उनका मूलधन ज़रूरत पड़ने पर वापस दे दिया जाता है । अगर पैसा किसी प्रोजेक्ट में लगाया गया है, तो निवेशक को उसके लाभ में शेयर मिलता है ।

मुहम्मद ताहा के अनुसार दुनिया भर में इस्लामी बैंकिंग का 300 बिलियन (तीन खरब) डॉलर का कारोबार 35 देशों में फैला हुआ है । ग़ैर-सूदी कारोबार की तरफ़ लोगों के बढ़ते रुझान को देखकर सिटी बैंक, ग्राइंडलेज बैंक, एच॰एस॰बी॰सी॰, ए॰बी॰एन॰ एमरो जैसे मल्टीनेशनल बैंक इस्लामी प्रोडक्ट्स ऑफर करने लगे हैं ।

आई॰सी॰आई॰सी॰आई॰ और कोटक महेंद्रा बैंक भी पश्चिम एशिया के देशों में 'इस्लामी प्रोडक्ट्स' ऑफर कर रहे हैं । खाड़ी देशों की बहुत-सी वित्त संस्थाएं भारत की ओर आकृष्ट हो रही हैं । बहरीन की प्राइवेट इक्विटी फंड 'इंडिया स्पेसिक फंड' शुरू करना चाहती है । अबू धाबी इन्वेस्टमेंट तथा क़तर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी एंड इस्लामिक बैंक फाइनेंस हाउस भारत में निवेश के लिए इच्छुक है ।

'भारत के लिए इस्लामी बैंकिंग एक आदर्श है । जितनी जल्दी हो सके, इसे यहां शुरू करना चाहिए, ताकि खाड़ी देशों के निवेश को समय रहते आकर्षित किया जा सके । यह काम जल्दी करने की है । ऐसा न हो कि देर हो जाए', यह कहना है इस्लामी बैंकिंग के माहिर जनाब अब्दुर्रक़ीब का, जो नेशनल कमेटी ऑन इस्लामी बैंकिंग के

कन्वीनर और इंडियन सेन्टर फॉर इस्लामिक फाइनेंस के जनरल सेक्रेट्री हैं ।

जनाब अब्दुर्रक़ीब का कहना है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व वित्त मंत्री पी॰ चिदंबरम, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार रघुराम राजन, दोहा बैंक के सी॰ई॰ओ॰ सीतारमन और सपा नेता अमर सिंह जैसे लोग इस्लामी बैंक के पक्षधर हैं और इस दिशा में उठाये गये क़दमों का समर्थन कर रहे हैं ।

उन्होंने दावा किया कि पूर्व एन॰डी॰ए॰ सरकार ने भी इस्लामी बैंकिंग के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था । इस्लामी बैंकिंग सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया भर में बड़ी तादाद में ग़ैर-मुस्लिम इस व्यवस्था का लाभ उठा रहे हैं । मलेशिया के इस्लामी बैंकों में 40 प्रतिशत निवेशक और 60 प्रतिशत बोरोवर्स ग़ैर-मुस्लिम हैं । इंग्लैंड में इस्लामी बैंकों के 'प्रोडक्ट्स' का हर पांचवां आवेदक ग़ैर-मुस्लिम है ।

भारत विकास की दिशा में तेज़ी से क़दम बढ़ा रहा है । उसे नयी परियोजनाओं के लिए अगले दस वर्षों में 5,000 बिलियन डॉलर की आवश्यकता होगी । इस सिलसिले में आई॰एम॰एफ॰ और वर्ल्ड बैंक भारत की मदद करने में असमर्थ है, क्योंकि उनके पास 'लिक्विडिटी' नहीं है । अब भारत को अपनी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए बड़ा फंड खाड़ी देशों से ही मिल सकता है । खाड़ी देशों से हम पैसा ब्याज आधारित अर्थव्यवस्था के तहत हासिल नहीं कर सकते । इसके लिए हमें इस्लामी बैंकिंग का रास्ता चुनना होगा ।

इस्लामी बैंकिंग के प्रावधान व प्रस्ताव काफ़ी अर्से से भारत सरकार के पास विचाराधीन हैं । बहरहाल, अब इस दिशा में कुछ इस्लामी संस्थाओं ने पहल की है और लगता है रास्ता जल्द हमवार होगा ।

(सा॰ : 'शुक्रवार', 20 से 26 जून, 2009)

इस्लामिक एकेडमी फॉर चिल्ड्रेन

निज़ामपुर, गोरखपुर

फ़ोन : 2292578, मो॰ : 9235560029

L.K.G. से V (तक दाख़िला शुरू है ।)

आदरणीय अभिभावकगण !

यदि आप अपने बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ अपने दीन और अपनी मातृभाषा की उत्तम शिक्षा चाहते हैं तो इस संस्था में अपने बच्चों का दाख़िला कराएं । यह संस्था 1989 से क़ौम की शैक्षणिक सेवाएं प्रदान कर रही है । संस्था की ख़ूबियां निम्नलिखित हैं ।

1. आधुनिक एवं दीनी शिक्षा का हसीन संगम। 2. इंग्लिश मीडियम, कंप्यूटर की बेहतरीन शिक्षा। 3. अरबी, केवल नाज़रा ही नहीं बल्कि लिट्रेचर पढ़ाया जाता है। 4. यहां का माहौल दीनी और दिलकश है। खेल-कूद की अच्छी व्यवस्था है। जो बच्चों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाता है। 5. स्टाफ़ तजुर्बेकार और अपने काम में माहिर हैं। 6. संस्था बच्चों की संख्या ही नहीं बल्कि बच्चों की शैक्षणिक योग्यता को वरीयता देती है। 7. दीनियात की शिक्षा की बेहतर व्यवस्था है।

प्रिंसिपल : महमूदा बेगम (एम॰ए॰, बी॰एड॰)

8 करोड़ मराठी भाषा जानने वालों तक इस्लाम का पैग़ाम पहुंचाने के लिए क़ुरआन का अनुवाद, अहादीस, पैग़म्बर चरित्र (सीरते-नबी) और ग़ैर-मुस्लिम भाइयों की ग़लतफ़हमी दूर करने के लिए 178 इस्लामी मराठी पुस्तकें और 20 फोल्डर्स उपलब्ध हैं । पुस्तकों की सूची बिना मूल्य मंगवाएं ।



ISLAMIC MARATHI PUBLICATIONS TRUST

4, Hamid Bldg., 96, Hafiz A. B. Marg, Mominpura, Mumbai - 11
Tel.: 23018387, 23082820 Fax : 23052002 Cell.: 9224599910
Website : www.islamicmarathipublications.com

भारत में इस्लामी वित्त की व्यापक संभावनाएं

■ मुशर्रफ़ अली

वर्तमान वैश्विक वित्तीय संकट ने प्रचलित अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया है, लेकिन इस्लामी वित्तीय बाज़ार इसके दुष्प्रभावों से काफ़ी हद तक सुरक्षित रहा या बहुत कम प्रभावित हुआ, क्योंकि इसकी रचना पारदर्शी और वास्तविक आधारों पर हुई है । इसमें किसी ऐसी चीज़ पर पैसा नहीं लगाया जाता है, जो वास्तविक न हो । यही कारण है कि इस्लामिक वित्तीय प्रणाली आज एक ट्रिलियन यू॰एस॰ डॉलर का कारोबार करती है और 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की औसत की दर से लगातार बढ़ रही है ।

दुबई में प्रेज़ीडियम के सीनियर पार्टनर हरि भांबरा कहते हैं, ''बाज़ार की अनिश्चितता और आर्थिक उथल-पुथल के वर्तमान वातावरण में इस्लामी वित्तीय उत्पाद एक स्थिरता रखते हैं, जो प्रचलित उत्पाद नहीं रखते । उदाहरणस्वरूप इस्लामी शरीअत पर आधारित उत्पाद ऐसेट (उपयोगी वस्तु) पर आधारित होते हैं और उनका वास्तविक आर्थिक लेन-देन होता है, वे मात्र वित्तीय इंजीनियरिंग पर आधारित नहीं होते ।''

इस्लामी शरीअत पर आधारित उत्पाद ऐसेट (उपयोगी वस्तु) पर आधारित होते हैं और उनका वास्तविक आर्थिक लेन-देन होता है, वे मात्र वित्तीय इंजीनियरिंग पर आधारित नहीं होते ।''

''अगर ये आंकड़े सही हैं तो यह आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि शरीअत के सिद्धांत व्यावहारिक हैं, ये मानव स्वभाव, नैतिकता और सभ्यता के आदर्शों पर आधारित हैं ।'' यह कहना है मध्य-पूर्व में इवरशेड में बैंकिंग और इस्लामी वित्त के अध्यक्ष अमजद हुसैन का ।

शरई वित्त व्यवस्था के अंतर्गत ऐसा व्यापार या निवेश आता है, जिसमें तंबाकू, अल्कोहल, सूअर के मांस के उत्पाद, जुआ, पोर्नोग्राफ़ी या हथियार व्यवसाय निश्चित रूप से न हो । शरई वित्त के अन्य सिद्धांतों के साथ है ब्याज और ऋण पर आधारित वित्त का निषेध और साझेदारी की व्यवस्था को बढ़ावा देना, जिसमें लाभ और हानि में भागीदारी के साथ-साथ व्यवसाय के जोखिम में भी निवेशकों की साझेदारी हो । इस्लामी वित्तीय लेन-देन के लिए आवश्यक है कि वे भौतिक लेन-देन हों, अर्थात वे कम से कम परोक्ष रूप से भी वास्तविक आर्थिक लेन-देन से जुड़े हों । लेन-देन पारदर्शितापूर्ण, अनुबंधों में साफ़-सुथरा, ईमानदारी पर आधारित और पारस्परिक हित में हो ।

जहां तक हमारे देश का प्रश्न है तो विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय कंपनियों की एक महत्वपूर्ण बहुसंख्या पहले से ही, अक्सर ऐसा न चाहते हुए भी,

शरीअत के अनुरूप है । सिंगापुर स्थित एक इस्लामी वित्त परामर्शदात्री कंपनी ''फाइव पिलर्स'' के संस्थापक और सी॰ई॰ओ॰ राज मैदेन कहते हैं कि वे और उनके साथियों ने भारतीय बाज़ार के प्रारंभिक अध्ययन में पाया कि 60-63 प्रतिशत भारतीय कंपनियां शरीअत के सिद्धांतों का पालन करती हैं ।

इसी प्रकार इस्लामी निवेश विशेषज्ञ शरिक़ निसार द्वारा बड़े पैमाने पर प्रसारित एक अध्ययन में पाया गया कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध 1000 कंपनियों में से 335 कंपनियां शरीअत के नियमों को मानती हैं, और वे सम्मिलित रूप से बाज़ार की पूंजी का 61 प्रतिशत बनाती हैं । बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बी॰एस॰ई॰) में सूचीबद्ध 500 कंपनियों में से लगभग आधी शरीअत के सिद्धांतों का पालन करती हैं और वे सम्मिलित रूप से बी॰एस॰ई॰ को लगभग आधी पूंजी बनाती हैं ।

''अगर ये आंकड़े सही हैं तो यह आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि शरीअत के सिद्धांत व्यावहारिक हैं, ये मानव स्वभाव, नैतिकता और सभ्यता के आदर्शों पर आधारित हैं ।'' यह कहना है मध्य-पूर्व में इवरशेड में बैंकिंग और इस्लामी वित्त के अध्यक्ष अमजद हुसैन का ।

इस्लामी वित्तीय प्रणाली केवल मुसलमानों के लिए नहीं है । यह तो एक तंत्र है । यह किसी व्यक्ति का रंग नहीं देखती या किसी का दिल खोलकर यह नहीं पूछती कि तुम्हारा धर्म क्या है ।

राज मैदेन आगे कहते हैं कि भारतीय कारपोरेट्स के लिए यह आवश्यक है कि वे इस सच्चाई को पहचानें और इसे गले लगाएं कि उनके बहुत से काम इस्लामी शरीअत के अनुरूप हैं । उनका विश्वास है कि उन कामों को इस्लामी शरीअत के नाम से जोड़कर करना ही उन्हें बड़े परिमाण में इस्लामी निवेश का लाभ पहुंचाने में सहायक हो सकता है । वे कहते हैं कि इस लेबल को अपनाने के बड़े लाभ हैं, क्योंकि बाज़ार में शरीअत से संबंधित उत्पादों की बड़ी क़िल्लत है । मैदेन अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस लेबल को अपनाने का किसी को कोई मूल्य चुकाना पड़े ।

नियम संबंधी कुछ सामान्य परिवर्तन भारत को शरई वित्त की एक क्षेत्रीय धुरी में बदल सकता है और इसके ढांचे में निवेश की अतिप्रतीक्षित धारा का मार्ग प्रशस्त कर सकता है ।

कैलीफोर्निया स्थित इस्लामी वित्त सलाहकार मंज़र कह्फ़, जिन्होंने सीनियर रिसर्च अर्थशास्त्री के रूप में इस्लामी डेवलपमेंट बैंक में भी काम किया है, कहते हैं कि बहुतों के लिए इस्लामी वित्त मूल रूप से एक सामान्य व्यवसाय है । कह्फ़ इस पर ज़ोर देते हैं कि इस्लामी वित्तीय प्रणाली केवल मुसलमानों के लिए नहीं है । यह तो एक तंत्र है । यह किसी व्यक्ति का रंग नहीं देखती या किसी का दिल खोलकर यह नहीं पूछती कि तुम्हारा धर्म क्या है । यह उधार उपलब्ध कराये बिना वित्तीय व्यवसाय का मात्र एक तंत्र है ।

मलेशिया की वित्त व्यवस्था का 16 प्रतिशत भाग इस्लामी वित्त व्यवस्था के अन्तर्गत है और यह 12-15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रहा है । प्राप्त सूचना के अनुसार मलेशिया की निजी क़र्ज़ प्रतिभूति (सेक्यूरिटी) का 2/5 भाग और प्रमुख बांड का 1/4 भाग इस्लामी प्रतिभूति के अंतर्गत है और यह केवल मुसलमानों तक ही सीमित नहीं है । मलेशिया के एक बैंक ने हाल ही में सूचना दी है कि उसके शरई उत्पादों का 70 प्रतिशत ग़ैर-मुस्लिम निवेशकों द्वारा अपनाया गया है ।

मलेशिया की मोनाश यूनीवर्सिटी में बैंकिंग एवं वित्त इकाई के निदेशक प्रोफ़ेसर बालाशानमुगम कहते हैं, ''यह व्यापक है, मलेशिया ने इससे लाभ उठाया है, अगर भारत भी इस खेल में शामिल हो तो निश्चित रूप से उसे भी लाभ प्राप्त होगा ।''

अपनी विशालकाय मुस्लिम जनसंख्या, आर्थिक विकास के उफ़ान और इस प्रकार के ढांचे और विकास योजनाओं की प्रबल आवश्यकता, जो इस्लामी निवेश के

महत्वपूर्ण आउटलेट हैं के साथ बहुत से लोगों का विश्वास है कि भारत इस्लामी अर्थव्यवस्था की धूरी बन सकता है, जो एक दिन मलेशिया को भी पीछे छोड़ देगा । बेन फ्रूमिन का विचार है कि नियम संबंधी कुछ सामान्य परिवर्तन भारत को शरई वित्त की एक क्षेत्रीय धुरी में बदल सकता है और इसके ढांचे में निवेश की अतिप्रतीक्षित धारा का मार्ग प्रशस्त कर सकता है ।

इस तथ्य के बावजूद कि बहुत-सी भारतीय कंपनियां जाने-अनजाने शरीअत के नियमों का पालन करती हैं, जब वे इस्लामी वित्तीय प्रणाली को अपनाती हैं तो उन्हें बड़ी रुकावटों का सामना करना पड़ता है । सबसे प्रमुख रुकावट है घरेलू बैंकिंग व्यवस्था का शरीअत के अनुरूप वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने में असमर्थ होना । ऐसी स्थिति में ज़रूरत है एक ऐसे क़ानूनी ढांचे की जो इस्लामी वित्तीय संस्थाओं को चलाने की अनुमति दे । एक ऐसी संसदीय धारा अवश्य होनी चाहिए, जो इस्लामी बैंकों को धनराशि प्राप्त करने की अनुमति दे । इस संबंध में शानमुगम का सुझाव है कि ''इन संस्थाओं की निगरानी करने के लिए नियम और क़ानून अवश्य होने चाहिए, क्योंकि इन संस्थाओं में से यदि कोई विफल होती है तो उससे जनता का भारी नुक़सान होगा जो राजनीतिक रूप से आत्मघाती होगा ।''

इस्लामी वित्त के अंतर्गत निवेशकों को अपनी पूंजी ऐसे ऐसेट में लगानी होती है, जो बदला दे सके । ढांचागत परियोजनाएं इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं । विद्युत और ऊर्जा के क्षेत्र ठीक वैसे ही ऐसेट प्रधान क्षेत्र हैं, जो इस्लामी फंड के उपयोग के लिए पूरी तरह उपयुक्त हैं ।

राज मैदेन कहते हैं कि ''यदि भारत इस्लामी वित्तीय और बैंकिंग प्रणाली को प्रोत्साहित करने के मामले में गंभीर है तो उसे अपने कुछ टैक्सों का पुनर्मूल्यांकन करना होगा ताकि शरई निवेशों पर अनुचित बोझ नहीं पड़े ।'' वे सामान्य रूप से प्रचलित गिरवी के लेन-देन का उदाहरण देते हैं, जिसमें एक वित्तीय संस्था से उधार लेने वाला व्यक्ति जायदाद ख़रीदने के लिए अपने उधार को सुरक्षित करता है । अगर यही लेन-देन शरई नियमों के अनुसार हो तो वह वित्तीय संस्था पहले ख़ुद उस जायदाद को ख़रीद लेगी और फिर उसे थोड़ा बढ़े हुए मूल्य पर उस ख़रीदार को बेच देगी । सामान्यत: वह ख़रीदार अदायगी क़िस्तों में करेगा । वर्तमान समय में यहां प्रचलित क़ानूनों के अनुसार शरीअत के अनुरूप लेन-देन करने वाले ख़रीदार को दो लेन-देन पर स्टॉम्प ड्यूटी अदा करनी होगी, जबकि सामान्य ख़रीदार को केवल एक ही पर । इस्लामी लेन-देन के एक भाग को स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त कर इस विसंगति को दूर किया जाना चाहिए ।

इसी प्रकार कुछ ऐसे क़ानून जिनकी भारतीय बैंकों को ब्याज संबंधी गतिविधियों में ज़रूरत है, हो सकता है कि ब्याजरहित गतिविधियां शुरू करते ही वह उपभोक्ता के विरुद्ध साबित हो । इस संबंध में रीड स्मिथ में एक पार्टनर जूलियां टर्नर कहते हैं कि ''लेकिन इन समस्याओं पर भारत द्वारा नॉन बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को परिचित कराकर आंशिक रूप से क़ाबू पाया जा सकता है । अर्थात नॉन बैंकिंग वित्तीय कंपनियां इस्लामी वित्तीय नियमों के अनुसार बैंक जैसे ही कार्यों का संचालन करें । भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नॉन बैंकिंग कंपनियों का संचालन किया जाता रहा है उन्हें इस्लामी वित्तीय नियमों के अनुरूप किया जाना चाहिए ।''

विशेषज्ञों का मानना है कि एक बार इस्लामी वित्त व्यवस्था को भारत में संचालित करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए तो अवसर के रूप में यंत्र यहां मौजूद है । निवेशक अवसरों की ताक में हैं । एक बार जैसे ही रुकावटें दूर हुईं तो इस्लामी वित्त को देश भर में छा जाने में बहुत कम समय लगेगा ।

मंज़र कह्फ़ का कहना है कि भारत में इस्लामी वित्तीय प्रणाली के संचालन की अनुमति देने के लिए एक बिल्कुल ही नये क़ानून का बनाया जाना ही आवश्यक हो, ऐसा नहीं है, बल्कि इसके स्थान पर

''इस्लामी वित्त इन ढांचागत विकास परियोजनाओं की पूर्ति के लिए पूरी तरह उपयुक्त है, जिनकी भारत को शिद्दत से ज़रूरत है ।''

उनका मानना है कि पहले से मौजूद क़ानूनों की नयी व्याख्या की आवश्यकता है । उदाहरणस्वरूप बहुत से देशों की तरह भारत भी अपने बैंकों को अचल संपत्ति के व्यापार से रोकता है । इस्लामी वित्तीय प्रणाली में बैंकों को अपने ग्राहकों को ब्याज पर आधारित गिरवी से बचाने के लिए रियल एस्टेट को ख़रीदना और बेचना पड़ता है । इस्लामी वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत बैंक रियल एस्टेट के व्यापारी बनने के लिए उसे नहीं ख़रीदते हैं, बल्कि वे ग्राहक के आग्रह पर उसे निकालने की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में एक सीमित समय के लिए उसे अपने क़ब्ज़े में लेते हैं । यह रियल एस्टेट ट्रेडिंग नहीं हैं, बल्कि यह केवल फाइनांसिंग है ।

मध्य-पूर्व के निवेशक अपनी भरपूर निवेश क्षमता के साथ शरई प्रोजेक्टों की तलाश में हैं । भारत का ढांचागत विकास एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी ओर अचानक ही ध्यान जाता है । भारतीय व्यापार क़ानून पत्रिका के विगत अंक में बताया गया है कि भारत के इन्फ्रास्ट्रक्चर को ज़रूरत है, उनके निवेश क्षमता का लाभ उठाने की । पत्रिका में व्याख्या की गयी है कि देश में सड़कों को 48 बिलियन डॉलर के निवेश की ज़रूरत है, तो एयरपोर्ट को 9.1 बिलियन डॉलर की, बन्दरगाहों को 12.2 बिलियन डॉलर की और विद्युत संयंत्रों को 132 बिलियन डॉलर की । मंज़र कह्फ़ को विश्वास है कि ''इस्लामी वित्तीय प्रणाली इन ढांचागत विकास परियोजनाओं की पूर्ति के लिए पूरी तरह उपयुक्त है, जिनकी भारत को शिद्दत से ज़रूरत है ।''



हार्वर्ड लॉ स्कूल के इस्लामिक फाइनांस के एस॰ नाज़िम अली कहते हैं कि इस्लामी वित्त कुछ समय तक प्रोजेक्ट वित्त का चैम्पियन रहा है । इसका कारण यह है कि इस्लामी वित्त के अंतर्गत निवेशकों को अपनी पूंजी ऐसे ऐसेट में लगानी होती है, जो बदला दे सके । ढांचागत परियोजनाएं इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं । विद्युत और ऊर्जा के क्षेत्र ठीक वैसे ही ऐसेट प्रधान क्षेत्र हैं, जो इस्लामी फंड के उपयोग के लिए पूरी तरह उपयुक्त हैं । यही बात सड़कों, पुलों, पोर्टों, जहाज़ों और सुरक्षा पोतों के लिए भी सही है ।

कह्फ़ कहते हैं कि ''खाड़ी के देशों में भारी मात्रा में लिक्विडिटी (नक़दी) है, जिसे कहीं निवेश किया जाना है । दूसरी ओर इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इस समय फंड की बहुत कमी है । यहां विकास के लिए भारी मात्रा में धन की आवश्यकता है, जो (खाड़ी में) उपलब्ध है, बस एक तंत्र है, जिसे संचालित करने की आवश्यकता है और यह काम बहुत आसान है ।''

''भारत में इस्लामी रिटेल बैंकिंग के लिए बहुत क्षमता है, क्योंकि इस देश में इन्डोनेशिया के बाद दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है ।

बहुत-से पर्यवेक्षकों का मानना है कि भारत के विकास का एक बड़ा क्षेत्र यहां की मुस्लिम आबादी है, जो 150 मिलियन लोगों से अधिक है । दुर्हम यूनीवर्सिटी के प्रोफ़ेसर रोडनी विल्सन का कहना है कि, ''भारत में इस्लामी रिटेल बैंकिंग के लिए बहुत क्षमता है, क्योंकि इस देश में इन्डोनेशिया के बाद दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है । ब्याज मुक्त वित्त के साथ इस्लामी बैंकिंग की स्थापना और ब्याज के स्थान पर लाभ में भागीदारी उन मुसलमानों को प्रोत्साहित करेगी, जो इस समय मज़हबी पाबन्दियों के कारण बैंक ख़ाताधारी नहीं हैं ।'' इसलिए भारत के लिए समझदारी यह होगी कि वह स्वयं को इस्लामी निवेश का घर बनाए । अपने आकार को देखते हुए भारत के पास इस्लामी फंडों की मंज़िल बनने की अधिक क्षमता है । भारत के लिए अपने घरेलू बाज़ार पर अधिक ध्यान देना समझदारीपूर्ण होगा ।

ब्याजरहित अर्थव्यवस्था से ही दुनिया शोषण मुक्त होगी

देश के वरिष्ठ समाजवादी चिन्तक किशन पटनायक जी ने अगस्त 2004 में पटना में अपने एक विचारपूर्ण संभाषण में कहा था कि ब्याजरहित अर्थव्यवस्था की दुनिया को अति आवश्यकता है । निश्चय ही वर्तमान अर्थव्यवस्था का विकल्प इस्लामी अर्थव्यवस्था बन सकती है, जो सर्व कल्याणकारी होगी । यहां प्रस्तुत हैं संभाषण के कुछ अंश समाचार-रचना की शैली में । ● संपादक

■ **किशन पटनायक**

वरिष्ठ समाजवादी चिंतक किशन पटनायक ने कहा कि जब तक विषमतापूर्ण विनिमय होता रहेगा, तब तक साम्राज्यवादी व पूंजीवादी देश पूंजी से पूंजी पैदा करते रहेंगे और अपने देश को संपन्न करते जाएंगे । वे ग़रीब व विकासशील देशों को क़र्ज़ देंगे और क़र्ज़ से कई गुना ज़्यादा सूद लेंगे । क़र्ज़ लेने वाले देश ग़रीब से ग़रीब और विपन्न से विपन्न होते जाएंगे । यह तभी समाप्त होगा जब साम्राज्यवादी व पूंजीवादी देशों की ओर से दुनिया भर में थोपी गयी अर्थव्यवस्था को समाप्त करने के लिए सूदरहित अर्थव्यवस्था होती ।

दुनिया में सूदरहित अर्थव्यवस्था संभव है । इस्लाम धर्म में सूदरहित अर्थव्यवस्था पर ज़ोर दिया गया है । सूद को पाप माना गया है । सूदरहित अर्थव्यवस्था के लिए समाज और देश को सचेत करने की ज़रूरत है । यह दुनिया में एक बड़ी क्रान्ति होगी । श्री पटनायक पटना स्थित तारामंडल हॉल में अलख़ैर चेरिटेबल ट्रस्ट और अलख़ैर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड की ओर से आयोजित साझा कार्यक्रम में 'मेमोरियल लेक्चर' में बोल रहे थे ।

श्री पटनायक ने कहा कि अमेरिका और दूसरे साम्राज्यवादी व पूंजीवादी देश पूंजी से पूंजी कमा रहे हैं । ऐसे देश विकसित कहे जाते हैं । इन देशों की ओर से दुनिया भर में ऐसी आर्थिक व्यवस्था खड़ी कर दी गयी है कि ग़रीब और विकासशील देश मजबूर होकर या नासमझी से उनसे क़र्ज़ लें और क़र्ज़ से अधिक सूद दें । ग्लोबलाइज़ेशन के नाम पर ऐसी व्यवस्था व मानसिकता तैयार कर दी है कि ग़रीब व विकासशील देश उनके चंगुल से मुक्त नहीं हो पाएं ।

उन्होंने कई उदाहरण देकर बताया कि साम्राज्यवादी व पूंजीवादी देशों से क़र्ज़ लेने वाले देश किस तरह क़र्ज़ से अधिक सूद अदा करते जा रहे हैं और ग़रीब से ग़रीब व विपन्न से विपन्न होते जा रहे हैं ।

उन्होंने केन्द्र सरकार के चालू साल के बजट का ज़िक्र किया और उस पर ग़ौर करने के लिए कहा । उन्होंने बताया कि सरकार क़र्ज़ से कुल आय की 24 फ़ीसद आय करेगी । जबकि उत्पाद शुल्क से 19 फ़ीसद और कारपोरेट टैक्स से 16 फ़ीसद आय करेगी । इसके विपरीत वह सूद पर 23 फ़ीसद ख़र्च करेगी । जबकि प्रति रक्षा पर 14 फ़ीसद और योजना पर 16 फ़ीसद ख़र्च करेगी । इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस देश पर क़र्ज़ और क़र्ज़ के सूद की किस क़दर मार पड़ रही है । उन्होंने बताया कि कई देश ऐसे हैं कि क़र्ज़ से तिगुना सूद अदा कर चुके हैं । लेकिन उन्हें क़र्ज़ से मुक्ति नहीं मिली है, बल्कि कंगाल हो गये हैं ।

उन्होंने बताया कि दुनिया के पिछले तीन सौ साल के इतिहास को देखें, तो पहले दुनिया में देशों के बीच उतनी विषमता नहीं थी, जितनी आज है । जो देश आज

दुनिया में साम्राज्यवादी, पूंजीवादी और शक्तिशाली बने बैठे हैं, वे ग़रीब देश थे । आज जो देश विपन्न हो गये हैं, वे कभी संपन्न थे । अपने को संपन्न बनाने और दूसरे को विपन्न बनाने के लिए पहले औपनिवेशिकता आधार बना था और अब क़र्ज़ आधार बन गया है ।

श्री पटनायक ने बताया कि किस तरह साम्राज्यवादी, पूंजीवादी व शक्तिशाली देश ग़रीब व विकासशील देश से सूद लेकर फिर से उसे ही क़र्ज़ के रूप में उन्हें मुहैया करा रहे हैं ।

श्री पटनायक ने कहा कि क़र्ज़ और सूद में ख़ूब खेल है । अमेरिका जैसा देश भी क़र्ज़ लेता है । उसने 2.2 लाख करोड़ डॉलर क़र्ज़ लिया है । दुनिया के विकासशील देशों ने ढाई लाख करोड़ डॉलर क़र्ज़ लिया है । दोनों के क़र्ज़ कमोबेश समान हैं । लेकिन दोनों क़र्ज़ में फ़र्क़ है । अमेरिका ने कम सूद पर क़र्ज़ ले रखा है । जबकि विकासशील देशों ने ज़्यादा सूद पर क़र्ज़ ले रखा है । उन्होंने बताया कि साम्राज्यवादी, पूंजीवादी व विकसित देश ग़रीब और विकासशील देशों से सस्ते से सस्ते में खनिज यानी कच्चा माल ले जाते हैं और उससे सामान तैयार कर ग़रीब और विकासशील देशों को ज़्यादा से ज़्यादा क़ीमत में देते हैं ।

उन्होंने बताया कि खनिज वाले देशों में खनिज निकालने से गड्ढा होता जा रहा है, लेकिन साम्राज्यवादी, पूंजीवादी और विकसित देशों में धन का अंबार खड़ा हो रहा है । ग़रीब व विकासशील देशों के जिन इलाक़ों में खनिज हैं, वहां के आदिवासी ग़रीब से ग़रीब होते गये हैं । दुनिया में एक भी ऐसा कोना नहीं है, जहां खनिज हो और वहां के आदिवासी संपन्न हों ।

श्री पटनायक ने यह चिंता भी जतायी कि साम्राज्यवादी, पूंजीवादी और विकसित देश प्राकृतिक संपदाओं से दुनिया को खोखला कर रहे हैं । वे इस दुनिया को ही ख़त्म होने के कगार पर ले जा रहे हैं ।

श्री पटनायक ने क़र्ज़ देकर और सूद लेकर संपन्न और शक्तिशाली होने वाले देशों को लुटेरा और अमानवीय बताया । उन्होंने कहा कि जब तक उनकी ओर से विषमतापूर्ण विनिमय की व्यवस्था ख़त्म नहीं की जाएगी, तब तक उनके लूट से रक्षा नहीं हो सकती । उन्होंने बताया कि जो जितना दे, उतना ले, जितना ले, उतना दे, तभी विषमतापूर्ण विनिमय ख़त्म होगा । उन्होंने ट्रस्टी व्यवस्था को एक कारगर प्रयोग और उपाय बताया । उन्होंने कहा कि समाजवादी और साम्यवादी विषमता को बढ़ाने वाली मौजूदा आर्थिक व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए अपने तरीक़े से संघर्ष कर ही रहे हैं । सूदरहित अर्थव्यवस्था के लिए भी संघर्ष तेज़ किया जाएगा ।

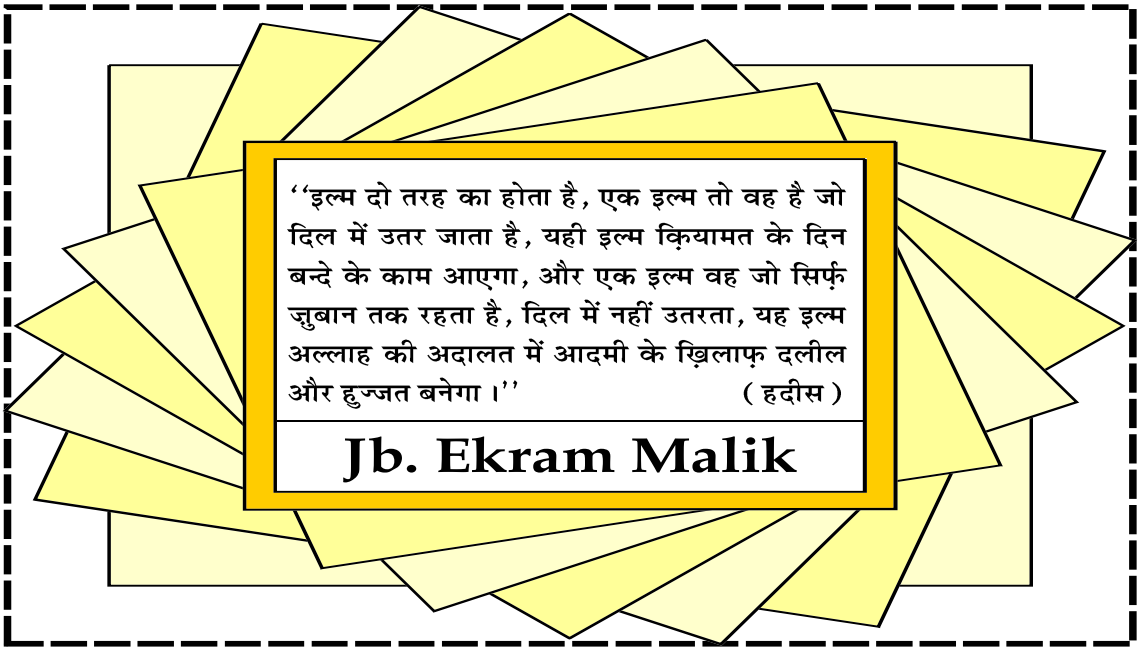

जायज़ कारोबार के शेयर

■ **डॉ॰ मुहम्मद अहमद**

फ़त्वा (धर्मादेश) इस्लामी जीवन-व्यवस्था में सम्मिलित है । समय के साथ एवं परिस्थितिजन्य कारणों से कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, जिनको धार्मिक दृष्टि से परखना और उसके बारे में धर्मानुसार निर्णय करना उस जीवन-व्यवस्था के लिए अनिवार्य है, जो ईश्वरीय हो । ऐसी व्यवस्था न हो, तो बहरहाल इस बात की आशंका रहती है कि कहीं वे चीज़ें भी चलन में न आ जाएं, जो धार्मिक प्रावधानों से अनुकूलता नहीं रखतीं । हमारे देश में भी दारुल इफ़्ता (धर्मादेश केन्द्र) हैं, जिनकी ओर रुजू करके किसी भी समस्या या विषय पर फ़त्वा हासिल किया जा सकता है । मुफ़्ती हज़रात (धर्मशास्त्री महानुभाव) व्यक्तिगत तौर पर भी फ़त्वा जारी करते हैं । यह भी देखा जाता है कि फ़त्वा देने में अपेक्षित रूप से एहतियात से काम नहीं लिया जाता । इसका नतीजा यह होता है कि ये अपनी प्रभावकारिता सिद्ध नहीं कर पाते ।

ऐसा ही एक फ़त्वा पिछले 10 फ़रवरी 2008 के अख़बारों में छपा, जिसमें शेयर बाज़ार में पूंजी निवेश को नाजायज़ ठहराते हुए मुसलमानों को इससे दूर रहने को कहा गया है । कुछ हिन्दी अख़बारों में इस फ़त्वे को पहले पृष्ठ पर जगह मिली । संभवत: इसलिए कि यह इस्लाम की छवि को प्रभावित करता है और अजीबोग़रीब है, क्योंकि इस्लाम जायज़ कारोबार को वैध व जायज़ ठहराता है और शेयर ख़रीदना कारोबार में शिरकत करना है । रिपोर्ट के मुताबिक़ मुसलमानों के एक फ़िरक़े के दारुल इफ़्ता ने, जिसे अज्ञानतावश अख़बारों ने ''सुन्नी मुफ़्तियों'' का निर्णय लिखा है, शेयर बाज़ार में पूंजी-निवेश को जुआ क़रार दिया है ।

बरेली स्थित इस दारुल इफ़्ता के दो मुफ़्तियों ने शेयर बाज़ार में लगायी गयी पूंजी से मिलने वाले लाभांश को सूद (ब्याज) ठहरा कर अपनी 'बुद्धिमत्ता' का विचित्र ढंग से परिचय कराया है । यह फ़त्वा मजमउल फ़िक़्हिल इस्लामी (भारत) के उस छठे फ़िक़्ही सम्मेलन में लिए गये उस निर्णय के एकदम ख़िलाफ़ है, जिसमें शेयर बाज़ार के हलाल (वैध) कारोबार में पैसा लगाने की इजाज़त दी गयी है । इसके निर्णय में कहा गया है कि ''ऐसी कंपनियां जिनका व्यवसाय पूर्ण रूप से विहित (जायज़) है । इस्लामी वित्त संस्था या कोई भी मुसलमान उसके शेयरों को ख़रीद सकता है । ऐसी कंपनियां जिनका व्यवसाय पूर्ण रूप से नाजायज़ (हराम) है उसके शेयरों की ख़रीदारी किसी भी स्थिति में उचित नहीं है ।''

('महत्वपूर्ण फ़िक़्ही फ़ैसले',
इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी पृ॰ 71)



रही बात सूद की, तो कारोबार में लाभांश सूद कैसे हो सकता है । इस्लाम ने सूद को हराम किया है, जबकि कारोबार को वैध ठहराया है और कारोबार का लाभ कदापि ब्याज की परिभाषा में नहीं आता । सारी दुनिया को पता है कि शेयर होल्डर नुक़सान भी उठाता है और लाभ भी प्राप्त करता है । शेयर होल्डर शेयर लेकर कारोबार में शरीक हो जाता है और लाभ-हानि में भागी बन जाता है । ऐसी भी बहुत-सी मिसालें हैं कि जब कंपनियों का स्वामित्व शेयर होल्डरों के हाथ में आ गया । फ़त्वे में शेयर में पूंजीनिवेश को जुआ क़रार देने की जो कोशिश की है, वह औचित्य से परे है । जुआ तो उसे कहते हैं जो क़िस्मत पर आधारित हो और भौतिक रूप से उसका ठोस धरातल न हो, जबकि एक शेयर बाज़ार में ऐसा नहीं होता, बल्कि भौतिक रूप में कंपनी होती है, जिसके काम-काज व वार्षिक उपलब्धि का आकलन करके ही कोई शेयर ख़रीदता है और अच्छे लाभ की आशा करता है, फिर भी जोखिम के लिए तैयार रहता है । कारोबार की भी यही स्थिति होती है ।

AQUIL MUKHTAR
DEVELOPERS PVT. LTD.



M.D. MR. MUKHTAR AHMED MOBILE NO. : 9820127170

385, Sane Guruji Marg, Next to I.T.I College (Ghass Gali),
Mumbai-400011
Tel. No. : 23482660/23482688/23482762
Fax : 23484245

दृष्टिकोण

बाज़ार और पूंजीवाद का बढ़ता वर्चस्व : एक विश्लेषण

■ **अंशुमाली रस्तोगी**

आज बाज़ार का दख़ल कहां नहीं है, यह प्रश्न बेमानी लगते हुए भी ज़रूरी-सा लगता है । बाज़ार हमारी हर ज़रूरी-ग़ैर-ज़रूरी चीज़ों व ज़रूरतों में शामिल है । अब हम नहीं, बाज़ार हमारी ज़रूरतों की चीज़ों को निर्धारित कर रहा है । उन्हें बना रहा है । हमें क्या खाना, क्या पहनना, क्या सजाना, क्या ओढ़ना, क्या बिछाना, क्या रखना, क्या छोड़ना है, सब बाज़ार ही तय कर रहा है । साफ़ शब्दों में कहें तो हमने अपनी सोच व इच्छाओं को बाज़ार के हाथों गिरवी रख दिया है । बाज़ार का दख़ल हमारे बीच यहां तक बढ़ गया है कि वो अब हमारे सुख-दुख में भी शामिल होने लगा है । बाज़ार में सुख का भी उत्पाद है और दुख का भी । विडंबना देखिये, बाज़ार हमारी हर छोटी-बड़ी ख़ुशियों व दर्द में घर करता जा रहा है ।

हमें पीछे धकेलकर बाज़ार हम से आगे निकलता जा रहा है । बाज़ार के सहारे पूंजीवाद भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है । यह शाश्वत सत्य है कि जहां बाज़ार होगा वहां पूंजीवाद भी होगा । बाज़ार और पूंजी का गठजोड़ मिलकर व्यक्ति और समाज के बीच नया सेतु बना रहे हैं । इस सेतु की बुनियाद उत्पाद, बीमा व बैंक पर टिकी हुई है । यह सब अंततः आकर जुड़ता अर्थव्यवस्था से है । अर्थव्यवस्था बाज़ार को चलाने में सहायक की भूमिका निभाती है । जितनी मज़बूती से बाज़ार चलते हैं, उतनी ही 'अर्थव्यवस्था की दीवार' मज़बूत बनती है ।

समय के साथ-साथ हमारे बीच बहुत कुछ अदला-बदला है । यह बदलाव कहीं ख़ुशी लेकर आया है, कहीं दुख । उपभोक्तावाद का स्तर हमारी सोच से कहीं ज़्यादा विकसित हुआ है । पहले अर्थव्यवस्था की बुनियाद कृषि, खेत और किसान पर टिकी हुआ करती थी पर अब पूंजी बाज़ार और उपभोक्ता पर । पूंजी बाज़ार अब अर्थव्यवस्था का केन्द्र बिंदु बन गया है । हमारे वित्त मंत्री को देश की अर्थव्यवस्था में गतिशीलता तभी नज़र आती है, जब शेयर बाज़ार का सूचकांक अपनी गति चलता है । जहां सूचकांक ने विपरित रुख़ करा वित्त मंत्री के माथे पर चिंता की लकीरें चौड़ी हो जाती हैं । तुरंत ही आंकड़ों की बाज़ीगरी शुरू हो जाती है । वित्त मंत्री आम आदमी को समझाने लग जाते हैं कि हम अगर इतने फ़ीसद दर हासिल कर लें तो यह हो सकता है और अगर इतनी तो यह । पर वह यह नहीं जानते कि आम आदमी की ज़िन्दगी आंकड़ों या दर से नहीं रोटी और रोज़गार से चलती है । बाज़ार आम आदमी की ज़िन्दगी को नहीं चला सकता । उपभोक्तावाद की संस्कृति से आम आदमी की ज़िन्दगी का बेड़ा पार नहीं लग सकता । लेकिन हमें आदत ऐसी डाल दी गयी है कि हम बाज़ार और पूंजीवाद के सहारे ही समस्त समस्याओं का हल खोज लेना चाहते हैं ।

पूंजीवाद और बाज़ार के प्रभुत्व ने बीमा ऋण योजनाओं को भी अपने संग-साथ ले लिया है । बाज़ार के पास इन्सान के जीने-मरने का समाधान बीमा के रूप में मौजूद है । जितनी बीमा कंपनियां उतनी मात्रा में उनकी कथित आकर्षक योजनाएं । यानी उपभोक्ता अब अपने मरने के बाद का इन्तिज़ाम पहले ही करके जाता है । बाज़ार इतना होशियार है कि वो आपकी सांसों को अपने क़ब्ज़े में लेकर उससे भी समझौता कर ले । समझौता करने में, केवल अपने हितों के लिए, बाज़ार का कोई मुक़ाबला नहीं । जहां उपभोक्ता की नज़र बची बाज़ार और पूंजीवाद ने उसकी सोच पर नियंत्रण किया ।

ऐसा वैसा नियंत्रण नहीं, पूर्ण-नियंत्रण ।

बाज़ार और पूंजीवाद का निरंतर बढ़ता वर्चस्व देश और समाज में तमाम वित्तीय दुश्वारियां भी पैदा कर रहा है। वित्तीय दुश्वारियों की शक्ल हमें कभी शेयर बाज़ार के लुढ़कने, मंदी के गहराने और दुबई-कांड के आईने में देखने को मिल जाती है । बाज़ार और अर्थव्यवस्था में जब ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास का भ्रम पैदा होने लगता है, तब दुबई जैसे कांड उभरकर सामने आते हैं । देखा जाए तो मंदी का प्रतिरूप ही है दुबई-कांड ।

आज जिस तेज़ी से रीयल एस्टेट में पैसे का प्रभुत्व बढ़ रहा है, उसी तेज़ी से उसमें वित्तीय ख़तरे भी बढ़ने शुरू हो गये हैं । बाज़ार और पूंजी अपने फ़ायदों के लिए औने-पौने दामों पर किसानों की ज़मीन लेकर उसे मॉल-संस्कृति में तब्दील कर रहे हैं । शहरों को तो छोड़िये मॉल-संस्कृति का असर अब गांवों में साफ़ नज़र आने लगा है ।

बैंक आम आदमी को सुविधाएं पाने-जुटाने के लिए खुलकर ऋण दे रहे हैं । कल तक जो चीज़ें आम आदमी की पहुंच से काफ़ी दूर हुआ करती थीं, अब बैंकिंग-ऋण के सहारे उनके बेहद क़रीब आ गयी हैं । उपभोक्ता समझने लगा है कि बैंक से ऋण हासिल कर वो अपनी ज़रूरतों को आराम से पूरा कर सकता है । पर, किन्हीं मायनों में यह प्रवृति ख़तरनाक है । ऋण-प्रवृति व्यक्ति की इच्छाओं का आकार निरंतर बड़ा कर रही है । अधिक पाने की लालसा अक्सर व्यक्ति को बुरे कामों की तरफ़ भी धकेल देती है, लेकिन बाज़ार को इससे कोई सरोकार नहीं । उसका काम तो उपभोक्ता के सहारे अपनी पूंजी के ग्राफ़ को बढ़ाना है । इस मामले में बाज़ार न तो संवेदनशील रहना चाहता है, न ही सहनशील । बाज़ार अपने क़ायदे से चलता है । पूंजीवाद उसका सहारा है ।

बाज़ार और पूंजीवाद का संग-साथ हम से हमारे मूल्यों को छीन रहा है । उपभोक्तावाद का नशा हम पर चढ़ता चला जा रहा है । पूंजी के प्रति यह लगाव समाज और संबंधों के बीच अलगाव पैदा कर रहा है । जिसे हमें वित्तीय मज़बूती कहकर अक्सर अपनी मूछों पर ताव मारते रहते हैं, वो दरअस्ल वित्तीय संकट की 'खोखली मज़बूती' है । पूंजी या अर्थव्यवस्था में मज़बूती आज है कहां ? जहां और जिधर भी निगाह उठाकर देखिये हर तरफ़ बस मंदी का ही आलम है । इस मंदी के बावजूद अगर बाज़ार और पूंजीवाद इठला रहे हैं, तो यह उनका 'कोरा नाटक' भर है । यह सब क़वायदें हैं, किसी भी तरह से उपभोक्ता को अपने से बांधे रखने की । उसके सेंटीमेंट पर क़ब्ज़ा जमाये रखने की ।

हमें अभी भी सचेत हो जाने का वक़्त है । बाज़ार और पूंजी का फैलता वर्चस्व कहीं ऐसा न हो हम से हमारा वो सब कुछ भी छिन बैठे, जिसे अज्ञानतावश हम अभी भुलाए हुए हैं । ध्यान रखें, जिस हिसाब से बाज़ार हमें देता है उससे कहीं ज़्यादा वो हम से ले भी लेता है । यह बाज़ार का वित्तीय क़ायदा है । बाज़ार और पूंजीवाद के दख़ल को हम अपने भीतर वहीं तक आने दें, जहां तक हमें उनसे ख़तरा महसूस होने का एहसास न हो । जहां ख़तरा लगे वहीं उससे मुक्त हो लें । पर, यहां सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या हम बाज़ार और पूंजीवाद से मुक्त होने का ख़तरा मोल ले सकते हैं ?

Mumtaz Bhai 9329102972

Pioneer in Exclusive Fusible Tailoring



Chhattisgarh's Leading

NU-YORK

Tailors



आशिर्वाद टॉवर, राज टॉकीज़ के पास, सी॰ई॰ रोड, रायपुर (सी॰जी॰)

Ph. : 0771-222892415

AICL

ALTERNATIVE INVESTMENTS AND CREDITS LIMITED

An Interest-free Investment Company licensed as Non-Banking Finance Company (NBFC) by the Reserve Bank of India.

- **A successful Shariah compliant Islamic NBFC since 2001.**
- **Supervised by eminent Shariah Scholars.**
- **Paying reasonable dividend to its 700 shareholders continuously for the last 6 years.**
- **Participatory Finance and Micro Finance under Musharaka product.**
- **Volume of business Rs.27 Crores.**

Corporate Office:
2nd Floor, Sunny Estates,
Mamangalam, Kochi 682 025
Kerala State
Phone: 0484-2337604
Email : aiclimited@rediffmail.com
Web :www.aicl-india.com

Regional Office:
3rd Floor, CD Towers
Calicut 673 004
Kerala State
Phone: 0495-3043599

Our Subsidiary Company

AICL BUILDERS AND DEVELOPERS LIMITED



"If a person fears Allah, then everyone fears him and if he does not fear Allah, then nobody fears him."

–Hazrat Fuzail Bin Ayaaz (Rahmatullahi Alaih)

S. MOHAMED ISMAIL & CO.

The Hardware People Since 1935
House For Builders, Hardware & Paints

 # 108, 109, Commercial Street, Bangalore-560001
Tel. : 25583134/25582998/41232545 Fax : 080-25581219

بسم الله الرحمن الرحيم

- इन्सानियत सूद की ज़ंजीरों में जकड़ी हुई परेशानहाल है।

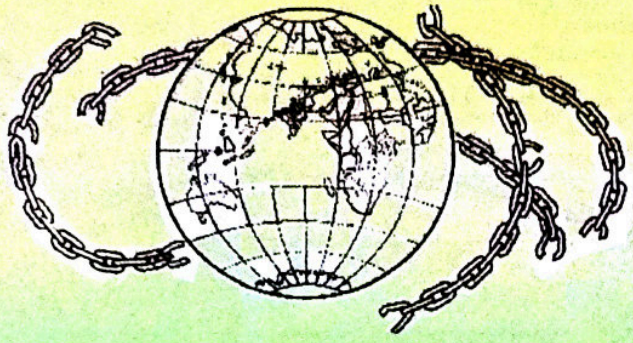

- इस्लाम की आर्थिक व्यवस्था ही इन ज़ंजीरों को तोड़ने में कामयाब हो सकती है।

इस्लामिक वेल्फ़ेयर सोसायटी, भटकल
इसी जिद्दोजेहद में मसरूफ़े अमल है

**Interest is unhuman, unkind, unjust & disastrous.
Islamic System of Interest free Banking can help to establish
Peace and Economic Prosperity for the whole mankind.
Islamic Welfare Societystruggles to achieve this noble task.**

Patel Kadir Meeran
(Secretary)

Syed Abdullah Lanka
(President)

ISLAMIC WELFARE SOCIETY

211, Main Road, BHATKAL - 581320
(Karnataka) Tel.: 08385 - 226601

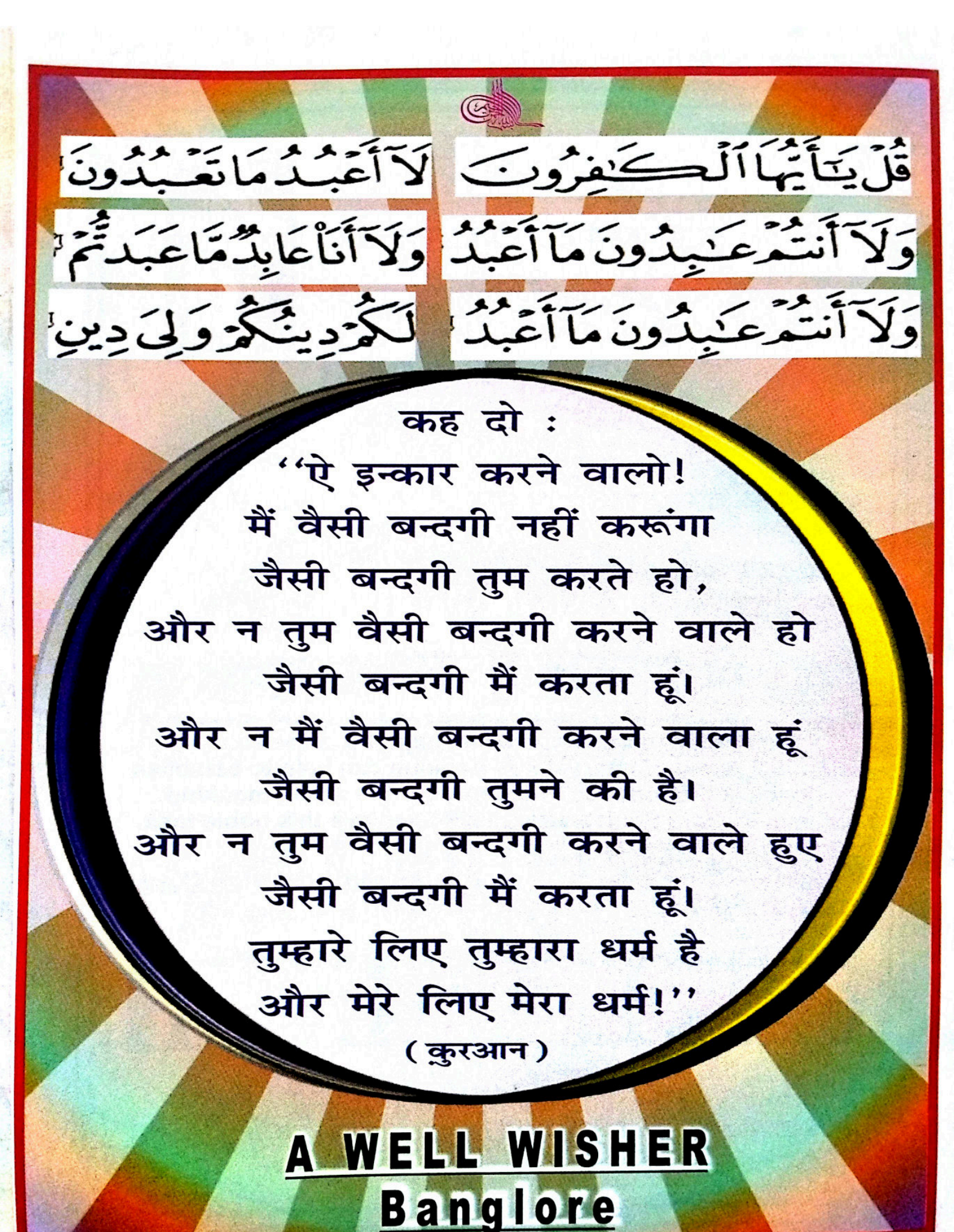
قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ
لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ
وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ
وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ
وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ
لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ
कह दो :
"ऐ इन्कार करने वालो!
मैं वैसी बन्दगी नहीं करूंगा
जैसी बन्दगी तुम करते हो,
और न तुम वैसी बन्दगी करने वाले हो
जैसी बन्दगी मैं करता हूं।
और न मैं वैसी बन्दगी करने वाला हूं
जैसी बन्दगी तुमने की है।
और न तुम वैसी बन्दगी करने वाले हुए
जैसी बन्दगी मैं करता हूं।
तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म है
और मेरे लिए मेरा धर्म!"
(क़ुरआन)
A WELL WISHER
Banglore



Switches for Dream Homes

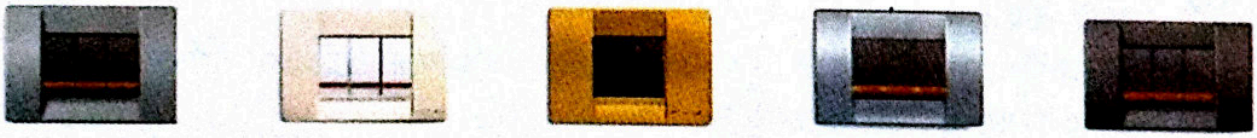

Wall Art
Pride on the Wall

TOYAMA
Technology for elegant living
www.toyamaindia.com



SILVERLINE®

TOTAL REALTY SOLUTIONS SINCE 1947

INTERNATIONAL PROPERTY AWARDS
CNBC
2008
The World
★ ★ ★ ★ ★
BEST INTERNATIONAL PROPERTY-FINDER

What are you looking for?

ICREA FIABCI REALTOR NAR INDIA BRAI RICS

201, Barton Centre, 84 M.G.Road,
Bangalore - 560 001. Tel: 40828888 / 25592881

www.silverlinerealty.com

61 years in Real Estate

☆ गहने-ज़ेवर के बदले ब्याज़रहित क़र्ज़ उपलब्ध कराना।
☆ वापसी की विश्वसनीय ज़मानत पर लघु उद्योग खोलने हेतु क़र्ज़ उपलब्ध कराना।
☆ पुरुषों एवं महिलाओं के स्व-सहयोग ग्रुप (Self help group) की आर्थिक सहायता करना।
☆ ज़कात एवं सदक़ात के फंड से शिक्षा, स्वास्थ्य, शादी एवं रिलीफ़ के लिए मदद देना।
☆ ब्याजरहित समाज के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से वर्कशॉप, सेमीनार, सिम्पोज़ियम एवं संवाद आदि का आयोजन करना।
☆ छात्रों को ब्याजरहित बैंकिंग में डिप्लोमा कोर्स करने के लिए प्रेरित करना एवं आर्थिक सहायता करना।

इस्लामी बैतुलमाल वेनियमबाडी

915, Hajee Abdul Raheem Street, Fort,
Vaniyambadi-635 751 (Vellore Dist.)
Phone/Fax : 04174-225 481
E-mail : ibmvnb@gmail.com
Website : www.ibmvnb.org

क़ुरआन

मानवता के सृष्टिकर्ता का एक सन्देश

अंग्रेज़ी, हिन्दी, मराठी, गुजराती और दूसरी भारतीय भाषाओं
में क़ुरआन के अनुवाद का ग़ैर-मुस्लिम भाइयों और बहनों में वितरण

संपर्क करें : इक़बाल मसालावाला–09920182816

वॉइस ऑफ़ क़ुरआन

C/o रिच डिकोर

247, मौलाना आज़ाद रोड, उर्दू टाइम्स डेली दफ़्तर के बराबर में, नागपाड़ा, मुंबई-400008
फ़ोन : 23063564, फैक्स : 23087950
मोबाइल : 09920182816

DUAAS FOR MORE

Progress, Prosperity Peace & Integrity to

'KANTI' Monthly, Delhi

FROM



Dr. A Kareem Naik (Psychiatrist & Chairman of Rahmani Foundation)

Dr. Muhammad Naik (Dongri Clinic & Director of I.R.F.)

Dr. Zakir Naik (President Islamic Research Foundation & PEACE T.V.)

अल-जामेअतुल इस्लामिया, तिलकहना

पोस्ट ऑफ़िस-शिवपति नगर, ज़िला सिद्धार्थनगर (उ०प्र०) 272206

मुख्य विशेषताएं

* क़ुरआन व हदीस और अरबी साहित्य की स्तरीय शिक्षा
* दीनी व असरी (आधुनिक) शिक्षा का हसीन संगम
* छात्रों की मानसिक, वैचारिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था
* अरबी और अंग्रेज़ी बोल-चाल के लिए विशेष क्लासें
* इस्लामी लिट्रेचर की स्तरीय लाइब्रेरी
* 'आलमियत' की कक्षाओं में कम्प्यूटर की शिक्षा अनिवार्य
* समस्त सुविधाओं सहित हॉस्टल
* सेहत व तन्दुरुस्ती के लिए व्यायाम अनिवार्य
* अच्छे अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए विशेष सुविधाएं।

जामिया पर एक नज़र

शिक्षकों की कुल संख्या	31
मुलाज़िम	8
हॉस्टल में रहने वाले छात्रों की संख्या	150
मोअज़्ज़फ़	100
कुल संख्या	740
माहाना ख़र्च	1,06,154
हॉस्टल में कमरों की संख्या	36
हॉल की संख्या	06
दर्सगाह की संख्या	17

आलिया फ़ौक़ानिया मकतबे तहतानिया हिफ़्ज़ ई०जू० मिनि ITI.

इस्लामिया जूनियर स्कूल (कक्षा VI, VII & VIII)

आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ दीनियात और अरबी अनिवार्य विषय है।

विशेष आकर्षण

अल-जामिआ की आलमियत की डिग्री के आधार पर देश के सभी विश्वविद्यालयों में बी०ए० में दाख़िला मिल जाता है।

नोट : (1) दर्जा सोम (III) से दर्जा हशतुम (VIII) तक दाख़िला के इच्छुक छात्रों के लिए खाने-पीने की माक़ूल व्यवस्था और रहने के लिए हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है।
(2) मकतब व जूनियर दर्जों में दाख़िले के इच्छुक छात्र 1 जुलाई 2008 से 2009 15 जुलाई 2009 तक दाख़िला ले सकते हैं।
(3) आलिया दरजात के उम्मीदवार तलबा 1 जुलाई से 15 जुलाई तक दाख़िला ले सकते हैं।

प्रधानाचार्य ई०जू०हा० स्कूल
मोबाइल : 9839704284

प्रधानाचार्य आलिया
9935280647

नाज़िम : मुशताक़ अहमद
9839535405

अल-जामेअतुल इस्लामिया, तिलकहना

प्रबंधक मोबाइल : 9839535405, ऑफ़िस : 9936371753

इंटरव्यू

इस्लामी अर्थव्यवस्था यथार्थ पर आधारित होती है, अनुमान पर नहीं : एच॰ अब्दुर्रक़ीब

आजकल विश्व की अर्थव्यवस्था पर पूंजीवाद की ज़बरदस्त मार पड़ रही है । इसके कुपरिणाम सारी दुनिया भुगतने के लिए विवश है । इस विषम परिस्थिति में इस्लामी अर्थव्यवस्था को वैकल्पिक रूप में प्रस्तावित करना समीचीन है । अर्थ क्षेत्र के विशेषज्ञों का स्पष्ट रूप से कहना है कि अगर इस्लामी अर्थव्यवस्था को अपनाया जाता तो यह त्रासद स्थिति कदापि न आती । आज जिन मुस्लिम देशों में इस्लामी सिद्धांत पर अर्थव्यवस्था का जितना भाग है, उस पर वैश्विक आर्थिक मंदी का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ सका है । केवल वे भाग प्रभावित हुए हैं, जहां वर्तमान सिस्टम के उसूल क्रियान्वित थे । वर्तमान दुरावस्था को देखते हुए हमने यह निर्णय किया कि इस्लामी अर्थव्यवस्था के बारे में पाठकों को परिचित कराया जाए, ताकि वे इस कल्याणकारी व्यवस्था के लाभों से अवगत एवं लाभान्वित हो सकें । इस सिलसिले में 'कान्ति' के संपादक डॉ॰ मुहम्मद अहमद ने इंडियन सेन्टर फॉर इस्लामिक फ़ाइनेंस (ICIF) के संयोजक जनाब एच॰ अब्दुर्रक़ीब साहब से बातचीत की । जनाब अब्दुर्रक़ीब साहब नेशनल कमेटी ऑन इस्लामिक बैंकिंग के कन्वीनर भी हैं । प्रस्तुत हैं बातचीत के प्रमुख अंश–



● संपादक

■ वर्तमान में विश्व के अधिकांश बड़े और प्रभावशाली देश जिन्हें विकसित देश कहा जाता है, अर्थव्यवस्था को लेकर काफ़ी चिन्तित हैं, क्योंकि बैंकिंग, बीमा और फंड सेक्टर के उनके कारोबार का दीवाला निकल चुका है । इनकी अर्थव्यवस्था की ख़स्ताहाली के क्या कारण हैं ?

उत्तर : इसका एकमात्र कारण उनकी मानव शोषणकारी व्यवस्था है, जो ब्याज पर आधारित है । इसलिए रेत का टीला बार-बार साबित हो चुकी है । इस व्यवस्था में इस्लामी अर्थव्यवस्था की भांति परिसम्पत्ति (Asset) नहीं होती ।

■ इस्लामी अर्थव्यवस्था के मुख्य बिन्दुओं पर प्रकाश डालने का कष्ट करें ?

उत्तर : इस्लामी अर्थव्यवस्था मुख्यत: पांच बिन्दुओं पर आधारित होती है–(1) इसमें मानव हित सर्वोच्च होता है, इसलिए किसी प्रकार की अनुचित नीतियों और शर्तों का दख़ल नहीं होता । यह पूरी तरह शोषण मुक्त और ब्याज मुक्त व्यवस्था है । (2) यह व्यवस्था ब्याजरहित है । यह एक के लाभ और दूसरे की हानि और जोखिम पर आधारित नहीं है, बल्कि लाभ, हानि और जोखिम में उत्पादक व निवेशक की सहभागिता रहती

है । (3) इस्लामी अर्थव्यवस्था अनुमान पर आधारित नहीं होती, बल्कि निवेशक को व्यवसाय की यथार्थता की पूरी जानकारी होती है । इस में अनुमान व अटकल की गुंजाइश नहीं होती और न ही काल्पनिक सौदा होता है । (4) इसमें जुएबाज़ी जैसे शोषणकारी तत्व नहीं होते । अत: 'चांस' जैसी चीज़ न होने से सर्वथा यथार्थपरक होती है । और (5) यह व्यवस्था धन को मानवहितकारी उत्पादक चीज़ में लगाती है और धन-संग्रह के बजाय उसके गर्दिश पर ज़ोर देती है, ताकि धन समाज के सभी सदस्यों तक पहुंचे और उत्पादन व क्रयशक्ति में वृद्धि हो । इस व्यवस्था में संसाधन बाक़ी रहता है । इस्लामी व्यवस्था नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों को प्राथमिकता देकर धनी और निर्धन सभी वर्गों के हितार्थ काम करती है । वर्तमान प्रचलित अर्थव्यवस्था की शक्ल गुब्बारे की मानिंद है, जबकि इस्लामी अर्थव्यवस्था ठोस रूप में यथार्थपरक संसाधनों पर आधारित है ।

■ आज अमेरिका और पश्चिम के देश ज़बरदस्त वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं । इस ख़स्ताहाली के कुप्रभाव दुनिया के सभी देशों पर पड़ रहे हैं । देखा जा रहा है कि मुस्लिम देशों पर ही इसका आंशिक प्रभाव पड़ा है । इसका कारण क्या इस्लामी अर्थव्यवस्था के मौजूद तत्वों को माना जाए ?

उत्तर : यह वास्तविकता है कि विश्व के किसी भी मुस्लिम देश में इस्लामी अर्थव्यवस्था अपने मौलिक शक्ल में मौजूद नहीं है । लेकिन कई मुस्लिम देशों और अन्य देशों में इस्लामी बैंकिंग सफलतापूर्वक कार्यरत है । इन देशों के बैंकिंग सेक्टर से सीधे जुड़े कारोबार एक तरह से आर्थिक मंदी से अप्रभावित हैं या बहुत ही कम प्रभाव पड़ा है । अगर कुछ प्रभाव पड़ा है तो इसका एकमात्र कारण अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण के प्रभाववश निवेशकों व जुड़े लोगों के मन में आयी आशंका है ।

■ भारत में इस्लामी बैंकिंग को व्यावहारिक रूप देने के लिए की जा रही कोशिश कितनी फलीभूत हुई हैं ?

उत्तर : ब्रिटेन, सिंगापुर, थाईलैंड और चीन में इस्लामी बैंकिंग को परीक्षण के तौर पर आरंभ किया गया था । इसके सुपरिणाम सामने आये तो इसका विस्तार किया जा रहा है । भारत में इसे अभी शुरू नहीं किया जा सका है, लेकिन डॉ॰ मनमोहन सिंह इसकी जनोपयोगिता को देखते हुए उस वक़्त इसे अपनाने के पक्ष में थे, जब वे वित्तमंत्री थे । केन्द्र में यू॰पी॰ए॰ सरकार के आने के बाद 2005 में आर॰बी॰आई॰ ने आनन्द सिन्हा की अध्यक्षता में इस्लामी बैंकिंग के विभिन्न पहलुओं पर ग़ौर करने के लिए एक समिति बनायी थी, जिसने दस महीने बाद अपनी रिपोर्ट दे दी । इसके बाद रघुराम राजन कमेटी बनी, जिसने भी अपनी रिपोर्ट दे दी है और इस्लामी बैंकिंग को विधिवत अपनाने की अनुशंसा की है । आशा है, निकट भविष्य में इसका व्यावहारिक रूप सामने आएगा और इसके क्रियान्वित होने से जनसमाज को असाधारण लाभ होगा ।

माल का लालच और ईमान दोनों किसी बन्दे के दिल में हरगिज़ जमा नहीं हो सकते ।

मद्रासी

मद्रासी होटल
मालवीय रोड
रायपुर (सी॰जी॰)
फोन : 0771-2539516,2236788

मद्रासी होटल
शॉप नं॰ 1-7
मोतीबाग़ चौपाटी, रायपुर
फोन : 0771-2533946, 5053603

आर्थिक शोषण से मुक्ति का एकमात्र उपाय

● संपादन प्रभाग

जहां तक बात इस्लामिक बैंकिंग की है तो अमेरिका, यूरोप और एशिया के कई देशों में यह सफलतापूर्वक चल रही है । सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और एच॰डी॰बी॰सी॰ आदि बैंकों ने कई देशों में ब्याजरहित विंडोज खोले हैं, जो सफलतापूर्वक चल रहे हैं । 2004 में ब्रिटेन में वहां की वित्तीय विनयामक संस्था की इजाज़त से इस्लामिक बैंक ऑफ़ ब्रिटेन की स्थापना हुई थी । इसकी अब तक दर्जन से अधिक शाखाएं खुल चुकी हैं, जो इस्लामी शरीअत के अनुसार बैंकिंग का काम कर रही हैं ।

एक अनुमान के अनुसार विश्व में 150 से ज़्यादा बैंक इस्लामिक बुनियादों पर काम कर रहे हैं, जिनमें लगभग 300 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की पूंजी लगी हुई है । हमारे देश में भी लगभग 57 करोड़ की पूंजी के साथ 10 निजी सेक्टर के बैंक ब्याजरहित प्रणाली के तहत काम कर रहे हैं ।

ब्रिटेन के 'बैंक ऑफ़ इंग्लैंड' ने ब्रिटेन के दूर-दराज़ के इलाक़ों में इस्लामी पद्धति के ऐसे बैंक स्थापित करने का निर्णय लिया है जिसका कामकाज ब्याज पर आधारित नहीं होगा, बल्कि बैंक में धन जमा करने वालों का धन लाभदायक धंधों में लगाया जाएगा और लाभांश ख़ातेदारों में बांट दिया जाएगा । एक प्रसिद्ध इस्लामी बैंकिंग के विशेषज्ञ व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री खुर्शीद अहमद ने कहा है कि इस्लामी फ़ाउंडेशन ने वर्तमान संदर्भों में इस्लामी बैंकिंग के तौर-तरीक़े निर्धारित कर लिए गये हैं । कई एक इस्लामी बैंकों ने बाज़ार में प्रवेश किया है और वे नयी-नयी योजनाओं में निवेश का प्रस्ताव रख रहे हैं ।

सिटी बैंक जैसे पश्चिमी बैंक भी इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं । सिटी बैंक ने हाल ही में इस्लामी बैंकिंग डिवीज़न की स्थापना की है । मलेशिया ने भी लेब्रुआन द्वीप में अपना समुद्रपारीय इस्लामिक बैंकिंग सेन्टर स्थापित किया है ।

20 वर्ष पूर्व संयुक्त अरब अमीरात में दुबई इस्लामिक बैंक की स्थापना के बाद से आधुनिक इस्लामिक बैंकिंग प्रणाली में इंडोनेशिया तथा ब्रूनेई की भी भागीदारी है ।

भारत में भी प्राइवेट सेक्टर में इस्लामी बैंकिंग की शुरुआत हो चुकी है और कर्नाटक राज्य के बंगलोर स्थित ''अल अमीन ट्रस्ट'' द्वारा संचालित ''अल अमीन इस्लामिक फाइनेंशियल कारपोरेशन'' ने मुंबई, दिल्ली, मद्रास, हैदराबाद व कालीकट में तथा कर्नाटक के बड़े शहरों में अपनी शाखाएं खोली हैं । यह संस्था बड़ी ही कामयाबी से ग़ैर-सूदी (ब्याजरहित) लेन-देन का कारोबार कर रही है । यह संस्था विभिन्न योजनाओं के तहत धन इकट्ठा करती है और प्राप्त धन को हाउसिंग डेवलपमेंट, दवा निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स व अन्य आधुनिक उद्योगों में निवेशित करती है तथा सभी ज़रूरतमंदों को ग़ैर-सूदी

एहतिशाम ख़ान मोबाइल : 09425842976

पब्लिक ट्रैवेल्स

सिवनी से मंडला	प्रातः 7:20
सिवनी से छिंदवाड़ा	प्रातः 7:55
छिंदवाड़ा से बालाघाट	प्रातः10:30
मंडला से सिवनी	दिन 12:50
बालाघाट से सिवनी	सायं 6:00
सिवनी से नैनपुर	सायं 5:40
नैनपुर से सिवनी	दिन 12:20

प्रतिदिन

नोट : शादी व पार्टियों के लिए 33, 40 एवं 50 सीटर बस उपलब्ध है संपर्क करें-

एहतिशाम ख़ान, बस स्टैंड, सिवनी (मध्य प्रदेश)

ऋण भी उपलब्ध कराती है । यह संस्था बड़ी ही कामयाबी से अपना काम अंजाम दे रही है । इसमें धन जमा करने वालों को सरकारी बैंकों में जमा धन के ब्याज के नाम पर प्राप्त धन से अधिक लाभ प्राप्त होता है ।

इस प्रणाली की सफलता को देखते हुए कई एक-दूसरी संस्थाएं भी अस्तित्व में आयी हैं, जिनमें मर्कज़ इनवेस्टमेंट, नाफ़े, बरकत इनवेस्टमेंट का नाम प्रमुख है । दक्षिण भारत के राज्यों में इस्लामिक बैंकिंग का रुझान अधिक है तथा वहां की कल्याणकारी संस्थाएं इनमें दिलचस्पी ले रही हैं और सफलतापूर्वक इन्हें स्थापित एवं संचालित कर रही हैं । उत्तर भारत विशेषकर उत्तर प्रदेश व बिहार तथा मध्य प्रदेश में भी लोगों को इस ओर ध्यान देना चाहिए तथा सूद-ब्याज की लानत से पाक इस्लामी बैंकों की स्थापना के लिए कोशिशें तेज़ हो गयी हैं ।

भारत में ब्याजरहित बैंकिंग प्रणाली की ओर जमाअत इस्लामी हिन्द ने आपातकाल के बाद बनने वाली जनता पार्टी सरकार का ध्यान दिलाया था लेकिन तत्कालीन वित्त मंत्री एच॰एम॰ पटेल ने ब्याजरहित बैंकिंग को अव्यावहारिक बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन अब सरकार की पहल के बाद इसके व्यावहारिक होने की संभावना बढ़ गयी है । ब्याजरहित बैंकिंग प्रणाली इस्लामी सिद्धांतों पर आधारित है और अरब जगत में तेल की खोज के बाद शुरू हुई । इसमें ब्याज की कोई व्यवस्था नहीं है । इस प्रणाली का बुनियादी मक़सद आर्थिक रूप से शोषित होने से बचाना और दौलत को एक हाथ में जमा होने से रोकना, ताकि वह घूमती रहे ।

इस संदर्भ में इस्लामी बैंक ऑफ़ बंगलादेश का उल्लेख करना ग़लत न होगा, जिसने अपने 20 वर्षों के इतिहास में बैंकिंग क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है । इस बैंक ने 1986 में 75 करोड़ अमेरिकी डॉलर से शुरुआत की इसके बाद लगातार इसका कारोबार बढ़ता गया । इसकी गतिविधियों के आधार पर बैंकिंग प्रणाली के सभी क्षेत्रों ने इस बात की प्रशंसा की कि ब्याजरहित कारोबार के बावजूद इसकी आमदनी काफ़ी आकर्षित रही है । पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व वरिष्ठ मैनेजर एहसानुल हक़ का मानना है कि आर्थिक सुधार का मतलब क़र्ज़ द्वारा उसकी स्थिति को सुधारना है न कि ब्याज के बोझ से उसकी अर्थव्यवस्था को बिगाड़ना, जैसा कि आंध्र प्रदेश व अन्य जगहों के किसान इस बोझ के चलते आत्महत्या कर रहे हैं, जो कि हम सबके लिए चिंता का विषय है ।

देश का हर नागरिक लगभग 25,000 रुपये का क़र्ज़दार है । यह पैसा उसने नहीं लिया, सरकार ने लिया है । सरकार पर उसकी देनदारी है, लेकिन वह इसकी भरपायी जनता पर टैक्स लगाकर ही पूरी करेगी ।

यदि इस क़र्ज़ की समीक्षा की जाए तो इस राशि में अधिकतर राशि वह है जो विदेशी क़र्ज़ के समय पर अदा न करने की सूरत में ब्याज के रूप में है । यदि ऐसे में ब्याजरहित व्यवस्था इस शोषित व्यवस्था के निदान हेतु कोई उपाय विकल्प के तौर पर सामने आ रहा है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए ।

HINDUSTAN TRAVELS

Prop.
ABDUL RASHID
Mob : 9425254335



Ambikapur to Bilaspur 4:30 (Morning)
Vishrampur to Bilaspur 4:25 (Morning)
Raipur to Ambikapur 9:20 (Night)

Address : Implipara, Ambikapur, Surguja-497001 (C.G)

इंटरव्यू

अमीरी और ग़रीबी में बंटे समाज के इलाज के लिए ज़रूरी है इस्लामी बैंकिंग–डॉ॰ फ़रीदी

जमाअत इस्लामी हिन्द देश में इस्लामी बैंकिंग की स्थापना के सिलसिले में दशकों से प्रयासरत है । उसके तत्वावधान में इस विषय पर 18 और 19 फ़रवरी 2006 को फ़िक्की ऑडीटोरियम और जामिया हमदर्द में अन्तर्राष्ट्रीय सेमीनार का आयोजन किया जा चुका है । भारत में इस्लामी बैंकिंग की उपयोगिता को दृष्टिकर प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉ॰ फ़ज़्लुर्रहमान फ़रीदी से लिए गये इंटरव्यू का कतिपय अंश यहां प्रकाशित किया जा रहा है–

● **इस्लामी बैंकिंग का संक्षेप में परिचय कराइए ? और यह भी बताइए कि भारत में इसकी क्या उपयोगिता है ।**

जवाब : इसकी उपयोगिता और आवश्यकता सारी इन्सानियत को है । जहां तक भारतीय सन्दर्भ का ताल्लुक़ है, तो यहां का पूरा समाज अमीरी और ग़रीबी में बंट गया है । इसको कम करने व इसका इलाज करने के लिए इस्लामी बैंकिंग अच्छा ज़रिया है । दूसरे इस देश में मुसलमानों की बड़ी तादाद है । इस्लाम में ब्याज का निषेध है, इसलिए लोगों को ऐसे अवसर उपलब्ध कराये जाएं कि वे ब्याजरहित बैंकों से लाभ उठा सकें और इस तरह शोषण से भी बचे रहें ।

● **इस्लामी बैंकिंग को अपनाने के सिलसिले में यू॰पी॰ए॰ सरकार का क्या रोल रहा है ?**

जवाब : सरकार ने इस बारे में कोई निगेटिव रोल तो नहीं अदा किया है, अलबत्ता उसने एक कमेटी बनायी थी जो इस पर ग़ौर कर चुकी है कि इस्लामी बैंकिंग की व्यावहारिकता और इसकी संभावनाएं यहां किस हद तक पायी जाती हैं और इसे अपनाने से देश की अर्थव्यवस्था कितनी मज़बूत हो जाएगी । इस कमेटी ने सकारात्मक रिपोर्ट दी है ।

● **अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बैंकिंग काफ़ी कामयाब हुई है । यहां पर इसकी राह में किस तरह की चुनौतियां हैं ?**

जवाब : यहां के बैंकिंग रूल गैर-सूदी बैंक की राह में सबसे बड़ी रुकावट हैं । जब तक उसमें कोई व्यापक बदलाव नहीं किया जाता, तब तक इस्लामी बैंकों का काम करना मुश्किल है । हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि वह हमें क़ानूनी तौर पर बैंक क़ायम करने की अनुमति दे । सरकार की समस्या यह है कि वह सारे बैंकों को रिज़र्व बैंक के ज़रिये कंट्रोल करती है । इसका सारा काम-काज सूद पर आधारित है । दूसरे इस्लामी बैंकिंग को ब्याज वाले बैंकों से कम्पटीशन तो करना ही पड़ेगा ।

● **पहले से काम कर रहे बैंकों से इस्लामी बैंक किस तरह अलग होंगे ?**

जवाब : इस्लामी बैंक वित्तीय संसाधनों का बंटवारा करने में इस बात का ख़्याल रखेंगे कि दबे-कुचलों व

ग़रीबों को बराबर के अवसर मिलें। यह भी कोशिश होगी कि बंटवारा दौलत इन्साफ़ पर आधारित हो। इसकी एक मिसाल माइक्रो फाइनेंसिंग है।

● **मुस्लिम संगठनों ने इस्लामी बैंकिंग को यहां पर क़ायम करने के लिए इससे पहले क्या कोशिशें की हैं ? लोगों को इसके बारे में कितना बताया गया है ?**

जवाब : भारत में इस पर बहुत ही कम काम हुआ है। मुस्लिम संगठन ज़्यादातर राजनीति के क्षेत्र में हैं। इस तरह के कांस्ट्रक्टिव कामों की तरफ़ उनका कोई ध्यान नहीं है। जमाअत इस्लामी हिन्द ने थोड़ा-बहुत काम किया है, लेकिन जमाअत हर काम तो कर नहीं सकती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को इसकी जानकारी दी जाए। जमाअत लिट्रेचर के ज़रिये बहुत दिनों से कोशिश करती रही है ताकि लोगों को समझाया जा सके कि इस्लामी बैंकिंग क्या है। इस मामले में प्रैक्टिकल काम करने की कोशिशें बहुत कम हुई हैं।

भेंटकर्ता : **मुहम्मद यूसुफ़ 'मुन्ना'**

इस्लामी फाइनेंस कोर्स

➢ न्यू कैसल यूनीवर्सिटी अगले शैक्षिक सत्र से इस्लामी फाइनेंस में एम०एस०सी० कोर्स शुरू करने की घोषणा की है।

➢ हेन्ले बिज़नेस स्कूल, ब्रिटेन ने ऐसा ही कोर्स क्वालालंपुर मलेशिया के सहयोग से शुरू कर चुका है।

➢ दुबई में कास (Cass) बिज़नेस स्कूल इस्लामी फाइनेंस में एम०बी०ए० करा रहा है।

➢ फ्रांस में रेम्स (Reims) मैनेजमेंट स्कूल अंग्रेज़ी भाषा में इस्लामी वित्तीय व्यवस्था का डिग्री और दक्षता पाठ्यक्रम चला रहा है।

➢ ब्रिटेन के वैल्स में बांगोर (Bangor) यूनीवर्सिटी एम०ए०, एम०एस०सी० और एम०बी०ए० में इस्लामी फाइनेंस का विकल्प रखा है।

➢ दरहम स्थित इस्लामी फाइनेंस प्रोग्राम के संस्थापक और डायरेक्टर रोडनी विल्सन के अनुसार दुनिया के विभिन्न देशों में छात्र-छात्राएं इस पाठ्यक्रम के प्रति खासी दिलचस्पी दिखा रहे हैं।

छत्तीसगढ़ बैतुलमाल फ़ाउंडेशन, रायपुर

आशियाना, फव्वारा चौक, बैरन बाज़ार, रायपुर-492001, फ़ोन : 07712432552

नोट: ये तमाम मंसूबे बग़ैर किसी मसलक व मिल्लत, बग़ैर किसी ख़ास मक्तबे फ़िक्र, मज़हब व जमाअत के फ़र्क़ के आम इन्सानी जज़्बे और इन्सानी ख़िदमत के तहत अंजाम दिए जाएंगे।

फ़ाउंडेशन के अग़राज़ व मक़ासिद

1. यतीम, नादार, बेवा, गुर्बा, मसाकीन, परेशानहाल मुसाफ़िर, माज़ूर, लाचार की हस्बे हैसियत मदद।
2. ग़रीब लड़कियों की शादी के इख़राजात का इन्तिज़ाम।
3. ज़हीन और होशियार बच्चों को तालीम में मदद, फ़ीस, स्कॉलरशिप की फ़राहमी।
4. शासकीय योजनाओं के अंतर्गत स्कॉलरशिप फॉर्म बनाने, लाइब्रेरी, मेडीकल और तालीमी कैम्प का आयोजन।
5. प्राकृतिक आपदाओं में हस्बे हैसियत, मदद।
6. ग़रीब व बेवाओं को रोज़गार उपलब्ध कराने का प्रयास।
7. राज्य के मुस्लिम सोसायटी एन०जी०ओज़० को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर मुस्लिम समस्याओं के निदान पर कार्यवाही।
8. वक़्फ़ जायदादों के प्रति आम मुसलमानों में जागरूकता लाकर सम्पत्तियों की आमदनी से आम ग़रीबों को फ़ायदा पहुंचाना।
9. अन्य समान उद्देश्यों में कार्य करना।

फ़ाउंडेशन के आमदनी के ज़राये

1. लोगों से डोनेशन, अतियात और वस्तुओं में मदद हासिल करना।
2. ज़कात, सदक़ा, ख़ैरात, चर्म क़ुरबानी, वक़्फ़ जायदाद, डोनेशन, इम्दाद और अतियात का हासिल करना।

मिल्लते इस्लामिया से अपील

अहले ख़ैर हज़रात बतौर अतियात हस्बे हैसियत कुछ फ़राहम करें। मसलन अतिया बतौर रक़म, ज़रूरियात की अशिया, अपने क़ीमती औक़ात से कुछ वक़्त निकालकर गिरांक़द्र मश्विरे से मुस्तफ़ीद फ़रमाएं और काम की अंजामदेही में बेलौस ख़िदमत मुहैया कराएं।

E-mail : mzsiddique@hotmail.com, www.cbfraipur.org

इस्लामी बैंकिंग के प्रति बढ़ता रुझान

■ **अमजद अब्बासी**

विश्व वित्तीय संकट से जहां बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी बढ़ी है, बड़ी-बड़ी आर्थिक संस्थाएं दीवालिया हो रही हैं और विश्व अर्थव्यवस्था हिल कर रह गयी है, वहां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का भविष्य भी संकट में नज़र आ रहा है । अर्थशास्त्रियों का दावा है कि वे अर्थव्यवस्था को इस संकट से उबारने में सफल हो जाएंगे, हो सकता है इसमें कुछ वर्ष लगे । लेकिन बहुत से लोगों का यह भी विचार है कि यह संकट पूंजीवादी व्यवस्था के विघटन का आरंभ है । इसलिए विश्व स्तर पर बड़ी बेचैनी है और एक न्यायाधारित और सुदृढ़ विकल्प की आवश्यकता और उसकी मांग ज़ोर पकड़ती जा रही है । वैकल्पिक व्यवस्था की तलाश जारी है और विभिन्न समाधान भी प्रस्तुत किये जा रहे हैं ।

इस्लामी बैंकिंग वर्तमान आर्थिक और वित्तीय संकट से बड़ी हद तक सुरक्षित है । अर्थात, पूंजीवाद की नैया डूबने को है और मानवता अपने मूल की ओर पलटने को मजबूर है । अल्लामा यूसुफ़ क़रज़ावी का कहना है कि पूंजीवादी व्यवस्था का विघटन इस बात का प्रमाण है कि इस्लाम की अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है ।

एक समाधान समाजवाद के अन्तर्गत संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण करने और ग़रीब वर्गों के हितों की रक्षा को सुनिश्चित करने के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है, जो कि अतीत में आज़माया जा चुका है और ब्याज पर आधारित अर्थव्यवस्था से उत्पन्न समस्याओं का केन्द्रीकरण और अमीर व ग़रीब के अन्तर जैसी समस्याओं का कोई समाधान नहीं है । हालात के हाथों मजबूर होकर भी और सुरक्षित बैंकिंग के रूप में भी इस्लामी बैंकिंग की ओर रुझान बढ़ रहा है । मुसलमानों के साथ-साथ बड़ी संख्या में ग़ैरमुस्लिम भी इसकी ओर झुक रहे हैं । अमेरिका, जिसे आर्थिक संकट का सबसे ज़्यादा सामना है वहां भी इस्लामी बैंकिंग विकसित हो रही है और इस्लामी बैंक खुल रहे हैं । इस्लामी बैंकिंग में पूंजीवादी व्यवस्था के अवगुण, जैसे ब्याज, सट्टे का कारोबार, ऋण और जमाख़ोरी जो अर्थव्यवस्था को तंग कर देते हैं और धन को केन्द्रीकृत कर देते हैं, नहीं पाये जाते हैं । दरअस्ल पूंजीवादी व्यवस्था के इन्हीं अनगुणों के कारण आर्थिक संकट उत्पन्न होते हैं ।

इस्लामी बैंकिंग वर्तमान आर्थिक और वित्तीय संकट से बड़ी हद तक सुरक्षित है । अर्थात, पूंजीवाद की नैया डूबने को है और मानवता अपने मूल की ओर पलटने को मजबूर है । अल्लामा यूसुफ़ क़रज़ावी का कहना है कि पूंजीवादी व्यवस्था का विघटन इस बात का प्रमाण है कि इस्लाम की अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है ।

जाने-माने अर्थशास्त्री डॉ॰ निजातुल्लाह सिद्दीक़ी के विश्लेषण के अनुसार वर्तमान वित्तीय संकट के मौलिक कारण प्रतिबंधरहित ब्याज वाले ऋण पर आधारित पूंजीनिवेश, सट्टा, जुआ, स्वार्थ और धनलोलुपता है । इसके अलावा आर्थिक गतिविधियों का हर प्रकार के नैतिक बंधनों से स्वतंत्र होना है । जैसे कि जुआ और सट्टेबाज़ी आदि इसके समाधान के बारे में उन्होंने कहा आर्थिक गतिविधियों से ब्याज और जुए के अवयव को समाप्त कर दें और बाज़ार को नैतिक नियमों से बांध दें तो वित्तीय संकट पर बड़ी हद तक क़ाबू पाया जा सकता है ।

आर्थिक और वित्तीय संकट के एक और कारण की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा कि पूंजीवादी व्यवस्था ने पूंजीनिवेश और संभावित आमदनी की कल्पना को बढ़ावा दिया, जिससे सट्टेबाज़ी को बढ़ावा मिला ।

परिणामस्वरूप वास्तविक पूंजीनिवेश नहीं होने के कारण अर्थव्यवस्था बैठ गयी । इस संकट का एक और कारण क्रेडिट कार्ड कल्चर को बढ़ावा देना भी है, जो कि ब्याज पर आधारित अर्थव्यवस्था का ही भाग है और अंत में 'क्रेडिट डिफाल्ट' (पूंजी विनाश) का कारण बना हुआ है ।

इस्लाम इन समस्याओं का समाधान इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि पहले ही क़दम पर ब्याज और ब्याज पर आधारित पूंजीनिवेश को हराम ठहराता है । ब्याज पर क़र्ज़ ऐसा अत्याचारपूर्ण पूंजीनिवेश है कि पूंजीपति को इससे कोई मतलब नहीं होता कि क़र्ज़ लेने वाला क़र्ज़ की अदायगी कैसे करेगा, उसे केवल अपनी पूंजी से मतलब होता है । इसके विपरीत इस्लाम लाभ और हानि के आधार पर साझेदारी को जायज़ ठहराता है और शोषण को समाप्त करता है ।

इस समय इस्लामी बैंकिंग में कई स्कीमों के तहत पूंजीनिवेश किया जा रहा है और दुनिया भर में यह तेज़ी से आगे बढ़ रहा है । दूसरी बात यह कि इस्लाम जुए और सट्टे को हराम ठहराता है और वास्तविक आधारों पर पूंजीनिवेश करता है । संभावित आमदनी के पूंजीनिवेश पर जुआ और सट्टा होने के कारण प्रतिबंध लगाता है । तीसरी बात यह कि स्वार्थ के बजाय सामूहिक हितों को ध्यान में रखता है ।

इस समय इस्लामी बैंकिंग में कई स्कीमों के तहत पूंजीनिवेश किया जा रहा है और दुनिया भर में यह तेज़ी से आगे बढ़ रहा है । दूसरी बात यह कि इस्लाम जुए और सट्टे को हराम ठहराता है और वास्तविक आधारों पर पूंजीनिवेश करता है । संभावित आमदनी के पूंजीनिवेश पर जुआ और सट्टा होने के कारण प्रतिबंध लगाता है । तीसरी बात यह कि स्वार्थ के बजाय सामूहिक हितों को ध्यान में रखता है ।

इसके नतीजे में क़र्ज़ पर आधारित पूंजीनिवेश बड़ी हद तक समाप्त हो जाती है और संभावित आमदनी के आधार पर अर्थव्यवस्था को पेश आने वाले ख़तरों में भी कमी आती है । इसके अलावा इस्लाम में ज़कात व उशरा की व्यवस्था, विरासत का बंटवारा, धन की प्राप्ति में जायज़ व नाजायज़ का अन्तर और धन में ग़रीब और ज़रूरतमंद लोगों के अधिकारों का निर्धारण करके धन के न्याय पर आधारित बंटवारे के आधार पर एक कल्याणकारी समाज का निर्माण करता है ।

इस्लामी बैंकिंग का रुझान

एक अनुमान के अनुसार इस्लामिक फाइनांस दुनिया के पूंजीनिवेश का एक प्रतिशत (एक ट्रिलियन डॉलर) है, लेकिन इसमें 15-20 प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है । वर्तमान वित्तीय मंदी से इसकी वृद्धि की दर में और तेज़ी आयी है । मिडिल ईस्ट इकोनोमिक डाइजेस्ट के अनुसार 2012 ई॰ तक खाड़ी में होने वाली कारोबारी डील का लगभग एक तिहाई इस्लामी बैंकिंग पर आधारित होगा । यही कारण है कि दुनिया के 75 देशों में काम करने वाले 1300 इस्लामी बैंकों का मुक़ाबला करने और इस्लामी बैंकिंग की मार्केट में प्रवेश करने के लिए विश्व विख्यात बैंक एच॰एस॰बी॰सी॰, Deutsche बैंक और सिटी बैंक बड़े पैमाने पर पूंजीनिवेश कर रहे हैं और इस्लामी बैंकिंग के लिए खिड़कियां खोल रहे हैं ।

ब्रिटेन में इस्लामिक मौर्गेज मार्केट में पूंजीनिवेश 900 मिलियन डॉलर से बढ़ चुकी है । एच॰एस॰बी॰सी॰ के अनुसार ग्लोबल इस्लामिक इंश्योरेंस मार्केट 25 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ रही है और इसमें पूंजीनिवेश 2010 ई॰ तक 14 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी । एच॰एस॰बी॰सी॰ ने मलेशिया में इस्लामिक मौर्गेज का आरंभ किया तो पहले ही साल पूंजी लगाने वालों की आधी संख्या ग़ैरमुस्लिमों की थी ।

फ्रांस में भी इस्लामी बैंकिंग विकसित हो रही है । इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि पिछले वर्ष फ्रेंच सीनेट ने एक सभा का आयोजन किया, जिसमें राजनीतिज्ञों, बैंकरों और शरीआ स्कॉलरों ने भी भाग लिया । इस सभा में इस पर विचार किया गया कि इस्लामिक फाइनेंस के विकास और जनजागरूकता के लिए सरकारी स्तर पर क्या किया जा सकता है और यह

कि टैक्स क़ानून में परिवर्तन के लिए क्या क़ानून बनाया जाए ।

अमेरिका में भी इस्लामी बैंकिंग का रुझान बढ़ रहा है । मिशीगन में पहला इस्लामी बैंक यूनीवर्सिटी इस्लामी बैंक के नाम से खोला गया है, जिसे सरकार का समर्थन भी प्राप्त है । यह ब्याजरहित बैंकिंग कर रहा और तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है । इसके डायरेक्टर जान सकलर का कहना है कि आज हम जिस वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं, अगर हमने इस्लामी बैंकिंग को आधार बनाया होता तो हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता ।

शरीआ फाइनेंस कोर्स प्रारंभ

जैसे-जैसे इस्लामी बैंकिंग का रुझान बढ़ रहा है, वैसे-वैसे शरीआ स्कॉलरों की कमी भी महसूस की जा रही है । इसी कमी को पूरा करने के लिए शरीआ कोर्स का उद्घाटन किया जा रहा है । मलेशिया सेन्ट्रल बैंक और सऊदी अरब इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से शरीआ स्कॉलरों की तैयारी के लिए 53 मिलियन डॉलर के वज़ीफ़े निर्धारित किये हैं । कई मदरसों के द्वारा शरीआ फाइनेंस के कोर्स का रुझान सामने आया है । पश्चिम में भी यह चलन बढ़ता जा रहा है ।

ब्रिटेन को शरीआ फाइनेंस कोर्सेज के कारण प्रसिद्धि मिल रही है । फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार यूनीवर्सिटी ऑफ रीडिंग, लंदन इस्लामिक फाइनेंस कोर्सेज़ के लिए एक सेन्टर स्थापित कर रही है । पिछले साल यूनीवर्सिटी ने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड इस्लामिक फाइनेंस की मास्टर डिग्री का उद्घाटन किया था । बिनगोर यूनीवर्सिटी वेल्ज़ और रोबर्ट शोमान यूनीवर्सिटी, सिट्रसवर्ग, फ्रांस ने भी ऐसे कोर्स शुरू किये हैं ।

इस्लामिक बैंकिंग अभी तैयारी की प्रक्रिया से गुज़र रही है, इसलिए दुनिया का विरोध, कार्यात्मक कठिनाइयां और लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग में समस्याओं का सामना स्वाभाविक है, जिन्हें संयम के साथ हल किया जा सकता है । वर्तमान रुझान की मांग है कि इस्लाम की आर्थिक अवधारणाओं को वर्तमान स्थिति के अनुसार संपादित किया जाए । शरीआ फाइनेंस के विशेषज्ञों की बड़े पैमाने पर तैयारी की जाए । इस्लामी बैंकिंग के बारे में जो वैचारिक मतभेद पाया जाता है उनका निष्पक्ष विश्लेषण करने की आवश्यकता है । इसके लिए सेमीनारों और कांफ्रेंसों का आयोजन होना चाहिए । साथ ही इस्लामी व्यवस्था को स्थापित करने की भी कोशिश की जानी चाहिए ।

एक समय था जब ब्याज के बिना अर्थव्यवस्था की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, ऐसे में मौलाना मौदूदी ने अपनी किताब सूद (1936 ई॰) में पहली बार इस्लामी वित्त व्यवस्था की अवधारणा प्रस्तुत की । उन्होंने इस शंका को दूर कर दिया की ब्याज का उन्मूलन संभव नहीं है । आज इस्लामी बैंकिंग एक सच्चाई है ।

विश्व वित्तीय संकट ने पूंजीवाद और ब्याज पर आधारित अर्थव्यवस्था की चूलें हिला दी हैं और वैकल्पिक अर्थव्यवस्था के लिए इस्लाम और इस्लामी बैंकिंग पर भरोसा किया जा रहा है । ब्याज जो कि पूंजीवाद की आत्मा है, इसकी समाप्ति पूंजीवाद की समाप्ति है । आज ब्याज पर आधारित अर्थव्यवस्था समाप्ति के निकट है । दुनिया ने ऐसे में जिस व्यवस्था की ओर क़दम बढ़ाया है, इससे इस्लाम की न्यायपूर्ण व्यवस्था की मार्ग प्रशस्त होता है । वह दिन दूर नहीं जब दुनिया का भविष्य ब्याजरहित, न्यायपूर्ण और स्थायी अर्थव्यवस्था होगा ।

Feroze's Estate Agency

"Prestige Feroze"
No. 74,
Cunningham Road,
Bangalore-560052
Ph.: 080-40786786/
41510786
Mob. : 9845018080

FEROZE'S
ESTATES & PROPERTIES

Feroze Abdulla
CEO

E-mail : reachus@ferozes.com, www.ferozes.com

हज़रत इब्न उमर (रज़ि॰)
कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्ल॰)
को यह कहते हुए सुना : ''तुममें से प्रत्येक
व्यक्ति ज़िम्मेदार है और तुममें से प्रत्येक व्यक्ति
से जो कुछ उसकी ज़िम्मेदारी में दिया गया है
उसके विषय में पूछा जाएगा । शासक ज़िम्मेदार
है और उससे उसकी ज़िम्मेदारी के सिलसिले में
पूछा जाएगा । और पुरुष अपने घर का
ज़िम्मेदार है और उससे उसकी ज़िम्मेदारी के
बारे में पूछा जाएगा । और स्त्री अपने पति के
घर में ज़िम्मेदार है और उससे उसकी ज़िम्मेदारी
के बारे में पूछा जाएगा । और सेवक अपने
स्वामी के माल का ज़िम्मेदार है और उससे
उसकी ज़िम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा । इस
प्रकार तुममें से प्रत्येक व्यक्ति ज़िम्मेदार है और
जो ज़िम्मेदारी उसे सौंपी गयी है उसके बारे में
उससे पूछा जाएगा ।''
(बुख़ारी, मुस्लिम)

एक ख़ैरख़्वाह
मुंबई

इस्लामी बैंकिंग : बढ़ता कारोबार

■ एस० जी० हक़

ब्याज और क़र्ज़ के मकड़जाल में फंसी दुनिया अब सूद से पनाह मांगती नज़र आ रही है । हमारे देश में ऐसी ख़बरें आये दिन आती रहती हैं कि ब्याजपरक क़र्ज़ के बोझ की मार के कारण आत्महत्याएं हो रही हैं । इस स्थिति का सामना विकासशील से लेकर विकसित समाज तक के लोग कर रहे हैं । दरअस्ल ब्याज एक अभिशाप सिद्ध हुआ है और सारी दुनिया के लोग अब ब्याज से मुक्ति पाकर वैकल्पिक वित्तीय प्रणाली में ज़्यादा रुचि दिखाने लगे हैं ।

उल्लेखनीय है कि विश्व की कई सरकारें क़र्ज़ के बोझ तले दबी हैं । वे ब्याज अदा करते-करते परेशान हैं और मूलधन की कौन पूछे, ब्याज ही ख़त्म होने का नाम नहीं लेता । आज जो अमीर देश कहलाते हैं, कभी संसाधनविहीन एवं ग़रीब देश हुआ करते थे । उन देशों ने औपनिवेशिक नीतियां अपनाकर संसाधन सम्पन्न देशों को लूटा तथा बाद में ब्याज के जाल में फांस कर ग़रीबों को और ग़रीब कर दिया ।

विश्व के वर्तमान वित्तीय परिदृश्य में इस्लामी सिद्धांतों के अनुकूल वित्तीय प्रणाली दुनिया भर में लोकप्रिय हो रही है । इस्लाम लेन-देन में सूद को नाजायज़ क़रार देता है । इसलिए इस्लामी वित्तीय संस्थानों में न तो डिपॉज़िट्स पर सूद दिया जाता है और न ही लोन पर सूद वसूल किया जाता है ।

ग़ौरतलब है कि जब इस्लामी बैंकिंग की बातें मुसलमानों द्वारा दुनिया के सामने पेश की गयी थी, तो सारी दुनिया विशेषकर यूरोपियन, अर्थशास्त्र के पंडितों ने, इसे धर्मान्धता तथा बिल्कुल अव्यावहारिक सिद्धांत कहा था । किन्तु आज हालत यह है कि अमेरिकी और यूरोपियन बैंकों द्वारा मुस्लिम देशों के साथ-साथ ग़ैर-मुस्लिम देशों तथा ग्रेट ब्रिटेन जैसे विकसित वित्तीय बाज़ार में इस्लामी बैंकिंग की सुविधा प्रदान की जा रही है ।

आज विश्व बाज़ार में 200 से अधिक इस्लामी वित्तीय संस्थाएं लगभग 23 देशों में संचालित हो रही हैं । इन संस्थाओं में 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का पब्लिक डिपॉज़िट है तथा बैंकिंग विशेषज्ञों की मानें तो विश्व वित्तीय बाज़ार में इस्लामी बैंकिंग 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ रहा है ।

केवल इस्लामी बैंकिंग ही नहीं, बल्कि शरीअत के क़ानून द्वारा जायज़ ठहराये गये सिद्धांतों पर आधारित दूसरे वित्तीय उत्पादों का भी विश्व बाज़ार विशेषत: यूरोपियन वित्त बाज़ार में तेज़ी से विस्तार हो रहा है । एक अनुमान के अनुसार अकेले इस्लामी इक्विटी फण्ड का लगभग 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की संपत्तियों पर नियंत्रण है । इसके अतिरिक्त मध्य पूर्व में ही लगभग 1000 बिलियन यू०एस० डॉलर की निजी परिसम्पत्तियों पर इस फंड का क़ब्ज़ा है ।

मुसलमानों को पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था सदा ही परेशान करती रही है । दुनिया की पहली सबसे बड़ी इस्लामी बैंकिंग संस्था मिस्र के उत्तरी हिस्से में सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित हुई तथा इसकी सफलता ने लोगों की आंखें खोलने का काम किया । आज इस्लामी बैंकिंग को दुनिया भर में बड़ी ही गंभीरता से लिया जा रहा है और इसे एक परफेक्ट बिजनेस मानते हुए, बैंकिंग व्यावसायी वैश्विक स्तर पर इस क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता लाने तथा लाभार्जन वाले व्यवसाय के रूप में विकसित करने में प्रयासरत दिख रहे हैं ।

ग़ौरतलब है कि इस्लामी बैंक अफ़्रीक़ा और यूरोप से लेकर एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया तक में मौजूद है तथा इसे वहां की सरकारें पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली के साथ-साथ विनियमित एवं नियंत्रित कर रही हैं । इस्लामी गणराज्य ईरान की पूरी बैंकिंग व्यवस्था ही ब्याजरहित है तथा पाकिस्तान में ब्याज आधारित बैंकिंग के साथ-साथ ब्याजरहित बैंकिंग कार्यरत है । ऐसे कई अमेरिकी एवं यूरोपियन बैंक हैं, जो इस्लामी बैंकिंग शाखा के माध्यम से लोगों तक हलाल बैंकिंग उत्पाद एवं सेवाएं पहुंचा रही हैं ।

हज़रत मुहम्मद(सल्ल०) की जीवनी

हज़रत मुहम्मद(स०) जीवन और संदेश	मौलाना सय्यद जलालुद्दीन उमरी	9.00
प्यारे नबी कैसे थे?	इरफ़ान ख़लीली	16.00
प्यारे नबी ऐसे थे !	माइल ख़ैराबादी	10.00
जगत-गुरु	अबू ख़ालिद	50.00
जीवनी हज़रत मुहम्मद (सल्ल०)	मु० इनायतुल्लाह सुब्हानी	80.00
बड़ों की माँए	माइल ख़ैराबादी	10.00
रह्मतुल-लिल-आलमीन	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	12.00
विश्व-नायक	डा० कौसर यज़दानी नदवी	22.00
विश्व-नेता हज़रत मुहम्मद (सल्ल०)	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	12.00
हज़रत मुहम्मद : एक संक्षिप्त परिचय	डा० मुहम्मद अहमद	6.00
हज़रत मुहम्मद एक महान समाज सुधारक	प्रो० मिर्ज़ा रफ़ीउद्दीन अहमद	08.00
हज़रत मुहम्मद का आदर्श	श्री नाथूराम	15.00
हज़रत मुहम्मद सल्ल० का संदेश	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	10.00
हज़रत मुहम्मद सल्ल०के संदेशों के मूल तत्त्व	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	4.00
आख़िरी नबी (सल्ल०)	हमूदा अब्दुल आती	05.00
अल्लाह के रसूल का व्यावहार अपने शत्रुओं के साथ	मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ाँ	08.00
क्रान्ति-दूत हज़रत मुहम्मद सल्ल०	नईम सिद्दीक़ी	65.00

परिवार इस्लाम की नज़र में

औरत और इस्लाम	मौलाना सय्यद जलालुद्दीन उमरी	24.00
औरत और प्राकृतिक नियम	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	18.00
इस्लाम और बर्थ कंट्रोल	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	45.00
नारी और इस्लाम	मक़बूल अहमद फ़लाही	6.00
परदा	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	80.00
परिवार इस्लाम की नज़र में	मौलाना सय्यद जलालुद्दीन उमरी	10.00
बहुविवाह	मौलाना सय्यद हामिद अली	50.00
माँ-बाप के अधिकार	मौलाना सय्यद लुत्फ़ुल्लाह क़ादरी	20.00
मुस्लिम पर्सनल ला और समान सिविल कोड	शम्स पीरज़ादा	12.00
मुस्लिम पर्सनल ला धार्मिक व सामुदायिक...	मौलाना सदरुद्दीन इस्लाही	6.00
मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा समस्या...	उमर अफ़ज़ल	35.00

MARKAZI MAKTABA ISLAMI PUBLISHERS

D-307, Dawat Nagar, Abul Fazl Enclave, Jamia Nagar, New Delhi-110025
Phone: 26971652, 26954341, 26946447(D) Fax: 26947858
E-mail: mmipublishers@gmail.com Website: www.mmipublishers.net

इस्लामी बैंकिंग के संभावी उत्पाद

वर्तमान बैंकिंग नियमों के अन्तर्गत मौजूदा बैंकों में इस्लामी बैंकिंग के निम्नलिखित उत्पादों के विन्डो खोले जा सकते हैं–

डिपोजिट (जमा) के उत्पाद :

- चालू खाता;
- इक्विटी जमा (किसी भी कंपनी के ट्रस्टी के रूप में बैंक के लिए शर्तें सुझायी गयी हैं);
- मुचुअल फंड जमा (निर्धारित और फ्लोटिंग मैचुरिटी के साथ);
- सुरक्षित जमा लाकर सेवा;
- ऑन लाइन व्यापार सेवाएं;
- विदेशी मुद्रा खाता (एन॰आर॰आई॰ के लिए);
- फंड प्राप्त करने, वितरित करने, स्थानांतरित करने के लिए इन्टरनेट बैंकिंग सेवाएं;
- कंसल्टेंसी सेवाएं (कमीशन के आधार पर उन ग्राहकों के लिए जो शरीअत के अनुरूप मुचुअल फंड में या इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं);

ऋण देने और निवेश करने के उत्पाद और सेवाएं :

- इक्विटी वित्त;
- लीज़ फाइनांस बिज़नेस;
- हायर परचेज बिज़नेस;
- विल और वाउचर पर छूट (कमीशन के आधार पर)
- फैक्टोरिंग सेवाएं;
- फोरेक्स सेवाएं;
- ई-फ्रेट सेवाएं;
- ई-टेक्स सेवाएं;
- क्रेडिट के लेटर;
- बैंक ड्राफ्ट जारी करना;
- बैंक गारंटी जारी करना;
- मुचुअल फंड का व्यापार;
- सोने के सिक्के की खुदरा बिक्री
- गिफ्ट चेक की सेवाएं;
- पेरौल कार्ड की सेवाएं;
- फ़ौरन ट्रेवल कार्ड सेवाएं;
- ए॰टी॰एम॰ सेवाएं;
- ब्रोकिंग सेवाएं;

● संपादन प्रभाग

ब्याज का निषेध

जिन साधनों को इस्लाम ने हराम ठहराया है वे हैं : ख़ियानत, रिश्वत, अपहरण करना, बैतुलमाल (ख़ज़ाने) में ग़बन, चोरी, नापतौल में कमी, अश्लीलता फैलाने वाले कारोबार, वेश्यावृत्ति, शराब एवं नशीली वस्तुओं का उत्पादन और कारोबार तथा जुआ, सट्टा और ब्याज से धन कमाना ।

कुरआन में ब्याज के लेन-देन को सख़्ती से मना किया गया है । कहा गया है–और जो कुछ तुम्हारा ब्याज लोगों पर बाक़ी रह गया है उसे छोड़ दो और अगर तुम तौबा कर लो तो तुम्हें अपनी अस्ल रक़म लेने का अधिकार है । (कुरआन, 2:277-278)

और जो ब्याज तुमने दिया है ताकि लोगों के माल बढ़ें, तो अल्लाह के निकट इससे माल नहीं बढ़ता है । (कुरआन, 30:39)

कुरआन की इन आयातों से यह स्पष्ट हो गया कि ब्याज का लेन-देन हराम है । इस्लाम इन्हीं सब बुराइयों से इन्सानों को रोकना चाहता है । कुरआन मजीद में है–''अल्लाह ब्याज का मठ मार देता है और ख़ैरात (दान) को बढ़ाता है ।'' (कुरआन, 2:275)

''और जो कुछ तुम्हारा ब्याज लोगों पर शेष रह गया है उसे छोड़ दो, यदि वास्तव में तुम ईमान लाए हो । लेकिन यदि तुमने ऐसा नहीं किया, तो सावधान हो जाओ कि अल्लाह और उसके रसूल की ओर से तुम्हारे विरुद्ध युद्ध की घोषणा है । अब भी पलट आओ (और ब्याज छोड़ दो) तो अपना मूलधन लेने के तुम अधिकारी हो ।'' (कुरआन, 2:277-278)

निदाए यतीम (Voice of Orphan Girls')

मुस्लिम लड़कियों का यतीमख़ाना, गया।

लड़कियों के लिए जदीद और मुकम्मल इस्लामी तर्ज़ तालीम से मुज़ैयन क़ौमी सतह का मेयारी रिहायशी (Residential) इदारा



इस्लामी भाइयों और बहनों ! अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह व बरकातहु

यह आपका जाना–पहचाना इदारा जो तक़रीबन 23 वर्षों से क़ौमी ख़िदमत अंजाम दे रहा है अलहम्दुलिल्लाह इदारा बहुत ही बुलन्द मक़ासिद के तहत वजूद में आया है और झोंपड़े से महल बनने की भरपूर कोशिश कर रहा है। आप हज़रात की खुसूसी तवज्जुहात से ही इदारा तमाम मुश्किलात के बावजूद दिन–बदिन तेज़ी से तरक़्की की मंजिलें तय करता जा रहा है।

• इदारा 21 दिसम्बर 1986 ई० से ही सही इस्लामी खुतूत पर यतीम के साथ–साथ गरीब और गैर–यतीम तालिबात की तालीमी ख़िदमात अंजाम दे रहा है। • यहां की तालिबात को मैट्रिक (Matric) पास करने के बाद कॉलेज के अलावा अरबी यूनीवर्सिटी में आलमियत के साल अव्वल व दोम में आसानी से दाख़िला मिल जाता है। • शोबा–ए–हिफ़्ज़ की तालिबात को हिफ़्ज़ के साथ–साथ मैट्रिक (Matric) तक की तालीम दी जाती है। • **तालीमी साल (Educational Session)** : अप्रैल ता मार्च • तालीमी मराहिल • नर्सरी • इब्तिदाई • सानवी • आला • शोबा हिफ्ज व तजवीद • Distance Education तादाद यतीम तालिबात–110 बैरूनी तालिबात् अपने खर्च पर दारूल अकामा (Boarding) में रह कर तालिम हासिल करें। करने वाली और बाहर से आकर जाने वाली इसके अलावा है। • तादाद असातज़ा, मुअल्लिमात और दूसरे मुलाज़मीन : 30 • **सालाना खर्च** (Annual Expenditure) : बारह लाख रूपये (Rs. 12,00,000) से ज़ायद (तामीरी खर्च को छोड़कर) • **ज़रिया आमदनी** : मुस्लिम अवाम के चन्दे।

नोट : **यतीम तालिबात का सारा ख़र्च : पैर के नाखुन से लेकर सर के बाल तक या कहिए एड़ी से लेकर चोटी तक इदारा पूरा करता है।**

यतीमखाना की ख़बरें : • **शोबा–ए–तालीम बालगान (Adult Education)** : की बुनियाद 20 जून 2002 ई० को एक नवजवान शदीशुदा औरत से पड़ी थी। • **शोबा–ए–हिफ़्ज़ (Qura'n Memorization)** : 6 तालिबात ने दीनी वे असरी तालीम क साथ दरजा दहुम में पहुंचते –पहुंचते हिफ़्ज़ मुकम्मल कर लिया। वह हाफिज़े कुरआन क़रार दी गयीं और मैट्रिक पास करके घर चली गयीं और बाक़ी बच्चियां हिफ़्ज़ के साथ–साथ असरी तालीम भी हासिल कर रही हैं। • **बिहार स्कूल इग्ज़ामिनेशन बोर्ड** : गुज़िश्ता कई सालों से लगातार मैट्रिक (Matric) बोर्ड के इम्तिहान में यतीम व गैर–यतीम तालिबात का तक़रीबन सद फीसद रिजल्ट रहता है। **नोट** – 1992 से मैट्रिक की तालिग शुरू ओर 1993 से 2009 तक 58 यतीम बच्चियों और 32 ग़ैर–यतीम बच्चियों ने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया और एक यतीम बच्ची ने बेगम तारा रशीद शेरवानी एवार्ड भी हासिल किया था। • हजरत खोद जतुल कोबरा वोकेशनल सेन्टर (Vocational Centre) • अगस्त 2003 से बाज़ाबता तरीक़ा पर इदारा में कटाई व सिलाई का सेन्टर चल रहा है। अब पेंटिंग मेंहदी और फूल–पत्ती मशीन से सिखाने का कोर्स भी शुरू होने वाला है। • कटाई व सिलाई 6 बैंच 70 तालिबात और तीन बैंच ज़री वर्क्स में 42 तालिबात का, सबको सरकारी सनद तक़्सीम की जा चुकी है। • जल्द ही कंप्यूटर की तालीम शुरू •साल 2008 से इदारा में यतीम व ग़ैर–यतीम तालिबात की इन्टरमेडिएट (ग्यारहवीं Class XI) की तालीम शुरू। • **तालीमी फंड बैतुल माल बराए–तालीम (Bait-ul-Mal for Education)** : नादार व ग़रीब बच्चियों को फ़िलहाल छोटे पैमाने पर मुफ़्त तालीम देने का भी नज़्म है। कफाला स्कीम (Kafla Scheme) के तहत एक यतीम बच्ची की तालीम व तर्बियत व खुर्दो नोश पर सलाना आठ हज़ार रूपये (Rs. 8,000) ख़र्च आता है। आप भी एक यतीम बच्ची की कफ़ालत का बार उठाकर कारेख़ैर मं शरीक हों। याद रखें, इदारा का कोई मुस्तक़िल आमदनी का जरिया नहीं है। आपकी तरफ से जो ज़कात व अतियात की रक़में मिला करती हैं वह सिर्फ "यतीम बच्चियों" पर ही ख़र्च की जाती है। अतियात या दूसरे मद की रक़मों से हम स्कूल वग़ैरह चला रहे हैं।

• रमज़ानुल मुबारक का महीना पहुंचते–पहुंचते इदारा माली मुश्किलों में घिर जाता है। हर साल सालाना अख़राजात की तकमील अहले ख़ैर और हमदर्द हज़रात के क़र्जों ही के ज़रिया पूरी की जाती है। इदारा के अज़ीम मंसूबों को पये तकमील तक पहुंचाने के लिए आपके तआवुन की सख्त जरूरत है। तआवुन की मुख़्तालिफ़ शक्लें हैं मसलन • ज़कात • अतियात • सदक़ात • पैदावार की जक़ात • दीनी कुतुब • एक यतीम बच्ची का सलाना ख़र्च, • वालदैन या अपने और रिश्तेदारों के नाम कमरा और हॉल बनवाना, • कर्ज की अदायगी और ज़मीन की ख़रीदारी • स्टाफ की माहाना तनख्वाह के लिए (Rs. 65,000) रूपयें • तामीरी कामों के लिए, ईंट, सीमेन्ट, छड़ और दीगर सामान या उस की कीमत वगैरह।

याद रखें ! ज़कात अपके माल को पाक करती है। इदारा आपके फ़राख़दिलाना और मुख़लिसाना तआवुन का मुन्तजिर है।

● नोट : स्कूल और हॉस्टल में दाख़िला जारी ● नया तालीमी साल : माह अप्रैल से शुरू

चेक व ड्राफ़्ट पर केवल यह लिखें : "THE GAYA MUSLIM GIRLS ORPHANAGE"

बराए राबिता (ख़त, चेक व ड्राफ्ट और मनी आर्डर भेजने का पता)

General Secratary, THE GAYA MUSLIM GIRL'S ORPHANAGE

At : Kolowna, Po. - Cherki Distt. Gaya 824237 (Bihar) India

फोन : (0631) 2734437, मोबाइल : 9934480190

☎ CORE BANKING A/C No. 30402010007752

Bank A/c No. 7752, Union Bank of India (Main Branch, GAYA)

इक़बाल अहमद ख़ान : *बानी–ए–इदारा व एज़ाज़ी जेनरल सेक्रेट्री*

email : thegayamuslimgirlsorphanage@gmail.com, website : www.gmgo.org

इस्लामी बैंकिंग की विशिष्टता

■ **मुफ़्ती मुहम्मद अरशद फ़ारूक़ी**

अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बैंकिंग सिस्टम को रीढ़ की हड्डी समझा जाता है और बैंकिंग व्यवस्था के मूल में 'सूद' है । बैंक की पूंजी कुछ गिने-चुने हाथों में केन्द्रित होती हैं । बैंकिंग सिस्टम केवल अर्थव्यवस्था को ही प्रभावित नहीं करता बल्कि इस शक्ति के बल पर विभिन्न देशों एवं क़ौमों के भाग्य से खेलता है । जहां चाहता है युद्ध करा देता है, जब चाहता है संधि हो जाती है । जिस चीज़ को अपने लिए हितकारी समझता है उसे बढ़ावा देता है और जिसको हितकारी नहीं समझता उसे समस्त संसाधनों एवं स्रोतों से वंचित कर देता है ।

केवल बाज़ारों और मंडियों ही पर उस सिस्टम का अधिपत्य नहीं है, बल्कि साइंटिफिक शोध केन्द्रों, मीडियाकर्मियों, धार्मिक ख़ानक़ाहों और सत्ता के गलियारों तक उसका सिक्का चलता है ।

यह इतनी बड़ी बला है जिसकी तबाही को देखकर स्वयं पश्चिम के चिन्तक चीख़ उठे हैं । इस बैंकिंग सिस्टम के आर्थिक पहलू पर जर्मनी के डॉ॰ शाख़्त ने 1953 में कहा था कि यह एक ऐसा अमल है जिससे पूरी दुनिया की पूंजी कुछ सूदख़ोरों के पास जमा हो जाएगी। इसलिए सूद पर क़र्ज़ देने वाले को हर हाल में लाभ ही होगा, जबकि सूद पर पैसा लेने वालों को नुक़सान भी हो सकता है और घाटा भी ।

क़ुरआन ने सूद को हराम क़रार दिया है । हर वह मामला जिसमें हर हाल में लाभ की गारंटी हो और हानि की कोई आशंका न हो, वह सूद है और निश्चित लाभ की ज़मानत की वजह से हराम है ।

(सैयद क़ुत्ब रह॰)

''अल्लाह ने व्यपार को हलाल और सूद को हराम क़रार दिया है । (क़ुरआन)

जब दुनिया में प्रचलित बैंकिंग सिस्टम के मूल में ही सूद है और यह वही सूद है जो अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) की नुबूवत से पहले प्रचलित था । आज उसे नये-नये रूप में मासूम लोगों को लुभाने की लिए परोसा जा रहा है । ठीक उस शराब की भांति जो नयी-नयी सुन्दर बोतलों में उपलब्ध है । इसलिए इस्लामिक अर्थव्यवस्था वर्तमान बैंकिंग सिस्टम के उसूलों और बुनियादों को हराम, ग़लत और मानवता के लिए ज़हर समझता है ।

लेकिन बैंक के माध्यम से सूद के अलावा जो सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं वे निश्चित रूप से लाभकारी हैं । उदाहरणस्वरूप रक़मों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक का स्थानांतरण, विदेशों से लेन-देन की सहूलतें, क़ीमती चीज़ों की सुरक्षा, बांड्स, यात्री चेक, ट्रेवलिंग नोट्स, कंपनियों के शेयरों की ख़रीद-बिक्री और एजेंसी सर्विसेज़ आदि । ये ज़रूरतें इस्लामी हल्क़ों को उभारती हैं कि वे इस्लामी बुनियादों पर बैंक चलाएं ।

भारत में जमीयतुल उलमा ने मुस्लिम फंड देवबंद और सरायमीर के अलावा कुछ अन्य शहरों में क़ायम किया । लेकिन एक तो यह बहुत ही सीमित संसाधनों से शुरू किया गया है और दूसरे स्वयं आलिमों के एक ग्रुप को इस पर इत्मीनान नहीं है ।

इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी, इंडिया ने एक वित्तीय संस्था की योजना बनायी और फ़क़ीहों और मुस्लिम अर्थशास्त्रियों और तजुर्बेकार बैंक मैनेजरों से विचार-विमर्श के बाद फ़िक़्ही सेमीनार हैदराबाद (चौथा सेमीनार) में पेश हुआ । इसमें यह बात सामने आयी कि भारत के राष्ट्रीय बैंकों के क़ायदे-क़ानून हैं उनको पूरा किये बिना कोई वित्तीय संस्था या बैंक की स्थापना असंभव है और ये राष्ट्रीय बैंक सूद की लानत में घिरे हुए हैं ।

भारत के बाहर पाकिस्तान, सूडान, जद्दा और दुबई में भी इस्लामी बैंक खोले गये और उसमें कुछ सफलताएं भी मिलीं । जैसे इन बैंकों ने इस्लामी बुनियादों पर संयुक्त व्यपार संस्था की स्थापना की, लेकिन कोई बड़ी सफलता हाथ न लग सकी ।

बुनियादी बात तो यह है कि बैंक के साथ केवल इस्लामी शब्द जोड़ देने से कोई बैंक इस्लामी ढांचे में नहीं ढल जाता । इस्लामी बैंक के लिए यह ज़रूरी है कि

वह सूदी व्यवस्था से बिल्कुल पाक हो और इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम का कोई अन्तर्राष्ट्रीय व्यपार केन्द्र हो । जैसा कि मौजूदा बैंकिंग सिस्टम में वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर का है । क्योंकि दुनिया के विभिन्न शहरों में रहने वाले बैंक विभिन्न मरहलों से गुज़रते हुए विश्व व्यवस्था से जुड़ जाते हैं । इसलिए कि कोई बैंक स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकता । कहीं न कहीं सूदी व्यवस्था से उसका जुड़ाव अनिवार्य है ।

फ़िक़्ह एकेडमी में वित्तीय संस्था की स्थापना के सिलसिले में जो सेमीनार हुआ उसमें अनस ज़रक़ा, मदरसुल महरूस, अली अल-जुमा, मुफ़्ती निज़ामुद्दीन, क़ाज़ी मुजाहिदुल इस्लाम, मौलाना बुरहानुद्दीन, मुफ़्ती सईद पालनपुरी आदि ने भाग लिया । डॉ॰ निजातुल्लाह सिद्दीक़ी का मक़ाला भी वहुत अहम था ।

इस बारे में मौलाना अबुल आला मौदूदी (रह॰) ने दोटूक राय दी है : "दो रास्तों में से एक रास्ते को चुनना होगा । एक रास्ता यह है कि इस्लाम के आर्थिक उसूलों को नकार कर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उसूलों पर ईमान लाएं । इस स्थिति में इस्लाम के उसूल और आदेशों में संशोधन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी । दूसरा रास्ता यह है कि इस्लामी अर्थव्यवस्था के उसूलों को तो सही समझें और सूद को हर हाल में हराम जानें । मगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में घिर जाने के कारण अपने आपको उस हराम चीज़ से सुरक्षित रख पाने में असमर्थ पाएं । मगर एक मुसलमान होने की हैसियत से आप यह साहस कभी नहीं कर सकते कि सूद को हलाल करके खाएं या खिलाएं ।

अपनी अन्तरात्मा का बोझ कम करने के लिए उस चीज़ को पाक करने की कोशिश करें जिसको खुदा और उसके रसूल (सल्ल॰) ने नापाक क़रार दिया है ।

जहां तक इस मसले का ताल्लुक़ है तो जिस तरह इस्लाम की पूरी जीवन व्यवस्था मौजूद है उसी तरह इस्लाम की बैंकिंग व्यवस्था भी उसूली तौर पर मौजूद है । जिस तरह चोर का हाथ बिना इस्लामी हुदूद लागू किये भारत में नहीं काटा जा सकता । उसी तरह सूदी व्यवस्था को समाप्त किये बिना इसकी स्थापना भी संभव नहीं ।

इसी सिलसिले की एक कोशिश जमाअत इस्लामी हिन्द की तरफ़ से इन दिनों हो रही है । 18-19 फ़रवरी को फ़िक्की ऑडिटोरियम, नयी दिल्ली में एक दो दिवसीय इंटरनेशनल सेमीनार का आयोजन भी किया गया और सेमीनार में यह विचार-विमर्श किया गया कि हम इस्लामी बैंकिंग सिस्टम को व्यावहारिक रूप में कैसे क़ायम कर सकते हैं ?

"और ईमान वाली
स्त्रियों से कह दो कि वे भी
अपनी निगाहें बचा कर रखें और
अपने गुप्तांगों की रक्षा करें ।
और अपने शृंगार
प्रकट न करें, सिवाय उसके जो
उनमें खुला रहता है और अपने सीनों
पर अपने दुपट्टे डाले रहें ।
(क़ुरआन)

AWELLWISHER
BANGLORE

कहानी

पूस की रात

■ **मुंशी प्रेमचन्द**

हल्कू ने आकर अपनी पत्नी से कहा–''शहना आया है, लाओ जो रुपये रखे हैं उसे दे दो किसी तरह गर्दन तो छूटे ।''

मुन्नी बहू झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिर कर बोली–''तीन ही तो रुपये हैं, दे दूं तो कंबल कहां से आएगा । माघ-पूस की रात खेत में कैसे कटेगी । उसे कह दो फ़सल पर दे देंगे, अभी नहीं है ।''

हल्कू थोड़ी देर तक चुप खड़ा रहा और अपने मन में सोचता रहा पूस सर पर आ गया है, बिना कंबल के रात को वह खेत में किसी तरह सो नहीं सकता, मगर शहना मानेगा नहीं । घुड़कियां देगा यह सोचता हुआ वह अपना भारी शरीर लिए हुए (जो उसके नाम के विपरीत था) अपनी पत्नी के पास गया और ख़ुशामद करके बोला, ''ला दे दे, गर्दन तो किसी तरह बचे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा ।

मुन्नी उसके पास से दूर हट गयी और आंखें टेढ़ी करती हुई बोली, ''कर चुके दूसरा उपाय, ज़रा सुनूं कौन उपाय करोगे ? कौन कंबल दान में दे देगा । न जाने कितना रुपया बाक़ी है, जो किसी तरह अदा ही नहीं होता । मैं कहती हूं तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देते । मर-मरकर काम करो, पैदावार हो तो उससे ऋण चुकाओ, चलो छुट्टी हुई, ऋण चुकाने को तो हम पैदा ही हुए हैं । ऐसी खेती से बाज़ आये । मैं रुपये न दूंगी, न दूंगी।''

हल्कू दुखी होकर बोला, ''तो क्या गालियां खाऊं?''

मुन्नी ने कहा, ''गाली क्यों देगा ? क्या उसका राज है ?'' मगर यह कहते हुए उसकी तनी हुई भंवें ढीली पड़ गयीं । हल्कू की बात में दिल दहला देने वाली सच्चाई थी । वह उसकी ओर टक-टकी बांधे देख रही थी । उसने ताक़ पर से रुपये उठाये और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिये । फिर बोली, ''तुम अब खेती छोड़ दो, मज़दूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी । किसी की धौंस तो न रहेगी । अच्छी खेती है, मज़दूरी करके लाओ वह भी उसमें झोंक दो उस पर से धौंस ।''

हल्कू ने रुपये लिए और इस प्रकार बाहर चला मानो वह अपना कलेजा निकाल कर देने जा रहा हो । उसने एक-एक पैसा काट कर तीन रुपये कंबल के लिए जमा किये थे । वे आज निकले जा रहे थे । एक-एक क़दम के साथ उसका दिमाग़ अपनी नादारी (दरिद्रता) के बोझ से दबा जा रहा था ।

पूस की अंधेरी रात । आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए प्रतीत होते थे । हल्कू अपने खेत के किनारे ईख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाड़े की चादर ओढ़े हुए कांप रहा था । खटोले के नीचे उसका साथी कुत्ता ''जबरा'' पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं-कूं कर रहा था । दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आती थी ।

हल्कू ने घुटनों को गर्दन में चिमटाते हुए कहा, ''क्यों जबड़ा जाड़ा लगता है, कहा तो था घर में पुवाल पर लेट रह, तो यहां क्या लेने आया था । अब खा सर्दी, मैं क्या करूं । जानता था, मैं हलवा-पूरी खाने आ रहा हूं । दौड़ते हुए आगे चले आये । अब रोओ अपनी नानी के नाम को ।'' जबरा ने लेटे हुए दुम हिलायी और एक अंगड़ाई लेकर चुप हो गया । शायद वह यह समझ गया था कि उसकी कूं-कूं की आवाज़ से उसके मालिक को नींद नहीं आ रही है ।

हल्कू ने हाथ निकाल कर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, ''कल से मेरे साथ न आना, नहीं तो ठंडे हो जाओगे । ये रांड पछुआ हवा न जाने कहां से बर्फ़ लिए आ रही है । उठूं, फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे । आठ चिलम तो पी चुका । यह खेती का मज़ा है और एक भाग्यवान ऐसे हैं, जिनके पास अगर जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा भागे । मोटे गद्दे, लिहाफ़, कंबल मजाल है कि जाड़े का गुज़र हो जाए । भाग्य की बात है, मज़दूरी हम करें मज़ा दूसरे लूटें ।''

हल्कू उठा और गढ़े में से थोड़ी-सी आग निकाल

कर चिलम भरी, जबरा भी उठ बैठा । हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पियेगा चिलम ? जाड़ा तो क्या जाता है, हां मन बहल जाता है ।

जबरा ने उसकी ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखा । हल्कू ने कहा आज और जाड़ा खा ले कल से मैं यह पुवाल बिछा दूंगा । उसमें घुस कर बैठना, जाड़ा नहीं लगेगा ।

जबरा ने अगले पंजे उसके घुटने पर रख दिये और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया । हल्कू को उसकी गर्म-गर्म सांस लगी । चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और यह निश्चय कर लिया कि चाहे जो कुछ भी हो अबकि सो जाऊंगा, लेकिन एक ही क्षण में उसका कलेजा कांपने लगा । कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट । जाड़ा किसी भूत की भांति उसकी छाती को दबाये हुए था ।

जब किसी प्रकार नहीं रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सर को थप-थपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया । कुत्ते के शरीर से पता नहीं कैसी दुर्गंध आ रही थी पर उसे अपनी गोद से चिमटाते हुए ऐसा सुख मालूम होता था, जो उधर महीनों से उसे नहीं मिला था । जबरा शायद यह समझ रहा था कि स्वर्ग यही है और हल्कू की आत्मा इतनी पवित्र थी कि उसे कुत्ते से बिल्कुल घृणा नहीं थी वह अपनी ग़रीबी से परेशान था, जिसके कारण वह इस दशा में पहुंच गया था । ऐसी अनोखी दोस्ती ने उसकी आत्मा के सारे द्वार खोल दिये थे और उसका एक-एक कण वास्तविक ज्योति से प्रकाशित हो गया था । इसी बीच जबरा ने किसी जानवर की आहट पायी उसके मालिक की इस विशेष आत्मीयता ने उसके भीतर एक नवीन शक्ति उत्पन्न कर दी थी जो हवा के ठंडे झोंके को भी अर्थहीन समझ रही थी । वह झपट कर उठा और छपरी से बाहर आकर भौंकने लगा । हल्कू ने उसे कई बार पुचकार कर बुलाया और वह उसके पास नहीं आया । खेत में चारों ओर दौड़-दौड़ कर भौंकता रहा । एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता । कर्तव्य पालन ने उसे विचलित कर रखा था ।

एक घंटा गुज़र गया, सर्दी बढ़ने लगी । हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सर को छुपा लिया । फिर भी सर्दी कम नहीं हुई । ऐसा लगता था कि

तुम्हारा खेत चाहे जानवर खाएं, चाहे आग लग जाए, चाहे ओले पड़ जाएं, उसे तो अपनी मालगुज़ारी चाहिए ।''

सारा ख़ून जम गया है । उसने उठकर आकाश की ओर देखा, अभी कितनी रात बाक़ी है । वे सात तारे जो ध्रुव के चारों ओर घूमते हैं अभी अपना आधा चक्र भी पूरा नहीं कर पाये थे । जब वे ऊपर आ जाएंगे, तब कहीं सवेरा होगा, अभी एक घड़ी से अधिक रात बाक़ी है ।

हल्कू ने खेत से थोड़ी दूर एक बाग़ था । पतझड़ आरंभ हो चुकी थी । बाग़ में पत्तों का ढेड़ लगा हुआ था । हल्कू ने सोचा चलकर पत्ते बटोरू और उन्हें जलाकर तापूं । रात को कोई मुझे पत्ते बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है । कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता ।

उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कुछ पौधे उखाड़े और उसका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बाग़ की ओर चला । जबरा ने उसे जाते हुए देखा तो पास आकर दुम हिलाने लगा ।

हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बाग़ में पत्ते बटोर कर तापें । ठाठे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे । अभी तो रात बहुत है ।

जबरा ने कूं-कूं करके अपने मालिक की राय का समर्थन किया और आगे-आगे बाग़ की ओर चला । बाग़ में घटाटोप अंधेरा छाया हुआ था । पेड़ों से ओस की बूंदें टप-टप टपक रही थीं । अचानक एक झोंका मेंहदी की सुगंध लिए हुए आया ।

हल्कू ने कहा कैसी भली सुगंध आयी जबरा, तुम्हारी नाक में भी कुछ सुगंध आ रही है ? जबरा को कहीं ज़मीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गयी थी । वह उसे चूस रहा था । हल्कू ने आग ज़मीन पर रख दी और पत्ते बटोरने लगा । जल्दी ही पत्तों का एक ढेड़ लग

गया । हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तों का पहाड़ खड़ा कर रहा था । उसी अलाव में वह सर्दी को जलाकर भस्म कर देगा ।

थोड़ी देर में अलाव जल उठा । उसकी लवें ऊपर वाले वृक्ष के पत्तों को छू-छूकर भागने लगी । इस कांपते हुए प्रकाश में बाग़ के ऊंचे वृक्ष प्रतीत होते कि वे उस असीम अंधकार को अपनी गर्दन पर संभाले हों । अंधकार के इस अथाह समुद्र में यह प्रकाश का नांव की भांति प्रतीत होती थी । हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था । एक मिनट में उसने अपनी चादर बग़ल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिये । मानो वह सर्दी को ललकार कर कह रहा था, तेरे जी में आये वह कर । सर्दी की इस विशाल शक्ति पर विजय प्राप्त कर वह अपनी प्रसन्नता छिपा नहीं सकता था ।

उसने जबरा से कहा, क्यों जबरा अब तो ठंड नहीं लग रही है ?

जबरा ने कूं-कूं करके मानो यह कहा कि अब क्या ठंड लगती ही रहेगी ।

''पहले यह उपाय नहीं सूझा, नहीं तो इतनी सर्दी क्यों खाते ?''

जबरा ने दुम हिलायी ।

''अच्छा आओ, इस अलाव को कूद कर पार करें, देखें कौन निकलता है, अगर जल गये बच्चू तो मैं दवा नहीं करूंगा ।''

जबरा ने भयभीत दृष्टि से अलाव की ओर देखा । ''मुन्नी से यह नहीं जड़ देना कि रात ठंड लगी और ताप-ताप कर रात काटी वरना लड़ाई करेगी ।'' यह कहता हुआ वह उछला और अलाव के ऊपर से साफ़ निकल गया, पैरों में थोड़ी-सी लपट लग गयी मगर वह कोई बात नहीं थी । जबरा अलाव के चारों ओर घूम कर उसके पास खड़ा हुआ ।

हल्कू ने कहा चलो-चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ । वह फिर कूदा और अलाव के उस पार आ गया ।

पत्ते जल गये थे । बाग़ में फिर अंधेरा छा गया था । राख के नीचे कुछ-कुछ आग बाक़ी थी, जो हवा के झोंके के साथ जाग उठती थी और अगले क्षण फिर आंखें बन्द कर लेती थी ।

हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ कुछ गुनगुनाने लगा । उसके शरीर में गर्मी आ गयी थी । पर जैसे-जैसे सर्दी बढ़ती जाती थी उसे सुस्ती दबा देती थी ।

अचानक जबरा ज़ोर से भौंक कर खेत की ओर भागा । हल्कू को ऐसा लगा जैसे जानवरों का एक झुंड खेत में आया, शायद नीलगाय का झुंड था । उनके कूदने और दौड़ने की आवाज़े साफ़ सुनाई पड़ रही थीं । फिर ऐसा लगने लगा कि वे खेत चर रही हैं । उसने दिल में कहा जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता, नोच ही डालेगा, मुझे वहम हो रहा है । ...कहां...अब तो कुछ सुनाई नहीं देता । मुझे भी कैसा धोखा हुआ ।

उसने ज़ोर से आवाज़ लगायी जबरा-जबरा-जबरा भौंकता रहा उसके पास नहीं आया । जानवरों के चरने की आवाज़ सुनायी देने लगी । हल्कू अब आपको धोखा न दे सका, मेरा उसे अपनी जगह से हिलना ज़हर मालूम होता था, कैसा गरमाया हुआ मज़े से बैठा था । इस जाड़े पाले में खेत में जाना जानवरों को भगाना, उनका पीछा करना उसे पहाड़ लगता था । वह अपनी जगह से नहीं हिला । वहीं बैठे-बैठे जानवरों को भगाने के लिए लिहू-लिहू, हो-हो, हा-हा चिल्लाने लगा ।

मगर जबरा फिर भौंक उठा । अगर जानवर भाग जाते तो वह अब तक लौट आया होता । नहीं भागे, अभी तक चर रहे हैं । शायद वे जानवर भी समझ रहे हैं कि इस सर्दी में कौन बैठा है जो उसके पीछे दौड़ेगा । फ़सल तैयार है, कैसी अच्छी खेती थी, सारा गांव देखकर जलता था । ये अभागे उसे बरबाद कर रहे हैं ।

अब हल्कू से न रहा गया । वह पक्का इरादा करके उठा और दो-तीन क़दम चला । फिर अचानक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला, बिच्छू के डंक जैसा झोंका लगा वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद-कुरेद कर अपने ठंडे शरीर को गर्माने लगा ।

जबरा अपना गला फार रहा था, नील गायें खेत का सफ़ाया कर रही थीं और हल्कू गर्म राख के पास संवेदनशील बैठा हुआ था । दुख ने उसे चारों ओर से रस्सी की तरह जकड़ रखा था । आख़िर वह वहीं चादर ओढ़ कर सो गया ।

सवेरे जब उसकी नींद खुली तो देखा चारों ओर धूप

फैल गयी थी और मुन्नी खड़ी कह रही है । आज सांते ही रहोगे, तुम यहां मीठी नींद सो रहे हो और वहां सारा खेत चौपट हो गया । भला कोई ऐसा भी सोता है । तुम्हारे यहां मंडिया डालने से क्या हुआ ।

हल्कू ने बात बनायी । मैं मरते-मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है, पेट में ऐसा दर्द उठा कि मैं ही जानता हूं ।

दोनों फिर खेत पर आये । देखा खेत में एक पौधे का नाम नहीं है और जबड़ा मंडिया के नीचे चित पड़ा है, मानो शरीर में जान ही नहीं है ।

दोनों खेत की ओर देख रहे थे । मुन्नी के चेहरे पर उदासी छायी थी पर हल्कू खुश था ।

मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके मालगुज़ारी देनी पड़ेगी ।

हल्कू ने मस्ती भरे अंदाज़ में कहा, रात को ठंड में यहां सोना तो न पड़ेगा ।

''मैं इस खेत का लगान न दूंगी यह कहे देती हूं, जीने के लिए खेती करते हैं, मरने के लिए नहीं करते ।''

''जबरा अभी तक सोया हुआ है, इतना तो कभी न सोता था ।''

''आज जाकर शहना से कह दे, खेत जानवर चर गये, हम एक पैसा न देंगे ।

''रात बड़े गजब की सर्दी थी ।''

''मैं क्या चाहती हूं, तुम क्या सुनते हो ।''

''तू गाली खिलाने की बात कह रही है, शहना को इन बातों से क्या सरोकार, तुम्हारा खेत चाहे जानवर खाएं, चाहे आग लग जाए, चाहे ओले पड़ जाएं, उसे तो अपनी मालगुज़ारी चाहिए ।''

''तो छोड़ दो खेती, मैं ऐसी खेती से बाज़ आयी ।'' हल्कू ने उदासी से कहा, जी में तो मेरे भी यही आता है कि खेती-बाड़ी छोड़ दूं । मुन्नी तुझ से सच कहता हूं, मगर मजूरी का ख़्याल करता हूं तो जी घबरा उठता है । किसान का बेटा होकर अब मजूरी न करूंगा, चाहे कितनी ही दुर्गत हो जाए । खेती का मरजाद नहीं बिगाड़ूंगा ।

जबरा-जबरा-क्या सोता ही रहेगा, चल घर चलें ।

ख़ुदा उस आदमी पर रहम फ़रमाएगा, जो ख़रीदने-बेचने और तक़ाज़ा करने में नर्मी और ख़ुशअख़लाक़ी से काम लेता है।

GLOBE CONSTRUCTIONS

19, Kempian Block, Ist Main Road,
J. C. Nagar, Banglore-6

नज़रिया

कैसे मिटे भुखमरी ?

■ वंदना शिवा

यू॰पी॰ए॰ सरकार द्वारा प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा क़ानून स्वागत किये जाने योग्य क़दम है । भोजन का अधिकार जीवन के अधिकार की बुनियादी ज़मीन है और भारतीय संविधान की धारा 21 सभी भारतीय नागरिकों के लिए जीवन के अधिकार की गारंटी करता है । भारत में भुखमरी बढ़ रही है । 1991 में हर इन्सान के लिए 178 किलो भोजन उपलब्ध था । वर्ष 2000-2003 में यह घट कर 155 किलो रह गया है । सबको ज़रूरी भोजन मिले इसके लिए ज़रूरी है देश में भरपूर पैदावार हो । कहने को हमारा देश कृषि प्रधान देश है लेकिन अनाज उगाने वालों के हितों को यहां अनदेखा किया जा रहा है ।

खाद्यान्न सुरक्षा की वर्तमान नीति में कई सारी कमियां हैं । सबसे बड़ी कमी यह है कि खाद्यान्न उत्पादन व उत्पादकों की लगातार अवहेलना हो रही है, इनकी रक्षा के बिना खाद्यान्न सुरक्षा संभव नहीं है । जब तक पर्याप्त अन्न पैदा नहीं होगा तब तक पर्याप्त भोजन का आश्वासन नहीं दिया जा सकता । इसके लिए खाद्यान्न उत्पादकों के जीवन-यापन की सुरक्षा करना आवश्यक है । खाद्यान्न उत्पादकों के अधिकारों की रक्षा ही खाद्यान्न सुरक्षा की नींव है । यह अधिकार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न संप्रभुता के रूप में उभर कर निकला है । खाद्यान्न संप्रभुता सामाजिक, आर्थिक, मानवीय अधिकारों की उपज है । इसका अर्थ है भोजन का अधिकार व ग्रामीण समाज के लिए खाद्यान्न उत्पादन का अधिकार और दूसरा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का अधिकार । हमारे छोटे किसान देश के लिए खाद्यान्न पैदा करते हैं । उन्होंने एक अरब बीस करोड़ लोगों को खाद्यान्न सुरक्षा दी है । आज वे स्वयं दुख और परेशानी में हैं ।

इस कृषक समाज का सबसे दुखद संकट जो आज देश के सामने है वह है पिछले दशक में दो लाख किसानों द्वारा आत्महत्या करना । अगर खाद्यान्न पैदा करने वाले ही जीवित नहीं हैं तो कैसे होगी खाद्यान्न सुरक्षा ? दूसरा कारण यह है कि भारत किसानों के इस संकट की अवहेलना इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ग्रामीण समुदाय भूख के संकट से गुज़र रहा है । पूरी दुनिया की दृष्टि से भी भूखे लोगों में आधे लोग वे हैं जो खाद्यान्न उत्पन्न करते हैं । इसका मुख्य कारण कृषि में पूंजी की लागत, रसायनों व उर्वरकों की क़ीमतों का बढ़ना तथा हरित क्रांति के नाम पर बाहरी चीज़ों का अत्यंत हस्तक्षेप है । इन बाहरी चीज़ों को ख़रीदने के लिए किसानों को भारी मात्रा में क़र्ज़ा लेना पड़ता है और इस क़र्ज़े और ब्याज को चुकाने में वह सब बेचना पड़ता है जो वह पैदा करता है । किसानों की आत्महत्या का प्रश्न इस क़र्ज़ की राजनीति से जुड़ा हुआ है । इस समस्या का समाधान यह है कि कम लागत वाली खेती की व्यवस्था को लागू किया जाए जो कृषि, पर्यावरण के सिद्धांत पर आधारित हो ।

''वादा भी
एक क़र्ज़ है,
जिसे अदा करना
चाहिए ।'' (हदीस)

Late Abdur Rahman Peshkar

CHAUKONIA

ग्रामीण खाद्यान्न उत्पादकों की खाद्यान्न संप्रभुता का सीधा संबंध ग्रामीण समुदाय की भुखमरी को दूर करने व उनकी भूख को मिटाने से है जिनके लिए वे उपज पैदा कर रहे हैं। इस कारण देश जो भुखमरी व कुपोषण झेल रहा है उसका हल कॉरपोरेट खेती व संविदा खेती में नहीं है। जैसे खाद्य सुरक्षा के लिए बने मिड डे मील कार्य को कॉरपोरेट दुनिया ने छीन लिया है। वही खेती का हाल है। सरकार की नीतियां बड़े उद्योग घरानों या निगमों के पक्ष में हैं। राशन व्यवस्था को भी फूड स्टेम्प व वाउचर में बदलने के पीछे यही विचार है कि ये कॉरपोरेशन या निगम पूरी की पूरी खाद्य वितरण व्यवस्था को नियंत्रित करना चाहते हैं। सरकार ग़रीबों को फूड स्टेम्प व वाउचर के माध्यम से खाद्यान्न ख़रीदने योग्य बनाएगी। अस्ल में इस सबके पीछे पूरा विचार यह है कि अच्छा भोजन पैसे वालों के लिए है और ख़राब खाना ग़रीबों के लिए। हालांकि खाद्य सुरक्षा सुरक्षित, अच्छे व सस्ते भोजन की बात कहती है परंतु वाउचर व्यवस्था से यह संभव नहीं है। अस्ल में राशन व्यवस्था एक तरफ़ा व्यवस्था नहीं है। यह खाद्यान्न एकत्र करने व उसके वितरण की व्यवस्था है। अगर इसे समाप्त किया जाता है तो खाद्यान्न उत्पादकों की संप्रभुता नष्ट होती है। वे बाज़ार के अधीन हो जाते हैं और इससे उनके जीवन-यापन के साधन नष्ट होते हैं।

देश के 65 करोड़ ग्रामवासियों को इस तरह भूख की तरफ़ ले जाने का मतलब भूख की समस्या को पैदा करना है जिसे कोई भी सरकार या बाज़ार हल नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें खाद्यान्न संप्रभुता व राशन व्यवस्था को मज़बूत करना चाहिए ताकि खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त हो सके। भारत विभिन्न राज्यों का संघ है अगर भारत सरकार का प्रस्ताव लागू हो जाता है तो राज्य सरकारें केन्द्र के सामने भिखारी की तरह हो जाएंगी।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा व्यवस्था संविधान पर आधारित होनी चाहिए। अच्छा व पर्याप्त मात्रा में भोजन पैदा हो और हर घर की रसोई में पहुंचे इसके लिए विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता है। केन्द्रीकरण के साथ आएगी कॉरपोरेटों की जकड़बंदी और विकेन्द्रीकरण के साथ आएगी पर्याप्त खाद्यान्न की उपलब्धता।

(विविधा फीचर्स)

بسم الله الرحمن الرحيم

जिस आदमी की यह ख़्वाहिश हो कि ख़ुदा उसको क़ियामत के दिन की घुटन और ग़म से बचाए, तो उसे चाहिए कि तंगदस्त क़र्ज़दार को मोहलत दे या क़र्ज़ का बोझ उसके पर से उतार दे।

(हदीस)

SYED SHABBIR AHMAD

No. 1, Andree Road, Shanti Nagar
Banglore-560027

वर्तमान वित्तीय संकट और इस्लामी अर्थव्यवस्था

■ संपादन प्रभाग

''कोई भी धर्म किसी मनुष्य को अपने लाभ के काम करने से नहीं रोकता, बल्कि धर्मों द्वारा तो लोगों को अपने पांव पर खड़े होने की शिक्षा दी जाती है, लेकिन लगभग सभी धर्म एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों के हितों के मूल्य पर अपना हित साधने से प्रतिबंधित करता है । एक-दूसरे के हितों की रक्षा करना और लाभ-हानि में साझी बनाना इस्लामी अर्थव्यवस्था का मौलिक सिद्धांत है ।'' यह बातें ''विश्व वित्तीय संकट और इस्लामी अर्थव्यवस्था'' पर एक लेक्चर में प्रोफ़ेसर नजातुल्लाह सिद्दीक़ी ने कहीं । उन्होंने कहा कि ''पहली चीज़, जिसे इस्लामी अर्थशास्त्र प्रतिबंधित करता है, वह है ब्याज और ब्याज पर आधारित वित्त । दूसरी चीज़ है जूए की तरह अनुमान लगाना और तीसरी चीज़ है स्वार्थ और दूसरों की परवाह नहीं करना । इस्लामी व्यवस्था की यही बातें वित्तीय संकट को कम करती हैं, जबकि पूंजीवादी वित्त व्यवस्था इस संकट को बढ़ाती है । एक-दूसरे का ध्यान रखना, सहभागिता और समाज कल्याण का वातावरण बनाना और धन का न्यायपूर्ण विभाजन ही वह चीज़ है, जो इस्लाम चाहता है ।''

सामान्यत: अतीत और वर्तमान की आमदनी से भविष्य का निर्माण होता है, लेकिन वर्तमान अर्थव्यवस्था में भविष्य में अनुमानित आमदनी के आधार पर लिए गये क़र्ज़ से वर्तमान का निर्माण होता है । यह पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के काल में शुरू हुआ कि आम लोगों को ऊंची ब्याज दरों पर घर बनाने के लिए क़र्ज़ उपलब्ध कराया जाए, इस बात का ध्यान दिये बिना कि क़र्ज़ लेने वाला उसे चुकाने की स्थिति में है या नहीं । इस संबंध में बैंक या दलाल जो बैंक और क़र्ज़ लेने वाले व्यक्ति की क्षमता पर ध्यान नहीं देते हैं । वर्तमान वित्तीय संकट का यही कारण है ।

कुछ दशकों से आर्थिक मामलों में नैतिकता को परे धकेल दिया गया है, जो कि पूर्णत: ग़लत रुझान है । हमें बाज़ार के इस व्यवहार को बदलना होगा और एक नैतिक बाज़ार तैयार करना होगा । कुछ व्यक्ति और कुछ समूह



ब्याजरहित वित्त व्यवस्था को अपनाने के लिए तैयार हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं लेकिन कम से कम वे बाज़ार को ईमानदार और नैतिक बनाने के लिए तैयार होंगे । अपने लेक्चर के अंत में प्रो॰ सिद्दीक़ी ने कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है । हमारे अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि यह वित्तीय संकट की शुरुआत है और हालात और अधिक बुरे हो सकते हैं ।

राज्य सभा के उपसभापति के॰ रहमान ख़ां ने इस प्रोग्राम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इस्लामी अर्थव्यवस्था एकमात्र विकल्प है, जो एक न्यायपूर्ण और स्थित अर्थव्यवस्था दे सकती है । मि॰ ख़ां ने वर्तमान वित्तीय संकट से निकलने के लिए मार्ग की खोज में विश्व वित्तीय संकट पर होने वाली बहस में भाग लेने के लिए आम आदमी से अपील की । उन्होंने कहा कि इस्लामी अर्थव्यवस्था न्यायपूर्ण है और जो अर्थव्यवस्था न्यायपूर्ण नहीं है वह इस्लामी भी नहीं है । सम्पूर्ण विश्व को एक वैकल्पिक अर्थव्यवस्था की ज़रूरत है और इस्लामी अर्थव्यवस्था ही यह ज़रूरत पूरी कर सकती है ।

अंत में आई॰सी॰आई॰एफ॰ के जनरल सेक्रेट्री एच॰ अब्दुर्रक़ीब ने धन्यवाद भाषण में कहा कि यह प्रोग्राम इस विषय पर बहस का आरंभ है । सामाजिक चेतना मंच के कन्वीनर डॉ॰ क़ासिम रसूल इलियास ने श्रोताओं को विषय का सारांश पेश किया ।

निदाए यतीम (Voice of Orphan Boys)

यतीमख़ाना इस्लामिया, गया।

दीनी व असरी उलोम की अपनी तर्ज की मशहूर अकामती (Residential) तालीमगाह



बिरादराने इस्लाम !

अस्सलामु अलैकुम बरहमतुल्लाह व बरकातहु

•आपका यह क़दीम इदारा 92 साल से इल्म की शमा रौशन किय हुए है। आज इसी के तुफ़ैल से इलाक़ा में मुसलमान और हिन्दुओं के स्कूल, पाठशाला, मदरसा और दूर–दूर तक गांव में मकातिब नज़र आ रहे हैं। आज एक छोटी–सी जगह 'चेरकी' के आसपास बएक–वक्त कई बड़े–बड़े इदारे मिल्लत के फ़ायदे के लिए चल रहे हैं। ग़रज एक चिराग़ से बहुत से चिराग़ रौशन हो गये हँ। • यतीमख़ाना अपने तर्ज़ का वाहिद दीनी व असरी तालीम का संगम होने की बजह कर मशहूर व मुम्ताज है। •अक्टूबर 1917 ई० से ही सही इस्लामी खुतूत पर नयी नस्ल की तालीम व तर्बियत में मसरूफ़ है। • **तारीख क़ियाम** : अक्टूबर 1917 ई० • **कैफ़ियत क़ियाम** : जनाब इनायत खान (रह०) ने इदारा की बुनियाद एक उस्ताद और दो (2) यतीम बच्चे से आठ आने (50 पैसे) माहबार किराये की कोठरी में तीस रूपये (Rs. 30/-) की छोटी–सी रक़म से डाली थी। • **कफ़ालत** : इस वक़्त इदारा में 125 यतीम तोलबा हैं, जिनका सारा ख़र्च इदारा बरदाश्त करता है। • तालीमी साल अप्रैल या मार्च • तालीम : दर्जा अतफाल ता मैट्रिक (Matric) • **शोबा–ए–हिफ़्ज** : यहां असरी तालीम के साथ हिफ़्ज़ भी कराया जाता है। • तादाद ज़ेरे तालीम तोलबा व तालिबात तक़रीबन 450 • अल्लामा इकाल • अल्लामा शिबली • डा० अबुल खैर • सैयद मोहम्मद नाजिर हुसैन • सैयद मोहम्मद उमर दराज • ख्वाजा गेयासुद्दीन होस्टल • अपना सारा ख़र्च देकर ग़ैर यतीम तोलबा और इदारे के यतीम तोलबा रहते हैं। • तादाद असातज़ा व दीगर मुलाज़मीन 28 • सालना ख़र्च 13 लाख रूपये से ज़ायद • **ज़रिया आमदनी** : मुस्लिम अवाम के चन्दे।

• याद रखें ! हर साल मैट्रिक (Matric) बोर्ड के इम्तिहान में स्कूल का रिज़ल्ट सौ प्रतिशत (100 %) हुआ करता है। • यहां के तोलबा को मैट्रिक पास करने के बाद कॉलेज के अलावा अरबी यूनीवर्सिटी में आलमियत के साल अब्वल और दोम में आसानी से दाख़िला मिला जाता है। • **खुशख़बरी** : • फ़ासलाती निज़ामे तालीम (Centre for Distance Education) का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ (Approved by Aligarh Muslim University, Aligarh) के तहत, यतीमख़ना इस्लामिया, गया (The Gaya Muslim Orphanage) में सी० डी० ई० स्टडी सेन्टर (C.D.E. Study Centre) खुल चुका है। 2009–10 के सेशन में इन्टरमेडिएट दर्जा, ग्यारहवीं (Class XI) और बारहवीं (XII) का फार्म भरा जा रहा है। • कंप्यूटर की भी तालीम शुरू हो चुकी है।

नोट : कुरआरन, अरबी और इस्लामियात की तालीम दर्जा अब्वल ता दर्जा दहुम तक दी जाती है अरबी और अंग्रेज़ी मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहान में भी लाज़िमी है।

एक अहम अपील : कफ़ाला स्कीम (Kafala Scheme) के तहत एक यतीम तालिब इल्म पर सालाना ख़र्च (Rs.8,000/-) रूपये का है। आप भी एक यतीम बच्चे का ख़र्चे उठा कर कारे सवाब में शरीक हों। जिस शक्ल में मुम्किन हो तआवुन फ़रमा कर अल्लाह से अज्रे अजीम हासिल करें। मसलन, • ज़कात, • अतियात, • सदकात, • पैदावार की ज़कात, • चर्म कुर्बानी,, • एक यतीम बच्चे का सालाना ख़र्च देकर, • अपने या किसी बुज़ुर्ग के नाम कमरा या हॉल बनवाना बग़ैरह।

नोट : हॉस्टल और स्कूल में यतीम और ग़ैर–यतीम तोलबा का दाख़िला जारी

• नया तालीमी साल माह अप्रैल से शुरू।

इदारा आपसे फ़राख़दिलाना तआवुन की अपील करता है।

चेक व ड्राफ्ट पर केवल यह लिखे : **"THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE"**

M-9955655960 चेक, ड्राफ्ट और मनीऑर्डर भेजने का पता : फोन नं०–0631–2734428

Hon. Secretary. **THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE**

• Cherki Distt. Gaya, 824237 (Bihar) India

• Bank A/C No.: 10581, Union Bank of India (Main Branch, Gaya)

• **CORE BANKING A/C NO. 300402010010581**

(डॉ०) फ़रासत हुसैन (सदर) Email : gmocde@yahoo.com Website : www.gmogaya.com (डॉ०) मुहम्मद एहतिशाम रसूल (एज़ाज़ी नाज़िम)

इस्लामी बैंकिंग का उत्थान

■ **डॉ॰ मलिक राशिद फ़ैसल**

इस्लाम एक पूर्ण जीवन व्यवस्था है और इसकी व्यापक शिक्षाएं जीवन के समस्त पहलुओं को अपने भीतर लिए हुई हैं । किसी भी समय में आर्थिक क्षेत्र को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त रहा है और आज के समय में बैंकिंग अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुकी है । बैंकिंग व्यवस्था को इस्लाम से जोड़ देने के बाद इस्लाम की बुनियादी शिक्षाएं उस पर लागू हो जाती हैं ।

यह बात तो प्रत्येक व्यक्ति को मालूम है कि इस्लाम नैतिक मूल्यों को बहुत अधिक महत्व देता है । इस्लाम के अनुसार शोषण, जुआ, धोखाधड़ी, धन का अन्यायपूर्ण वितरण, ब्याज, सट्टेबाज़ी आदि मानवता के लिए घातक हैं । इस्लाम ने हमेशा ही मानवता को स्वार्थ और लालच के भयानक परिणाम से अवगत किया है । इस्लाम में भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है । इन सभी नियमों के अनुसार ही, जिनके लाभ से कोई इन्कार नहीं कर सकता है, इस्लामी बैंकिंग प्रणाली की स्थापना की गयी है ।

ऐसे तो इस्लामी शासनकाल में सदियों तक साझेदारी के इस्लामी तरीक़ों पर व्यापार होता रहा है, लेकिन इस्लामी वित्त का एक उद्योग के तौर पर नियमित आरंभ 1970 ई॰ के दशक में कुछ अरब देशों में हुआ । उसके बाद से लगातार विकास हो रहा है । वर्तमान समय में इस्लामी वित्त का विश्व बाज़ार 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ रहा है और संभावना है कि 2010 तक यह बाज़ार 1000 अरब डॉलर का हो जाएगा । केवल ब्रिटेन में ही यह बाज़ार 500 मिलियन पाउंड से भी आगे तक पहुंच चुका है । ख़ास बात यह है कि ब्रिटेन में ग़ैर-मुस्लिम भी शरीअत पर आधारित उत्पादों का लाभ उठा रहे हैं । इस्लामिक बैंक ऑफ़ ब्रिटेन में मार्केटिंग के अगुआ स्टीवन अमोस का कहना है–''हमारे यहां कुछ ग़ैर-मुस्लिम उपभोक्ता भी आ रहे हैं और उनमें कुछ बड़े नाम भी शामिल हैं । हमारे नैतिक नियमों के आधार पर ये लोग हमारी ओर आकर्षित हो रहे हैं ।'' स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की एक हालिया रिपोर्ट कहती है कि पिछले दशक में इस्लामी बैंकिंग की विकास दर ने प्रचलित बैंकिंग की विकास दर को पीछे छोड़ दिया है । कहा जा रहा है कि इस्लामी वित्त संस्थाओं की सम्मिलित पूंजी इस समय लगभग 300 बिलियन डॉलर है, जबकि इस्लामी अकेडमी फंड और ऑफ़ बैलेंस शीट खाते 15-30 अरब डॉलर है । इन संख्याओं को जोड़कर देखा जाए तो इस्लामी वित्त रूस की जी॰डी॰पी॰ (कुछ देशी उत्पादन) के बराबर हो जाएगी ।

इस्लामी बैंकिंग में मलेशिया इस समय अग्रणी है । मलेशिया के सेन्ट्रल बैंक की निदेशक डॉ॰ ज़ीती अज़ीज़ ने अप्रैल 2002 ई॰ में जी॰-8 देशों की एक कांफ्रेंस में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था, ''इस्लामी वित्तीय प्रणाली में संरक्षण और संतुलन की व्यवस्था है इसलिए यह आतंकवादी संगठनों को फंड उपलब्ध कराने में सहायक नहीं हो सकता है ।'' उन्होंने आगे कहा कि इस प्रणाली में पूर्ण रूप से पारदर्शिता पायी जाती है और ख़तरों को कम करने की व्यवस्था भी पायी जाती है ।

इस्लामी वित्तीय प्रणाली में इतनी ख़ूबियां मौजूद हैं कि वह प्रचलित बैंकिंग प्रणाली का विकल्प साबित हो सकता है । दरअस्ल विश्व वित्तीय संकट के कारण प्रचलित बैंकिंग प्रणाली जनता में अपना भरोसा खो चुकी है, क्योंकि इसने ब्याज पर आधारित बैंकिंग व्यवस्था स्थापित करके मानव समाज के लिए बड़ी कठिनाइयां उत्पन्न कर दी है । अब लोग बैंकिंग की प्रचलित व्यवस्था, कारपोरेट व्यवस्था, नियमों की विफलता और ख़तरों को कम करने के पारंपरिक तरीक़ों पर सवाल उठाने लगे हैं । अब लोग नैतिकता पर आधारित बेहतर नियम, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं । इस्लामी बैंकिंग प्रणाली के भीतर यह सब कुछ मौजूद है ।

इस्लामी वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक पूंजी पर ही लेन-देन की जा सकती है । इसमें डिराइवीटीज़, हेज फंड और अन्य किसी भी प्रकार की सट्टेबाज़ी की कोई गुंजाइश नहीं है । इसके अंतर्गत लाभ और हानि में

साझेदारी के आधार पर ही व्यापार किया जा सकता है । इस्लामी वित्त प्रणाली में इस्लामी बैंकिंग के अलावा इस्लामी बीमा का भी प्रारूप मौजूद है, जिसे तकाफुल कहा जाता है ।

किसी के साथ भी आकस्मिक घटना हो सकती है या प्राकृतिक आपदा का सामना हो सकता है जिसके कारण संबंधित व्यक्ति के परिवार वालों पर आर्थिक बोझ पड़ जाए या उन्हें तंगदस्ती का सामना करना पड़े । इस्लाम किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि वह इस प्रकार की स्थिति और आपदा को कम करने के तरीक़ों और दिन-प्रतिदिन की समस्याओं पर विचार-विमर्श करे और अपने लिए कोई रास्ता निकाले । प्रचलित बीमाओं के विषय में उलमा का विचार है कि यह नाजायज़ है, क्योंकि इसमें ब्याज, जुआ और धोखे की मिलावट होती है । इसलिए इसके विकल्प के रूप में इस्लामी बीमा यानी तकाफुल को प्रस्तुत किया गया है । तकाफुल सामाजिक एकता और सदस्यों के पारस्परिक सहयोग पर आधारित है । इसमें उपस्थित व्यक्तियों के बीच यह समझौता होता है कि यदि उनके समूह के किसी भी सदस्य को पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो वे आपस में इकट्ठा किये गये फंड से उसकी सहायता करेंगे । अर्थात तकाफुल साझेदारी की धारणा पर आधारित है, जिसमें घाटे की साझेदारी होती है और इस प्रकार अनिश्चितता को कम कर दिया जाता है ।

इस्लामी बैंकिंग प्रणाली और इस्लामी वित्तीय प्रणाली इस्लामी अर्थव्यवस्था का एक अंग है और इस व्यवस्था की रचना न्याय और नैतिकता के महत्वपूर्ण स्तंभों पर होती है । वर्तमान वित्तीय संकट का मूल कारण यह है कि हम नैतिक पतन की सभी सीमाओं को पार कर गये हैं ।

स्वार्थ और स्वहित हमारे रग-रग में समा चुकी है । हमने दौलत की लालच में लोगों का शोषण किया है । स्पष्ट है कि इससे उबरने के लिए हमें एक बेहतर विकल्प की आवश्यकता है । निस्संदेह इस्लामी अर्थव्यवस्था प्रचलित अर्थव्यवस्था की तुलना में एक साफ़-सुथरी और उत्तम विकल्प प्रस्तुत करता है ।

Abdul Malik

नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया: 9845311911

"हर क़र्ज़ सदक़ा है ।" (हदीस)

UNIQUE CREATIONS

Spl. in Unipole & Structure Hoarding

#4, Bldg NO. 29/35, 1st Main Road,
Opp. Masjid-e-Husna, SRK Garden,
Jayanagar East, Bangalore-560041
E-mail : uniquecreations2008@gmail.com

अर्थजगत और हज़रत मुहम्मद (सल्ल०)

● डॉ० फ़रहत हुसैन

अधिकांशत: धर्मग्रंथों तथा धर्मगुरुओं का क्षेत्र मनुष्यों का आध्यात्मिक एवं नैतिक उत्थान होता है । उनकी शिक्षाओं, आदेशों तथा प्रवचनों का केन्द्र बिन्दु यही होता है । व्यापार, व्यवसाय, लेन-देन तथा अर्थजगत से जुड़ी अन्य समस्याओं को वे कम ही चर्चा का विषय बनाते हैं । इस्लाम एक सम्पूर्ण व्यवस्था तथा संतुलित मार्ग है, इसलिए उसने मनुष्य के नैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक प्रत्येक विभाग के साथ आर्थिक क्षेत्र पर समुचित ध्यान दिया है । पवित्र क़ुरआन में अर्थव्यवस्था संचालन के सभी महत्वपूर्ण सिद्धांत दे दिये हैं । पैग़म्बरे इस्लाम हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने इन बुनियादी सिद्धांतों को व्यवहार रूप दिया, तथा उनकी आवश्यक व्याख्या भी प्रस्तुत कर दी जो हदीस की पुस्तकों में डेढ़ हज़ार वर्ष से पूर्णरुपेण सुरक्षित है तथा मुस्लिम समुदाय में प्रयुक्त एवं प्रचलित है ।

श्रम (Labour)

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के कथनों में स्वर्णाक्षरों से लिखने योग्य एक कथन पर दृष्टि डालें–

"हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर का कथन है कि रसूल (सल्ल०) ने फ़रमाया–मज़दूर की मज़दूरी का भुगतान उसका पसीना सूखने से पहले कर दो ।"

(इब्ने माजा)

श्रमिक ने कार्य पूर्ण कर दिया अब उसका पारिश्रमिक तुरन्त मिलना चाहिए क्योंकि इसी पारिश्रमिक के लिए तो वह मेहनत कर रहा था । अब उसमें देरी या टाल-मटोल या कमी करना अन्यायपूर्ण है । उल्लेखनीय है कि यहां अग्रिम या एडवांस की बात नहीं की गयी क्योंकि कार्य से पूर्व यदि भुगतान कर दिया जाता है तो अनेक प्रकार की जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं ।

एक और हदीस पर विचार करें–"हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने कहा अल्लाह फ़रमाता है कि न्याय के दिन मैं तीन (प्रकार के) लोगों से (कड़ाई से) निबटुंगा–एक वह व्यक्ति जो मेरा नाम लेकर कोई अनुबंध करे और फिर उस अनुबंध को तोड़ डाले, एक वह जो किसी स्वतंत्र व्यक्ति को गुलाम बनाकर बेचे, एक वह जो किसी को नौकर रखे उससे पूरा काम कराये, परन्तु उसकी मज़दूरी न दे ।" (बुख़ारी)

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के युग में दासों का चलन था । इस प्रथा को आपने धीरे-धीरे समाप्त किया । जो दास दासियां कार्यरत थे उनको संपूर्ण मानवाधिकार दिलाए–

"हज़रत अबू हुरैरह से रिवायत (उल्लिखित) है कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने आदेश दिये–दासों को भरपेट खाना दो, उन्हें समुचित वस्त्र पहनाओ, उनके सामर्थ्य से अधिक उन पर कार्य का भार न डालो ।" (मुस्लिम)

"हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने उस श्रमिक व सेवक को उत्कृष्ट बताया जो अपने प्रभु की बन्दगी करे तथा अपने मालिक का शुभ चिन्तक हो ।" (बुख़ारी)

एक और हदीस के अनुसार मालिक की संपत्ति की सुरक्षा करे ।

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने जीवन पर्यन्त अपने सेवकों और दासों से बेहतरीन सुलूक किया और आपने इसी की शिक्षा अपने अनुयायियों को दी । मेहनतकश मज़दूर वर्ग के बारे में आप (सल्ल०) ने फ़रमाया–

"उनको सम्मान दो जितना अपनी औलाद को देते हो, उनको वही खिलाओ जो तुम खाते हो ।"(बुख़ारी)

आप (सल्ल०) का व्यवहार अपने सेवकों के साथ कैसा था इसका एक उद्धरण देखिए–

"हज़रत अनस (रज़ि०) फ़रमाते हैं कि मैं दस वर्ष तक आप (सल्ल०) की सेवा में रहा परन्तु आपने न कभी कहा यह कार्य ऐसे क्यों किया अथवा यह कार्य क्यों नहीं किया ।"

श्रम और श्रमिक आदरणीय

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने श्रम को महत्व दिया–

"हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने फ़रमाया उससे बेहतर कोई खाना नहीं जो आदमी अपने हाथ से कमाकर खाता है । हज़रत दाऊद (अलैहि०) अपने हाथों से अपनी

जीविका कमाते थे ।" (मिश्कात)

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के चेलों में एक साहब मेहनत मज़दूरी करके अपनी जीविका कमाते थे । पत्थरों पर कुदाल चलाते-चलाते उनके हाथों में गट्टे पड़ गये थे । एक दिन आप (सल्ल०) की नज़र उनके हाथों पर पड़ी । आपने पूछा तुम्हारे हाथों पर कुछ लिखा हुआ है ? वह बोले–"नहीं, पत्थर पर कुदाल चलाता हूं और उससे अपने परिवार का भरण-पोषण करता हूं । आप (सल्ल०) ने उनके हाथ चूम लिए ।

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की शिक्षाओं को अगर व्यवहार में लाया जाए तो उद्योगपति और श्रम के बीच वर्ग संघर्ष से बचा जा सकता है । आधुनिक अर्थशास्त्र ने श्रमिक को उत्पादन के साधन (Factor of Production) से अधिक महत्व नहीं दिया, बल्कि पूंजी, मशीनों और प्रबंध की तुलना में बहुत निम्न स्तर पर रखा । उत्पादन के परिणामस्वरूप प्राप्त होने वाली आय का बहुत थोड़ा भाग मज़दूर के हाथ लगा । स्वचालित मशीनें लगा-लगाकर उनकी संख्या कारख़ानों से घटायी, क्योंकि मज़दूर अपने संघ बनाकर मांगे रख सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं, बेजान मशीनें ऐसा नहीं करेंगी । यही कारण है कि विश्व के समृद्ध देशों में भी बेरोज़गारी एक बड़ी समस्या है । श्रम का आदर, श्रमिक को अपने जैसा मनुष्य समझने तथा उसके दुख दर्द में भागीदारी की अवधारणा के बग़ैर औद्योगिक जगत में शांति संभव नहीं ।

अपनी आजीविका (LIVELIHOOD) प्राप्ति के लिए मनुष्य व्यापार, व्यवसाय व उद्योग स्थापित करता है, मज़दूरी करता है या नौकरी करता है । इस प्रकार किसी न किसी रूप में उत्पादन क्रिया (Production Function) में सहभागिता करता है । मनुष्य अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है जिससे उसका रहन-सहन का स्तर (Standard of Living) ऊंचा उठे । यह इच्छा आर्थिक विकास में सहायक होती है परन्तु जब यह अनियंत्रित, अन्तहीन एवं सिद्धांतहीन हो जाती है तो समाज के ताने-बाने बिखरने लगते हैं । अधिक से अधिक धन कमाने की होड़ में अनैतिक, असामाजिक बल्कि मानवता विरोधी कार्य किये जाते हैं । इस्लाम अपनी नैतिक एवं क़ानूनी व्यवस्था (Moral and Legal System) द्वारा आर्थिक गतिविधियों को इस प्रकार नियंत्रित करता

"और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल (सल्ल०) की आज्ञा का पालन करे और अल्लाह से डरे और उसकी सीमाओं का ख़्याल रखे, तो ऐसे ही लोग सफल हैं ।" (क़ुरआन, 24:52)

Forum For Democracy & Communal Amity
Karnataka

Muhammad Rafi Ahmad M.E. (Civil)
General Secretary

Office : "BIFT", 1st Floor, Darussalam,
Queen's Road, Banglore-1
Tel. : 56695810, Mob. : 9845173667

है कि आर्थिक विकास की गाड़ी आगे बढ़े, साथ ही समाज को किसी प्रकार की क्षति न हो । यह सुन्दर सामंजस्य किसी अन्य व्यवस्था (System) में नहीं पाया जाता ।

आजीविका पूर्व निर्धारित है

हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने फ़रमाया–"लोगो ईश्वर से डरो और आजीविका प्राप्ति की अपनी कामना को अच्छा स्वरूप प्रदान करो (क्योंकि) कोई व्यक्ति उस समय तक मर नहीं सकता जब तक उसके भाग्य का ध न उसे प्राप्त नहीं हो जाता ।... अत: अल्लाह से डरो और आजीविका में उत्तमता अपनाओ । वैध आजीविका प्राप्त करो और अवैध का त्याग करो । (इब्न माजा)

उपरोक्त कथन से स्पष्ट है कि मनुष्य को भाग्य से कम या अधिक नहीं मिल सकता तो फिर कमाने के नाजायज़ अथवा अवैध मार्ग को अपनाना मूर्खता है । एक अन्य कथन के अनुसार बच्चा जब गर्भ में होता है तभी उसकी आजीविका अल्लाह द्वारा निर्धारित कर दी जाती है । (मुस्लिम)

आजीविका के लिए दौड़-धूप का आदेश

उपरोक्त कथनों/शिक्षाओं से यह आशय लेना त्रुटिपूर्ण होगा कि भाग्य भरोसे मनुष्य कर्म ही छोड़ बैठे । पवित्र क़ुरआन में आदेश दिया गया–

"नमाज़ पूरी कर लेने के बाद आजीविका प्राप्ति हेतु धरती में फैल जाओ ।" (62:10)

अर्थात ईश्वर की उपासना के पश्चात अपनी तथा अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आर्थिक क्रियाओं में संलग्न हो जाओ । इसी तरह संन्यास अथवा संसार त्याग की अनुमति नहीं दी गयी ।

हलाल व हराम की अवधारणा

इस्लामी व्यवस्था की विशेषता यह है कि इसमें आर्थिक गतिविधियों को समुचित महत्व देते हुए उन्हें प्रोत्साहित तो किया गया परन्तु उनको नैतिक बंधन में बांध कर रखा गया। इसके लिए हलाल व हराम की अवधारणा दी गयी । इस्लामी शरीअत द्वारा वर्जित व्यापार, व्यवसाय तथा आर्थिक क्रियाकलाप हराम, अवैध तथा नाजायज़ हैं, इनकी पूर्ण मनाही है । अपनी आजीविका के लिए इन्हें अपनाना पाप है तथा शरीअत में क़ानूनन दंडनीय है । इन वर्जित कार्यों के अतिरिक्त शेष सभी कार्य हलाल वैध तथा जायज़ हैं ।

धनोपार्जन के अवैध तरीक़े

इस्लामी शरीअत ने जिन तरीक़ों पर प्रतिबंध लगाया वे ये हैं–

1. किसी की धन संपत्ति उसके मालिक की स्वतंत्र सहमति के बग़ैर, अथवा अनुचित दबाव डालकर अथवा धोखे से लेना
2. घूसख़ोरी
3. अमानत में ख़यानत
4. चोरी-डकैती
5. अनाथ के धन में अवैध हिस्सेदारी
6. नाप-तौल में हेरा-फेरी
7. अश्लीलता फैलाने के कारोबार
8. नाच-गाने का पेशा
9. व्यभिचार तथा वेश्यावृत्ति का धंधा
10. शराब तथा नशीली वस्तुओं के कारोबार
11. जुआ तथा उसकी सभी क़िस्में
12. प्रतिमा निर्माण तथा तत्संबंधी कार्य

समाज का प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता है क्योंकि वह अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग करता है । उपभोग तथा उपभोक्ता का व्यवहार आदतों, रीति-रिवाजों, फ़ैशन, धार्मिक आस्था तथा उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है । पाश्चात्य प्रणाली में उपभोग को बढ़ाकर मांग बढ़ाने पर बल दिया । इससे उत्पादन तथा रोज़गार अवसरों में वृद्धि होती है परन्तु सामाजिक ढांचे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । उपभोक्तावाद का कोई अन्त नहीं । पूंजी तथा उत्पादन के अन्य साधन विलासिता संबंधी वस्तुओं (Luxuries) के उत्पादन पर लग जाते हैं क्योंकि उनमें लाभ अधिक है । संसाधनों का न्यायोचित वितरण नहीं होता ।

क़ुरआन ने उपभोक्ता व्यवहार हेतु मध्यमार्ग (Moderation) का चयन किया–

"अल्लाह के नेक बन्दे वे हैं जो ख़र्च करने में न 'अति' करते हैं और न कनजूसी, वरन् इन दोनों के बीच 'संतुलन' पर रहते हैं ।" (25:67)

इस्लाम न तो संन्यास की अनुमति देता है और न अपव्यय व फ़िज़ूलख़र्ची की । इसका परिणाम यह होता है कि एक व्यक्ति के स्तर पर उत्पादन में अतिरेक का

सृजन होता है जो समाज की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने में सहायक होता है ।

हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने एक आदर्श उपभोक्ता का उदाहरण अपने आचरण से प्रस्तुत किया । आप (सल्ल॰) ने अत्यन्त सादा जीवन व्यतीत किया । ख़लीफ़ाओं तथा आप (सल्ल॰) के अनुयायियों ने इस मॉडल को अपनाया । उपभोक्तावाद की मानसिकता से ग्रस्त समाज घरेलू सामान तथा साज-सज्जा की वस्तुओं को एकत्रित करने में व्यस्त है । अल्लाह के संदेशटा ने फ़रमाया–

"(घर में) एक बिस्तर आदमी के लिए हो एक उसकी पत्नी के लिए और तीसरा अतिथि के लिए, इनके अतिरिक्त चौथा बिस्तर शैतान के लिए है ।"
(बुख़ारी)

आशय यह है कि परिवार की आवश्यकतानुसार ही सामान रखना चाहिए । वास्तविकता यह है कि इच्छाओं की लंबी सूची में आज के इन्सान की सुख-शान्ति को छीन लिया है । आप (सल्ल॰) ने फ़रमाया–

"आदमी इस प्रकार दिन प्रारंभ करे कि उसका मन शान्त हो, शरीर स्वस्थ हो, दिन भर के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध हो, वह ऐसा है कि मानो संपूर्ण संसार उसके पास है ।" (तिरमिज़ी)

"खाओ और दान-पुण्य भी करो, वस्त्र धारण करो परन्तु दिखावा और घमंड न करो ।" (तिरमिज़ी)

उपभोग तथा उपभोक्ता व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए क़ुरआन तथा हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) के कथनों में विस्तार से चर्चा की गयी है । उसका सार निम्न बिन्दुओं में प्रस्तुत किया जा सकता है–

1. उपभोक्ता के रूप में व्यक्ति का व्यवहार मध्यमार्गीय हो, जिसमें न तो फ़िज़ूलख़र्ची हो और न कंजूसी ।

2. संन्यास अथवा संसार से पलायन की अनुमति नहीं है ।

3. प्रत्येक नागरिक की आधारभूत आवश्यकताएं (Basic Wants) पूरी की जाएंगी । यदि बीमारी, अपंगता अथवा किसी अन्य कारण वह स्वयं इन्हें न जुटा सके तो पड़ोसी तथा अन्य संपन्न व्यक्तियों का उत्तरदायित्व होगा कि ऐसे व्यक्ति, व्यक्तियों का भरण-पोषण हो, साथ ही अन्तिम रूप से राज्य की ज़िम्मेदारी होगी ।

4. विलासिता संबंधी वस्तुओं पर व्यय से रोका गया है । इसी क्रम में पुरुषों को स्वर्णाभूषण तथा रेशमी वस्त्रों के प्रयोग की पूर्ण मनाही है । सोने-चांदी के बर्तनों के प्रयोग पर भी प्रतिबंध है ।

5. शराब तथा नशे की अन्य सामग्रियों को वर्जित किया गया । उनके उत्पादन तथा विक्रय में सहयोग को भी हराम किया गया ।

6. आय के ऐसे समस्त स्रोतों पर रोक लगायी गयी, जो समाज के लिए हानिकारक हैं । इसी प्रकार व्यय की उन मदों पर भी प्रतिबंध लगाया जो फ़िज़ूलख़र्ची, दिखावा तथा साधनों के अपव्यय का कारण बनते हैं–क्योंकि इससे समाज की पूंजी असंपन्न वर्ग के काम आने के स्थान पर बेकार चली जाती है ।

वास्तव में उपयोग तथा उपभोक्ता व्यवहार को यदि उचित दिशा दे दी जाए तो समाज में आर्थिक संसाधनों का न्यायोचित वितरण संभव है और ग़रीबी तथा बेरोज़गारी की समस्या का समाधान हो सकता है ।



फ़ोन : 09424706569

अंसार बुक हाउस

हमारे यहां

मध्य प्रदेश पाठ्य-पुस्तक निगम (हिन्दी/उर्दू माध्यम) शिवलाल युगबोध एंड अन्य पब्लिकेशन की किताबों के थोक विक्रेता

नगीना मस्जिद, गोहलपुर, जबलपुर, मध्य प्रदेश

एस॰बी॰आई॰ की पहल

● **संपादन प्रभाग**

5 अक्तूबर 2009, यह वह ऐतिहासिक दिन है जब ऑल इंडिया कौंसिल ऑफ़ मुस्लिम इकोनोमिक अपलिफ्टमेंट लिमिटेड ट्रस्ट, मुंबई के असिस्टेंट जनरल सेक्रेट्री जनाब सैयद ज़ाहिद अहमद को स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के समुद्रपारीय विस्तार और योजना विभाग के उपमहाप्रबंधक श्री नरेश मलहोत्रा ने मुंबई में इस्लामी बैंकिंग पर विस्तार से बातचीत के लिए बुलाया । इस बातचीत में वे मुद्दे भी सामने आये जो भारत में इस्लामी बैंकिंग खिड़कियों (Windows) की राह में क़ानूनी और व्यापारिक रूप में बाधक हैं । इस संदर्भ में जनाब ज़ाहिद अहमद ने उन क़ानूनी अरचनों को उजागर करने वाली सूची श्री मल्होत्रा को सौंपी, जिसे आनंद सिंहा कमेटी ने संपादित किया था ।

इस बैठक में भारत में इस्लामी बैंकिंग सेवाओं के सिलसिले में अविवादित चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ उत्पादों पर विशेष चर्चा हुई । इस अवसर पर बंगलादेश सरकार के इस्लामी बैंकिंग में तकनीकी प्रारूप को भी पेश किया गया और उसके साथ ही भारत में इस्लामी बैंकिंग के तौर-तरीक़ों पर आधारित एक प्रारूप भी सौंपा गया । एस॰बी॰आई॰ को तासीस की शुरुआत के लिए वाउचर भी दिया गया ।

जनाब ज़ाहिद अहमद ने श्री मल्होत्रा को सुझाव दिया कि इस सिलसिले में सहायता के लिए जनाब एम॰ए॰ बटकी की मदद लेनी चाहिए, जो कि आर॰बी॰आई॰ में विधि सलाहकार के पद से रिटायर होने के बाद पुणे में रह रहे हैं । वे इस्लामी बैंकिंग के सिलसिले में टेक्निकल नोट्स तैयार करने की क्षमता रखते हैं । साथ ही इस सिलसिले में प्रो॰ नज़ातुल्लाह सिद्दीक़ी, डॉ॰ औसाफ़ अहमद, डॉ॰ रहमतुल्लाह और डॉ॰ एम॰आई॰ बगसिराज के नाम भी सामने आये । आर॰बी॰आई॰ से सेवानिवृत कार्यकारी डायरेक्टर जनाब अब्दुल हसीब, पंजाब नेशनल बैंक से सेवानिवृत सीनियर मैनेजर जनाब एहसानुल हक़, इस्लामी अर्थशास्त्र में पी॰एच॰डी॰ डॉ॰ शारिक़ निसार आदि ऐसे नामों पर भी चर्चा हुई, जिनसे भारत में इस्लामी बैंकिंग की स्थापना के संबंध में मदद ली जा सकती है ।

इस बैठक में आई॰सी॰आई॰एफ॰ के संयोजक जनाब एच॰ अब्दुर्रक़ीब के प्रयासों पर भी चर्चा हुई और एस॰बी॰आई॰ को सुझाव दिया गया कि उनके प्रयासों और उनके द्वारा प्राप्त की गयी जानकारियों से फ़ायदा उठाएं । दोहा में सी॰एफ॰एस॰आर॰ की जो बैठक हुई, उसमें बड़े पैमाने पर इस्लामी बैंकिंग की शुरुआत के लिए सामूहिक पहल की गयी, वह जनाब अब्दुर्रक़ीब के प्रयासों से हुई ।

उनके अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक वरिष्ठ अर्थशास्त्रियों और नामचीन संस्थाओं से अच्छे संपर्क हैं । श्री मल्होत्रा ने बताया कि एस॰बी॰आई॰ ने इस्लामी बैंकिंग और फाइनेंस को क्रियान्वित करने के लिए सुगम रिपोर्ट तैयार करने के लिए कुछ सलाहकारों को पहले से ही नियुक्त

بسم الله الرحمن الرحيم

''अल्लाह उस आदमी के साथ दयालुता का मामला करेगा जो क्रय-विक्रय और क़र्ज़ का तक़ाज़ा करने में नरमी और शालीनता बरते ।'' (हदीस)

Haji Safeeruddin Sb.
Chaukonia

कर रखा है । उन्होंने बताया कि एस०बी०आई० सभी क़ानूनी और वैधानिक अरचनों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास 'कर रहा है और हम इन बाधाओं के प्रति अधिक चिंतित हैं । इस बैठक में ब्याजरहित बैंकिंग प्रणाली पर रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट और इस रिपोर्ट पर श्री विजय महाजन की विशेष टिप्पणी कि "इसे भारत में ज़रूर अपनाया जाना चाहिए", पर भी विचार-विमर्श किया गया ।

जनाब ज़ाहिद अहमद ने कहा कि भारत में ब्याजरहित बैंकिंग के लिए कई इस्लामी संस्थाएं और अर्थशास्त्री काम कर रहे हैं । एस०बी०आई० को चाहिए कि उनकी एक बैठक बुलाए और उनके विचारों और अनुभवों को जाने । इस बैठक में AICMU के बैतुलमाल कारपोरेशन क्रेडिट सोसायटी NBFC के ब्याजरहित कार्यों और उत्पादों की भांति एस०बी०आई० के उत्पादों को लांच करने के बाद की परिस्थिति पर भी चर्चा की गयी । श्री मल्होत्रा ने कहा कि हम समुद्रपार विस्तार के बिजनेस पर गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं और खाड़ी के कुछ देशों में इस्लामी बैंकिंग पर आधारित उत्पाद शुरू करने की योजना है । उन्होंने कहा कि घरेलू बाज़ार में भी इसके लिए बहुत गुंजाइश है । इसे यहां शुरू किया गया तो विदेशी पूंजीनिवेश बहुत बढ़ेगा ।

श्री मल्होत्रा को बताया गया कि इस दिशा में केरल सरकार भी प्रयासरत है और उसने कोच्चि में इस्लामी बैंकिंग पर दो दिवसीय कांफ्रेंस का आयोजन किया था । केरल सरकार का पहले से ही इस दिशा में सहयोग मिलता रहा है । साथ ही खाड़ी के देश भी इस योजना का समर्थन कर रहे हैं अत: आर०बी०आई० के बाधक अधिनियमों के अलावा कोई और समस्या नज़र नहीं आती । इस समस्या का समाधान राजनैतिक समर्थन प्राप्त कर किया जा सकता है । इस बैठक में कृषि क्षेत्र के लिए "बैस सलाम" और इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए "सुकूक" (बांड) के प्रारूपों पर चर्चा की गयी ताकि देश की आर्थिक व सामाजिक उन्नति और हो सके ।

स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, एच०एस०बी०सी० और डी०सी०बी० आदि बैंकों द्वारा कई देशों में इस्लामी विन्डो को सफलतापूर्वक चला रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोग निवेश कर रहे हैं ।

जिसकी जवानी जवानी के आफ़तों से महफ़ूज़ रही वह जन्नत का मुस्तहक़ है । (हदीस)

S. RAFI AHMED
B.Sc., F.C.A.

CA

(O) : 65609383
(R) : 65651869
Cell : 9243460157

AHMED & CO.

Chartered Accountants

15, 1st Floor, Ebrahim Sahib Street, Shivajinagar, Bangalore-560001
E-mail : ahmedrafiin@yahoo.co.in

सट्टेबाज़ों से सावधान

● संपादन प्रभाग

दिल्ली और उसके आसपास की जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग लॉटरी का इस क़दर आदी हो चुका है कि उसने इसके समानांतर रास्ते खोज निकाले हैं । सट्टा उन्हीं में से एक है । हालांकि हवाला बाज़ार और कैसिनो भी इस तरह के समानान्तर रास्ते हैं । लेकिन ये रास्ते मध्य और निम्न मध्य वर्ग की हैसियत से बाहर होने के कारण इस वर्ग के लोगों के बीच सट्टा ही सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है ।

सट्टे को गांवों और निजी तौर पर खेले जाने वाले जुए का एक व्यवस्थित रूप कह सकते हैं । हालांकि इसमें लॉटरी जैसी सुरक्षित व्यवस्था और सरकारी तंत्र शामिल नहीं होता । लेकिन सट्टा बाज़ार की अपनी एक व्यवस्था और उसकी नियमितता अनिवार्य रूप से होती है । तभी आम लोग उस पर अपनी गाढ़ी कमायी ख़र्च करने का साहस जुटा पाते हैं । सट्टा एक नम्बर की लॉटरी से काफ़ी मिलता-जुलता है । फ़र्क़ यह होता है कि एक नम्बर वाली लॉटरी में जहां 0 से लेकर 9 नम्बर तक ही होते हैं, वहीं सट्टा में 0 से 99 नम्बर तक में दांव लगाया जाता है । एक नम्बर की लॉटरी से प्राय: विजेता को न्यूनतम आठ गुना तक की धनराशि मिलती है । जबकि सट्टा में विजेता को दांव पर लगाये गये धन का 80 गुना से भी ज़्यादा मिलता है । यानी अगर कोई व्यक्ति सट्टे में 500 रुपये लगाता है और उसका नम्बर निकल आता है तो उसे 40000 रुपये मिल जाते हैं । साधारण सट्टे में अधिकतम लगायी जाने वाली धनराशि 500 रुपये ही होती है ।

सट्टा चूंकि अवैध व्यापार है, इसलिए ज़ाहिर है उसको चलाने वाले ताक़तवर माफ़िया ही होंगे । दिल्ली में प्रतिदिन लगभग 10 करोड़ रुपये का सट्टा व्यापार होता है । इसे चलाने के लिए राजधानी में एक व्यापक भूमिगत तंत्र है जिसके रिश्ते राजनीतिज्ञों से लेकर पुलिस

हज़रत मआज़ बिन जबल (रज़ि०) और अबू मूसा अशअरी (रज़ि०) को यमन भेजते समय नबी (सल्ल०) ने यह नसीहत फ़रमायी : "तुम दोनों दीन को लोगों के लिए आसान बनाना, मुश्किल न बनाना, लोगों को अपनी दीन से क़रीब करना, ऐसा न करना कि लोग दीन से बिदक जाएं और दूर भागें।" (हदीस)

A Well Wisher

BANGLORE

के बड़े अधिकारियों और राजधानी परिक्षेत्र के तमाम बड़े बैंक अधिकारियों तक से हैं । राजधानी के कई महत्वपूर्ण स्थान हैं, जहां करोड़ों की क़ीमत का सट्टा व्यापार होता है । ये हैं करोल बाग़, दरियागंज और राजधानी से कुछ ही दूरी पर स्थित फ़रीदाबाद । दरियागंज धन उगाहने का मुख्य अड्डा है । यहां के एक स्थानीय संचालक के अनुसार राजधानी का 60 प्रतिशत कारोबार दरियागंज मार्फ़त होता है ।

राजधानी तथा उसके 50 किलोमीटर के दायरे में बसे उपनगरों के लगभग 70 हज़ार लोग हैं जो सट्टा कारोबार से जुड़े हैं । आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि इनमें 70 से 75 प्रतिशत लोग बहुत ही साधारण आय वर्ग के और ज़्यादातर सरकारी कर्मचारी हैं । देश के कई पांच सितारा होटलों और दिल्ली की सीमा से लगे हुए पर्यटन स्थलों में सट्टे का भारी कारोबार होता है । लेकिन इन जगहों में निम्न मध्य या मध्य वर्ग की पहुंच नहीं है, यहां उच्च वर्ग के लोग ही पहुंचते हैं ।

सट्टे का समूचा कारोबार आपसी विश्वसनीयता की बदौलत होता है । जैसा कि एक एजेंट कहता है हर धंधे के अपने कुछ सख़्त वसूल होते हैं । उनका पालन किये बिना धंधा चल नहीं सकता, सट्टे का धंधा तो बिल्कुल नहीं । राजधानी में सट्टे का कारोबार पिछले दो दशकों की देन है ।

इसके पहले यह कुछ बदनाम गतिविधियों के रूप में जाना जाता था, लेकिन इस कारोबार का पिछले कुछ एक सालों में 'समाजीकरण' हुआ है । यानी इससे उच्च तबक़े भी जुड़ रहे हैं । लेकिन तेज़ी से फैलते इस धंधे ने सामाजिक और प्रशासनिक दिक़्क़तें पैदा कर दी हैं । इस धंधे का अन्तर्राष्ट्रीय और अन्तर्शहरी विस्तार हो जाने के कारण संचार व्यवस्था तक प्रभावित हो जाती है ।

सट्टा व्यापार के सामाजिक दुष्परिणाम इसके व्यवस्थागत दुष्परिणामों से कहीं ज़्यादा घातक हैं । क्योंकि इस धंधे में लगे 70 प्रतिशत लोग 1500 से 3000 मासिक आय समूह में हैं । पिछले चार सालों में लगातार ऊपर उठे थोक मूल्य सूचकांक और मुद्रास्फीति की दर गवाह है कि ज़िन्दगी कितनी महंगी हुई है । इतने पैसों में मुश्किल से गुज़ारा होता है, ऊपर से यह रोग । लोग भाग्य के भरोसे इस धंधे में उतरते हैं और परिणाम होता है बर्बादी ।

सट्टा या लॉटरी में धन लगाने वाला व्यक्ति इतना सीधा या अर्थशास्त्र नहीं समझ पाता कि यह एक बड़ी पूंजी (प्रभावी पूंजी) द्वारा संचालित मुनाफ़े की एक निश्चित गतिविधि है । सीधा-सा मतलब है कि 0-99 नम्बरों के बीच अगर किसी एक आदमी को उसके नम्बर पर इनाम मिलता है तो शेष 98 लोगों का धन मारा जाएगा । निवेश करने वाले लोग यह नहीं सोच पाते कि उनका नाम उन 98 लोगों के बीच भी हो सकता है । इस धंधे की त्रासदी यह भी है और दांव लगाने वालों का यही अविवेक लगातार बने रहने और विस्तारित होने का परिचय है ।

09425164608, 09752189505

UNIQUE COLLECTION

Exclusive Branded Shop

For : Mens, Girls & Kids

Central Bank Road, Durga Chowk, Seoni (M.P.) 480661

केन्द्र सरकार की पहल

● **संपादन प्रभाग**

केन्द्रीय वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने आश्वासन दिया है कि केन्द्र सरकार ब्याज मुक्त इस्लामी बैंकिंग प्रणाली को भारत में अपनाने के लिए शीघ्र ही भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर से बातचीत करेंगे ।

इंडियन सेन्टर फॉर इस्लामिक फाइनांस के महासचिव जनाब एच॰ अब्दुर्रक़ीब के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने कोलकाता में विगत 24 अक्तूबर को श्री मुखर्जी के आवास पर उनसे मुलाक़ात की और एक स्मार पत्र पेश किया । मुलाक़ात के बाद जनाब अब्दुर्रक़ीब ने बताया कि वित्त मंत्री ने तीन पृष्ठों वाले स्मार पत्र को पढ़ा, जिसमें वित्तीय क्षेत्र के सुधार पर रघुराम राजन कमेटी की सिफ़ारिशों का उल्लेख है, इस कमेटी ने ब्याजरहित वित्तीय व्यवस्था को अपनाने के संबंध में अपनी सिफ़ारिशें भी दी हैं ।

जनाब अब्दुर्रक़ीब ने बताया कि ब्याजरहित बैंकिंग केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि सभी के लिए कल्याणकारी है । मलेशिया में इस्लामी बैंकिंग के 40 प्रतिशत उपभोक्ता चीनी हैं, जो मुसलमान नहीं हैं । ब्रिटेन में 20 प्रतिशत ग़ैर-मुस्लिम भाई इसकी सेवाएं अर्जित कर रहे हैं । उन्होंने बताया कि वैटिकन में पश्चिमी बैंकों के सुकूक (इस्लामी वित्तीय व्यवस्था) को अपनाने का परामर्श दिया है, जो कि वर्तमान पारंपरिक बैंकों का उत्तम विकल्प है । उल्लेखनीय है कि वैटिकन के कैथोलिक चर्च के मुख्य पत्र में पोप के हवाले से 9 मार्च 2009 को यह ख़बर छपी थी कि उन्होंने वर्तमान वैश्विक वित्तीय संकट पर क़ाबू पाने के लिए सैद्धांतिक इस्लामी बैंकिंग प्रणाली को अपनाने पर बल दिया और कहा कि बड़े धर्मों का विशेष ध्यान मानव कल्याण होता है ।

वित्त मंत्री को बताया गया कि केरल सरकार ने एक हज़ार करोड़ रुपये की संपत्ति वाली एक इस्लामिक इंवेस्टमेंट कंपनी क़ायम करने का फ़ैसला किया है लेकिन इसके लिए आर॰बी॰आई॰ के बैंकिंग अधिनियमों में संशोधन की आवश्यकता है । यह कार्य संसद के द्वारा ही संभव है । वित्त मंत्री ने बताया कि इस सिलसिले में वे सऊदी अरब भी जाएंगे और इसको लागू करने के तौर-तरीक़ों पर गंभीरता से विचार करेंगे । ज्ञातत्व है कि प्रधानमंत्री डॉ॰ मनमोहन सिंह कई बार ब्याजरहित इस्लामी बैंकिंग की उपयोगिता और इसको अपनाने पर वक्तव्य दे चुके हैं ।

प्रो॰ मुहम्मद क़मरुज़्ज़मा

9826809922
9826689853

पापुलर ट्रेवल्स

लग्जरी बस सेवा 2/2 (स्लीपर) के लिए सम्पर्क करें ।

अम्बिकापुर से बिलासपुर	रात्रि	23:20
अम्बिकापुर से रायपुर	प्रात:	03:00
अम्बिकापुर से डाल्टेनगंज	रात्रि	21:30
अम्बिकापुर से डाल्टेनगंज	रात्रि	22:25
अम्बिकापुर से डाल्टेनगंज	रात्रि	22:30
मननगढ़ से डाल्टेनगंज	रात्रि	19:10
अम्बिकापुर से मननगढ़	संध्या	05:00
अम्बिकापुर से चीरमीरी	प्रात:	06:30
अम्बिकापुर से मननगढ़	संध्या	16:10
रायगढ़ से डाल्टेनगंज	रात्रि	21:40

राम मंदिर के पास, अम्बिकापुर, सरगुजा (छत्तीसगढ़)

डॉ॰ रघुराम राजन कमेटी की भारत में ब्याज मुक्त बैंकिंग की सिफ़ारिश

● **संपादन प्रभाग**

''वित्तीय ढांचे की परिधि में मोटे तौर पर आने वाला एक अन्य विषय है–ब्याज मुक्त बैंकिंग के प्रावधान को सम्मिलित करना । कुछ धर्मों में उन वित्तीय प्रलेखों का प्रयोग निषिध है जिनमें ब्याज दिया जाता है । ब्याज मुक्त बैंकिंग उत्पादों की अनुपलब्धतावश (जिसमें, उस धर्म के नियमों के अनुसार, निवेशकर्ता का प्रतिफल जोखिम लेने से जुड़ा हो) कुछ भारतवासियों की अपनी आस्था के कारण बैंकिंग उत्पादों तथा सेवाओं तक पहुंच नहीं हो पाती, उनमें समाज का आर्थिक रूप से वंचित वर्ग भी सम्मिलित है । उक्त अनुपलब्धता भारत की अन्य देशों के बड़े बचत संसाधनों तक पहुंच में भी बाधक होती है ।

यद्यपि ब्याज मुक्त बैंकिंग सीमित स्तर पर ग़ैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) एवं सहकारी संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती है तथापि यह समिति सिफ़ारिश करती है कि बैंकिंग प्रणाली सहित बृहत पैमाने पर ब्याज मुक्त वित्त उपलब्ध कराने संबंधी अनुमति के उपाय किये जाएं । यह नवीनता (Innovation) द्वारा विकास के उद्देश्य के अनुरूप है । समिति का विश्वास है कि इन उत्पादों हेतु उचित उपायों के माध्यम से बनायी गयी कार्य योजना के द्वारा यह संभव हो जाएगा तथा कोई प्रणालीगत प्रतिकूल जोखिम भी नहीं होगा ।''

भारत सरकार द्वारा देश में वित्तीय क्षेत्र के सुधार हेतु सुझाव देने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने देश में बयाज मुक्त बैंकिंग की सिफ़ारिश की थी और 12 सितम्बर 2008 को प्रधानमंत्री डॉ॰ मनमोहन सिंह को अपनी रिपोर्ट पेश की थी ।

भारत सरकार को योजना आयोग ने अपने आदेश सं॰ A-43011/17/2007 adm-1 दिनांक 17-8-2007 द्वारा वित्तीय सेक्टर के सुधार हेतु जाने-माने अर्थशास्त्री डॉ॰ रघुराम राजन प्रोफ़ेसर शिकागो विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में 12 सदस्यी उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था, जिसमें संयोजक योजना आयोग में वित्तीय मामलों के एडवाइज़र डॉ॰ आर॰ श्रीधरन थे । वित्तीय क्षेत्र में व्यापक सुधार हेतु अन्य अनेक महत्वपूर्ण सुझावों के साथ समिति ने भारत में ब्याज मुक्त बैंकिंग (Interest Free Banking) को बड़े पैमाने पर अपनाने का सुझाव भी दिया ।

इस कमेटी में आर्थिक क्षेत्र के निम्नलिखित विशिष्ट व्यक्ति शामिल थे–

1. श्री रघुराम जी राजन, प्रोफ़ेसर ग्रेजुएट स्कूल ऑफ़ बिजनेस, शिकागो विश्वविद्यालय (अध्यक्ष)
2. सुमन बेरी, महानिदेशक, एन॰सी॰ए॰ई॰आर॰ ।
3. उदय कोटक, मुख्य अधिशाषी अधिकारी, कोटक

मारूफ़
शू पैलेस
जी॰ई॰ रोड, बस स्टैंड, बी॰एम॰वाई॰
चरौदा, दुर्ग (छत्तीसगढ़)
फ़ोन : 0788-6534786

मक़सूद भाई मोबाइल : 9406090786
एस॰के॰ इंटरप्राइजेज
होल सेल शू मर्चेन्ट
अलंकार कम्पलेक्स के निकट
कैम्प-2, भिलाई, (छत्तीसगढ़)
फ़ोन : 0788 6535786

महिन्द्रा बैंक ।

4. राजीव लाल, मुख्य अधिशाषी अधिकारी, आई॰डी॰एफ़॰ सी॰ ।
5. विजय महाजन, अध्यक्ष बेसिक्स ।
6. जिया मोदी, वरिष्ठ पार्टनर, ए॰जेड॰बी॰ पार्टनर्स ।
7. ओ॰पी॰ भट्ट, अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक ।
8. के॰वी॰ कामथ, प्रबंध निदेशक तथा सी॰ई॰ओ॰, आई॰सी॰ आई॰सी॰आई॰ बैंक ।
9. चित्रा रामकृष्णा, उपप्रबंध निदेशक, एन॰एस॰ई॰ ।
10. आर॰ रविमोहन, प्रबंध निदेशक तथा सी॰ई॰ओ॰, सी॰आर॰आई॰एस॰आई॰एल॰ ।
11. जे॰आर॰ वर्मा, प्रोफ़ेसर, आई॰आई॰एम॰, अहमदाबाद ।
12. आर॰ श्रीधरन, एडवाइज़र (एफ़॰आर॰) योजना आयोग (संयोजक)

समिति के समक्ष विचारार्थ विषय निम्न थे–

1. भारतीय अर्थव्यवस्था की आगामी दशक की वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु उभरती हुई चुनौतियों को चिन्हित (Identify) करना तथा वास्तविक सेक्टर (Real Sector) के सुधार की पहचान जो वित्तीय सेक्टर द्वारा उन आवश्यकताओं की पूर्ति सुगमता से कर सके ।

2. वित्तीय क्षेत्र के विभिन्न अंगों के कार्य प्रदर्शन की जांच करना तथा उन परिवर्तनों को चिन्हित करना जो वास्तविक सेक्टर की आवश्यकता की पूर्ति करे ।

3. विनियामक (Regulatory) तथा पर्यवेक्षी बुनियादी ढांचे के उन परिवर्तनों को चिन्हित करना जिससे वित्तीय सेक्टर की जोखिमों को कम रखते हुए बेहतर भूमिका निभा सके ।

4. अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के परिवर्तनों को चिन्हित करना जो वित्तीय सेक्टर के प्रभावपूर्ण संचालन में सहायक हों–जिसमें मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, विधि व्यवस्था तथा शैक्षिक व्यवस्था सम्मिलित है ।

टोरस इथिकल फंड

इस्लामी शरीअत के सिद्धांतों पर आधारित देश के सर्वप्रथम टोरस इथिकल फंड (Torus Ethical Fund) की स्थापना हुई है ।

इस फंड में ग़ैर-मुस्लिम पूंजीपतियों ने इतनी रुचि दिखायी है कि उनकी भागीदारी बढ़कर लगभग 70 प्रतिशत हो गयी है ।

टोरस स्टेट मैनेजमेंट कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जनाब वक़ार रिज़वी ने बताया कि वे इस फंड के प्रति बढ़ती अभिरुचि से बहुत प्रसन्न हैं ।

इसमें 70 प्रतिशत हिन्दू और ईसाई पूंजीपतियों ने ध न निवेश करके इस्लामी आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित इस फंड की उपयोगिता को सिद्ध कर दिया है ।

उन्होंने बताया कि यह फंड ब्याजरहित इस्लामी बैंकिंग प्रणाली पर आधारित है ।

Prop : Abid Hussain
09413037652
09413037669

Shop : Mujahid Hussain
09214747172

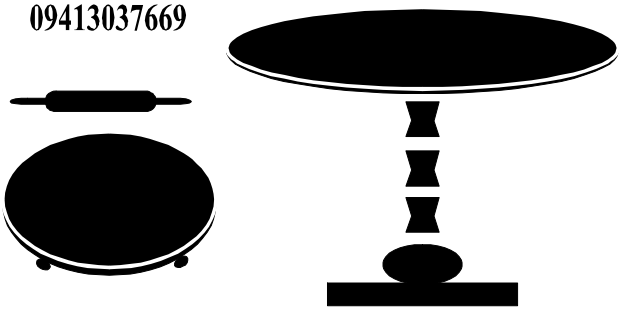

कान्ति मार्बल हैंडीक्राफ्ट

सभी प्रकार के वन पीस और ज्वाइंट पीस चकलों के निर्माता व थोक विक्रेता, मार्बल के फव्वारे तथा टेबल, टेलीफ़ोन स्टेंड, नोजल लैंप, गमले, घड़ी व फैंसी आइटम

Shop : Hotel Moti Mahal, Manglana Road, Makrana-341505
Fact : Bypass Mor, Opp : Sai Kirpa Petrol Pump, Makrana Road, Borawad (Raj.)

इंडियन सेन्टर फॉर इस्लामिक फ़ाइनांस (ICIF)



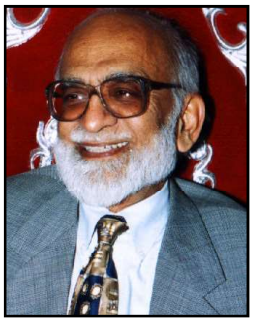

इंडियन सेन्टर फॉर इस्लामिक फ़ाइनांस (ICIF) एक राष्ट्रव्यापी ट्रस्ट है । इस ट्रस्ट के 17 ट्रस्टी हैं, जिनमें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के अर्थशास्त्री, रिज़र्व बैंक के पूर्व एक्सपर्ट्स और इस काम में रुचि रखने वाली महत्वपूर्ण शख़्सियतें शामिल हैं । इसके अध्यक्ष डॉ॰ फ़ज़लुर्रहमान फ़रीदी और जनरल सेक्रेट्री एच॰ अब्दुर्रक़ीब, ख़जांची रफ़ीक़ अहमद साहब हैं । अन्य शख़्सियतों में डॉ॰ निजातुल्लाह सिद्दीक़ी, डॉ॰ औसाफ़ अहमद, डॉ॰ रहमतुल्लाह, डॉ॰ वक़ार अनवर और डॉ॰ शारिक़ निसार शामिल हैं ।



आई॰सी॰आई॰एफ॰ के प्रभारी जनाब अब्दुर्रक़ीब वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी के साथ ।

ICIF का सबसे महत्वपूर्ण कार्य इस्लामी अर्थव्यवस्था व बैंकारी को वर्तमान पारंपरिक व्यवस्था के विकल्प के रूप में पेश करना है । इसने जो अहम काम अंजाम दिये हैं उनमें से कुछ उल्लेखनीय बातें नीचे दी जा रही हैं–

(1) लोगों को जागरूक बनाने के उद्देश्य से इस विषय पर देश के महत्वपूर्ण पत्र-पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित हुए हैं और सेमीनार एवं विशेष जनसभाओं का आयोजन भी देश के विभिन्न इलाक़ों में किया गया है ।

(2) ''इक्कीसवीं शताब्दी में इस्लामी बैंकिंग–सेक्युलर एवं औद्योगिक देशों में'' नाम का एक दस्तावेज़ तैयार करके रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (आर॰बी॰आई॰) और वित्त मंत्री को पेश किया गया ।

(3) इस्लामी बैंकिंग के बारे में आर॰बी॰आई॰ से आनंद सिंहा वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट आर॰टी॰आई॰ के ज़रिया हासिल करके उसे देश और विदेश की अहम शख़्सियतों तक पहुंचाया और उसकी रोशनी में इस्लामी बैंकिंग के लिए मार्ग प्रशस्त किया ।

(4) प्लानिंग कमीशन के डॉ॰ रघुराम राजन की आगामी वर्षों में आर्थिक सुधार कमेटी से संपर्क और विचार-विमर्श करके सूदरहित बैंकिंग को इस देश की ज़रूरत की हैसियत से पेश किया और उसका नामांकन कराया ।

(5) आर॰बी॰आई॰ के डिप्टी गवर्नर मिस्टर चक्रवर्ती से मुलाक़ात करके महत्वपूर्ण दस्तावेज़ उपलब्ध कराये ।

(6) वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी से मुलाक़ात करके ब्याजरहित इस्लामी बैंकिंग के लिए क़ानून में मुनासिब संशोधन के लिए मेमोरेंडम पेश किया ।

(7) सांसदों के ज़रिया ब्याजरहित इस्लामी बैंकिंग के लिए एक मसौदा बैंकिंग से संबंधित क़ानून में संशोधन के लिए तैयार करवा कर दिया गया ।

(8) शरीअत के स्कॉलर्स और इस्लामी बैंकिंग के एक्सपर्ट्स की तैयारी के लिए अहम शख़्सियतों एवं संस्थाओं से सहयोग लिया गया और इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले छात्रों एवं नवजवानों की रहनुमाई की गयी ।

यह एक सच्चाई है कि ICIF ने इस्लामी बैंकिंग की ज़रूरत और अफ़ादियत को हर आम व ख़ास तक पहुंचाने की सफल कोशिश की है जिस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं ।

● **संपादन प्रभाग**

वैकल्पिक बैंकिंग प्रणाली

''भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान बैंकिंग नियम किसी वैधानिक बैंक के लिए शरीअत के नियमों के अनुपालन में कठिनाइयां उत्पन्न करते हैं ।''

जुलियां टर्नर

पार्टनर, रीड स्मिथ

''विद्युत और ऊर्जा के क्षेत्र ठीक वैसे ही ऐसेट पर आधारित क्षेत्र हैं, जिसके लिए इस्लामी वित्त का उपयोग पूरी तरह उपयुक्त है ।''

नदीम ख़ान

पार्टनर, हर्बर्ट स्मिथ

''इस्लामी वित्त कुछ समय तक परियोजन वित्त का चैम्पियन रहा है ।''

एस॰ नाज़िम अली

इस्लामिक फाइनांस प्रोजेक्ट,
हार्वर्ड लॉ स्कूल

''भारत और खाड़ी (के देशों) के बीच एक नज़दीकी ऐतिहासिक गठजोड़ रहा है, जिसका लाभ उठाना भारतीय कंपनियां और भारतीय सरकार चाहती है ।''



अमजद हुसैन

अध्यक्ष, बैंकिंग और इस्लामी वित्त (मध्य-पूर्व)
इवरशेड्स

''भारत में इस्लामी रिटेल बैंकिंग की व्यापक क्षमता है, क्योंकि इस देश में इंडोनेशिया के बाद दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है ।''

प्रोफ़ेसर रोडनी विल्सन

डरहम यूनीवर्सिटी

''अगर आप कोई ऐसी चीज़ पाएं जिसकी ख़ूब बिक्री हो रही हो और फिर आप उसे शरीअत के अनुरूप बनाना चाहें तो यह एक आसान रास्ता होगा ।''

राज मैदेन

सी॰ई॰ओ॰, फाइव मिलर एसोसिएट्स

मध्य-पूर्व में एवरशेड्स के बैंकिंग और इस्लामिक डिवीज़न के मुखिया अमजद हुसैन कहते हैं, ''शरिआ के कई क़ानून नैतिक मापदंडों पर आधारित हैं इसलिए मुझे इस तरह के आंकड़ों पर कोई हैरानी नहीं है ।''

दुबई स्थित फर्म प्रोसिडियम के सीनियर पार्टनर हरि भांबरा कहते हैं, ''वर्तमान में बाज़ार में जिस तरह की अनिश्चितता का माहौल है और वित्तीय संकट की स्थिति है इसमें इस्लामिक वित्तीय-उत्पाद परंपरागत उत्पादों के मुक़ाबले ज़्यादा विश्वसनीय दिखते हैं । मसलन शरिआ के वित्तीय-उत्पाद वास्तविक लेन-देन और संपत्ति पर आधारित होते हैं न कि फाइनेंशियल इंजीनियरिंग वाले प्रॉडक्ट्स की नक़ल का नतीजा होते हैं ।''

लेकिन इन उत्पादों में निरंतरता के बावजूद हुसैन मानते हैं कि भारतीय बाज़ारों में इस्लामिक वित्त उत्पादों का अभाव है । वे कहते हैं, ''इसका मतलब यह है कि भारतीय बाज़ारों में संभावनाओं का दोहन किया जाना अभी बाक़ी है ।''

डरहम विश्वविद्यालय में इस्लामिक-वित्त के प्रोफ़ेसर रोडनी विल्सन कहते हैं, ''फ़िलहाल सीमित अवसर उपलब्ध हैं इसमें भी क्रेडिट यूनियन सबसे सामान्य क़िस्म की सुविधा है । हालांकि भारत जैसे विशाल आकार वाले देश को देखते हुए और जिस तेज़ी से वित्तीय उत्पादों में जटिलता बढ़ती जा रही है, यहां इस्लामिक निवेश बैंकिंग, सुकुक सिक्योरिटीज और शरिआ का अनुपालन करने वाले फंड्स की बेहतर संभावनाएं हैं । सुकुक सिक्योरिटीज सूदरहित बांड्स की तरह होते हैं ।''

मैदेन फ़िलहाल उपलब्ध म्यूचुअल और एग्री-फंड्स के अलावा इस्लामिक स्ट्रक्चर्ड प्रॉडक्ट और प्राइवेट इक्विटी फंड के विस्तार पर ज़ोर देते हैं । अबूधाबी स्थित रीड स्मिथ फर्म में हिस्सेदार जुलियन टर्नर का मानना है कि इस्लामिक वित्तीय प्रणाली में व्यापक विकल्प नहीं है । इसलिए यह निश्चित है कि आने वाले समय में हालात बदलेंगे ।

● **संपादन प्रभाग**

लॉटरी : आधुनिक इस्लामी दृष्टिकोण

● **संपादन प्रभाग**

जुआरी और शराबी राजस्व में कुछ भी वृद्धि नहीं करते । वे इस बात का दावा कर सकते हैं कि जुए के ज़रिये एक प्रकार की प्रफुल्लता एवं मादकता हासिल होती है, जो न सिर्फ़ वैध है, बल्कि लाभप्रद भी, जब तक कि कोई व्यक्ति शर्त पर लगायी हुई धनराशि का घाटा बर्दाश्त करने के लिए अपने भीतर आमादगी पाता है । लेकिन–

(i) यह बहस अमीर और ग़रीब के मध्य एक बड़े अंतर की निशानदेही करती है । जो बात एक अमीर के लिए वांछनीय है वह एक ग़रीब के लिए पूर्णरूपेण अवांछनीय है ।

(ii) इस तर्क से स्पष्ट है कि जुए की ख़राबी दांव पर लगायी गयी रक़म के बर्बाद हो जाने में है और इसका वांछनीय होना एक व्यक्ति के जीत जाने पर है, क्योंकि उसके भीतर जीतने के लिए आमादगी पायी जाती है । लेकिन यह अवांछनीय है अगर एक व्यक्ति हार जाता है, क्योंकि उसके भीतर हानि बर्दाश्त करने के लिए आमादगी बिल्कुल नहीं पायी जाती । किसी भी दलील को, जो मस्लेहत की बुनियाद पर पेश की जाए, स्वार्थपरता को उभारना ही कहा जा सकता है । फिर स्वार्थपरता की भावनाएं उभार कर यह कैसे आशा की जा सकती है कि स्वार्थपरता को ख़त्म किया जा सकेगा ।

(iii) अगरचे समाज को बुराई की तरफ़ प्रेरित करने वाली अन्य चीज़ें भी होती हैं, लेकिन यह स्वयं में एक असामाजिक कार्य है जैसा कि हरबर्ट स्पेंसर कहता है–

'यह एक ऐसा कार्य है जिसमें ख़ुशी दूसरे को दुख पहुंचाकर हासिल होती है । जीतने वाले का ख़ुशी हारने वाले के दुख के बदले में हासिल होती है । इसलिए इस तरह के कृत्य अवश्य ही असामाजिक हैं । इन कृत्यों से हमदर्दी रखना स्वार्थपरता को पोषित करने के समान है, जिसके नतीजे में आम नैतिक बिगाड़ पैदा हो जाता है । यह एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसे अति वहशियाना कहना चाहिए । सद्भाव और भाईचारे के माहौल में जुए का कोई भी रूप विद्यमान नहीं हो सकता ।'

'संयोग (Chance) पर मामला करने के लिए भावनाओं को भड़काना इन्सान की उत्कृष्ट क्षमताओं जैसे बुद्धि, विवेक, ज़हानत, इन्साफ़पसन्दी और एहसासे ज़िम्मेदारी को निरस्त करने के समानार्थी है । एक आदी जुआरी में ये उच्च गुण, इस्तेमाल न होने की वजह से बहुत दुर्बल हो जाते हैं और उसकी ज़िन्दगी मेहनत-मशक़्क़त से ख़ाली हो जाती है । वह आलस्य की शराब में मदहोश रहता है । उसका किरदार तबाह हो जाता है ।'

'जुआ दरअस्ल बिना मुआवज़ा धन अर्जित करने की एक तरकीब है जो समानता के क़ानून के प्रतिरोधी है ।

Niyaz Ahmed

Tel. : 2292062 (S)
M. : 98261-29877

STAR

Hosiery Centre

Wholesaler

Readymade & Handloom

B/43 Uttar Gangotri, Supela, Bhilai, Durg (C.G)

यह एक प्रकार की डकैती है जो आपसी रज़ामंदी के ज़रिये की जाती है । बहरहाल इसमें संदेह नहीं कि यह डकैती ही है । जिस तरह (Dueiling) जो आपसी रज़ामंदी के ज़रिये हत्या की एक शक्ल है, हत्या ही की परिभाषा में आती है । जुआ हिर्स और लालच का कारण है और यह इन्सान को सुस्ती और काहिली का आदी बना देता है ।'

(इंसाइक्लोपीडिया ऑफ़ रिलीज़न एंड एथिक्स, लेखक : जेम्स हटींग, न्यूयार्क, जिल्द 6, पेज 166)

कमज़ोर तर्क

पश्चिमी देशों में लॉटरी का जो अंजाम हुआ है, उससे हमारे देश को सबक़ सीखना चाहिए था । लेकिन हमारे देश के राज्य सबक़ सीखने के बजाय इन अनुभवों को दोहरा रहे हैं । इसलिए इसके कटु अनुभवों का सामना समाज को करना पड़ रहा है ।

राज्य लॉटरी के और शराब के ठेकों को लाइसेंस देने के औचित्य में सबसे बड़ी दलील यह पेश की जाती है कि इससे राज्य की आय में वृद्धि होती है और राज्य की विकास योजनाओं के लिए पूंजी उपलब्ध होती है, जबकि अन्य स्रोतों से अधिक आय प्राप्त की जा सकती है ।

दिमाग़ीन®
ब्रेन टॉनिक

- दिमाग़ीन हर आयु के मानसिक एवं शारीरिक रूप से व्यस्त लोगों के लिए लाभप्रद है।
- दिमाग़ीन एक पोषक एवं औषधीय गुणों से परिपूर्ण फल आँवला (मुख्य घटक) द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें विटामिन 'सी' सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है तथा इसमें कैल्शियम एवं आयरन भी पाया जाता है।
- दिमाग़ीन एकाग्रता बढ़ाता है साथ ही थकान कम करता है।
- दिमाग़ीन मुंह की दुर्गंध दूर करता है तथा पाचन को सुधारता है।
- दिमाग़ीन एक अत्यंत स्वादिष्ट, स्फूर्तिदायक एवं शक्ति से भरपूर यूनानी औषधि है।



दवाख़ाना तिब्बिया कालिज
मुस्लिम यूनीवर्सिटी, अलीगढ़

Shaikh Mohd. Iqbal
Mobile : 9820085263

Tel. : 2503 1593

BHARAT OXYGEN CORPORATION

Dealers in : Industrial Gases & Mixture Gases, Medical & Surgical Equipments

Shop. No. 6, 168, L.B.S. Marg, Next to Kalpana Cinema, Kurla (W), Mumbai-400070

E-mail : Iqbal_shaikh123@yahoo.com

पूर्व सांसद श्रीकृष्ण कांत ने राज्यसभा में लॉटरी के ख़ात्मे की मांग करते हुए कहा–

'लॉटरी में 80 से 90 प्रतिशत हिस्सा लेने वाले ग़रीब और पिछड़े वर्गों के लोग होते हैं, जिनका ये लॉटरियां शोषण करती हैं । लॉटरियों के ज़रिये जो आमदनी होती है उसका बड़ा हिस्सा कमीशन और अन्य इन्तिज़ामी ख़र्चों में व्यय हो जाता है । इस तरह जन-साधारण के त्याग का तात्कालिक लाभ राज्य को प्राप्त नहीं होता ।'

दूसरे यह कि किसी चीज़ का वित्तीय दृष्टिकोण से लाभप्रद होना उसके सही होने और नैतिक रूप से वैध करने का तर्क नहीं बन सकता है और न इस तरह के तर्कों से जुए के लाइसेंसों का जारी करना जायज़ क़रार दिया जा सकता है–और 'सरकारी व्यभिचार' के अड्डे भी क़ायम किये जा सकते हैं । क्योंकि इससे भी तो राज्य की आमदनी में इज़ाफ़ा ही होगा तथा विकास योजनाओं की प्रगति के साधन बनेंगे ।

राज्य लॉटरी के औचित्य में एक बात यह भी पेश की जाती है कि लोग जुए, सट्टे के आदी हो चुके हैं । विशेष रूप से मटका नामक जुआ महाराष्ट्र में बहुत प्रगति कर रहा है । इसलिए राज्य लॉटरी के प्रचलन से यह ख़त्म हो जाएगा । इसका मतलब यह है कि मूर्खता का जवाब महामूर्खता से दिया जाए । लॉटरी के ज़रिये जुए का ख़ात्मा तो क्या होगा, हां जुआख़ोरी की मानसिकता सुदृढ़ ज़रूर होगी और सट्टेबाज़ी को बढ़ावा मिलेगा । वस्तुस्थिति कुछ ऐसी ही बनती जा रही है ।

'महाराष्ट्र सरकार ने अप्रैल 1969 से लॉटरी शुरू की ताकि 'मटके' का ख़ात्मा किया जा सके । लेकिन एक साल के बाद उसे स्वीकारना पड़ा कि लॉटरी का कोई असर मटके पर नहीं पड़ा, अलबत्ता राज्य लॉटरी को ही बढ़ावा मिला ।'

(टाइम्स ऑफ़ इंडिया,
1 जून 1970)

सवाल यह है कि अगर लॉटरी स्पष्ट रूप से जुए ही का एक रूप है, सरकार के लिए वैध है तो सट्टा और मटका जो जुए ही की अन्य शक्लें हैं, जनसाधारण के लिए क्यों अवैध घोषित की जाएं ? अगर जुआ बुरी चीज़ है तो सरकार के लिए भी बुरी होनी चाहिए और अगर अच्छी चीज़ है तो अवाम के लिए इसके जुर्म मानने का क्या अर्थ है ? जो लोग जुए और सट्टे का कारोबार करते हैं, वे ऐसी सूरत में सरकार की पकड़ पर उसे ही आरोपित कर सकते हैं ।

सरकार का कार्य दरअस्ल लोगों को नैतिक पतन से रोकना और बचाना है लेकिन अफ़सोस कि आम तौर पर सरकारें नैतिक बिगाड़ का कारण बनती है और संसाधनों को बुराइयों के प्रचार-प्रसार में लगा देती हैं । इसी के ये कड़वे-कसैले फल हैं जो आमतौर पर समाज को चखना पड़ रहा है । मशहूर राजनीतिज्ञ श्रीराम गोपालाचारी कहते हैं–

'जब लाखों इन्सानों को राज्य लॉटरी में इनाम नहीं मिलता तो उनमें से बहुत से लोग जो इनाम पाने की आशा बांधते थे, निराश व नाउम्मीद हो जाते हैं और बग़ैर मेहनत के धन अर्जित करने के अन्य तरीक़ों की तरफ़ मायल

Jamaat-e-Islami Social Service Society (Regd), Gaya

The Society is in service in the field of education, health and Islamic understanding for the last 34 years. Our resources are limited, our task is tremendous. We seek your co-operation in the following activities:-

I. IQRA PUBLIC SCHOOL : Besides 800 paying students, about 150 poor or orphan girls & boys are provided free education upto Matriculation with Islamic Carriculam.

2. MILLAT HOSPITAL : Every year about 15000 poor & needy patients are provided with free medical treatment & medicine besides other services.

3. INTEREST-FREE SOCIETY : Provides short-term loan without interest to needy people.

4. ISLAMIC INFORMATION CENTRE : Established at Bodh-Gaya, where lakhs of foreigners visit every year during Nov - March. The Centre provides reading materials on Islam, distributes Islamic literature and invites interested visitors for discussion besides inter-faith dialogue on regular basis.

Kindly send your cheque/draft in favour of the Society

(Q. Hoda) Chairman — *(Prof. M. B. Zaman)* Secretary

JISSS, Millat Campus, Leitch Road, Gaya-823001

हो जाते हैं और इस रुझान के नतीजे में धोखाधड़ी एवं अन्य पापाचार की मानसिकता पनपने लगती है । विभिन्न राज्य सरकारें स्टेट लॉटरी शुरू करके आग से खेल रही हैं और लाखों इन्सानों को इन फ़रेब भरे खेल में शरीक कर रही हैं ।' (स्वराज्य, 28 जुलाई 1969)

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) का कथन है–

'वह जिस्म जन्नत में दाख़िल न होगा जो हराम से पला हो ।' (मिश्कात)

'वह गोश्त जन्नत में दाख़िल न होगा, जिसने हराम से विकास किया हो, और हर वह गोश्त जिसने हराम से विकास किया हो, जहन्नम ही के लायक़ है ।' (मिश्कात)

आप (सल्ल०) ने यह भी फ़रमाया–

'लोगों पर एक ज़माना ऐसा आएगा कि आदमी को इस बात की परवाह न होगी कि उसने किस तरीक़े से माल हासिल किया, हलाल तरीक़े से या हराम तरीक़े से ।' (बुख़ारी)

लॉटरी के टिकटों का ख़रीदना और इनाम हासिल करना ही नाजायज़ नहीं है, बल्कि इस कारोबार में किसी तरह की भी शिरकत व सहयोग चाहे वह टिकट ख़रीदने के रूप में हो या उसके एजेंट बनने और लोगों को उसकी प्रेरणा देने के रूप में–हर रूप में नाजायज़ है । क्योंकि इस्लाम गुनाह के कामों में भागीदारी एवं सहयोग को भी गुनाह मानता है । अत: शराब के सिलसिले में हर क़िस्म के सहयोग को हराम घोषित किया गया है ।

हदीस में आता है– 'शराब पर दस हालतों में लानत की गयी है । ख़ुद शराब पर, उसके निचोड़ने वाले पर, उसके नुचड़वाने वाले पर, बेचने वाले पर, ख़रीदने वाले पर, उसके उठाने वाले पर, जिसके लिए उठाकर ले जायी जाए उस पर, उसकी क़ीमत खा जाने वाले पर, पीने वाले पर और पिलाने वाले पर–ग़रज़ इन सब पर लानत कर दी गयी है ।' (इब्ने माजा)

अर्थात लॉटरी स्पष्ट रूप से जुआ है । राज्य लॉटरी की पूरी व्यवस्था इसकी परिधि में आती है । इसके कुकृत्य और गुनाह होने में किसी संदेह की गुंजाइश नहीं है । इसके कारोबार में किसी तरह का सहयोग और साझीदारी भी जायज़ नहीं है । लेकिन इस बुराई से वे लोग कैसे अपने को बचा सकते हैं जिनके दिल ख़ुदा और आख़िरत के भय से ख़ाली हों, और जो हलाल व हराम का विभेद किये बग़ैर दौलत हासिल करना चाहते हों ?

अफ़सोस कि मुसलमान जिनका फ़र्ज़े मंसबी ही भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना है, उनमें से कुछ लोग इस बुराई में लिप्त हैं ।



SHATABDI FOUNDATION, GAYA

- Started Shatabdi Public School in 200 I with primary classes, has now developed into a 10+2 CBSE affiliated educational institution with quality education in modern subjects with moral orientation.
- Presently there are around 1000 students who are provided modern teaching facilities. The Foundation also adopts poor/ orphan students
- Under Upwardbound .scheme, another project has been launched for preparation of +2 students to compete in Entrance Test for Engineering, Medical and other professional & technical courses.
- Our immediate needs are Construction of Prayer Hall & Purchase one more school bus, Purchase of 30 Computers.

Ahle Khair Hazrat are Requested to Donate.

Kindly send your cheque/draft in favour of "Shatabdi Foundation, Gaya".

(ProfZ.H.Khan) Chairman

(Prof M. B. Zaman) Secretary

Shatabdi Public School, Katari Hill Road, Gaya-823001 (Bihar) INDIA

ब्रिटेन में इस्लामी वित्त प्रशिक्षण

पूरे ब्रिटेन में इन दिनों छात्र-छात्राएं इस्लामी फाइनेंस में खोले गये डिप्लोमा और डिग्री कोर्सों में बढ़-चढ़कर दाख़िला ले रहे हैं । उन्हें इस विषय में अधिक स्कोप नज़र आ रहा है, क्योंकि कई बड़े यूरोपीय देशों में इस्लामी बैंकिंग लोकप्रिय हो रही है ।

ताज़ा आंकड़ों के अनुसार विश्व के बैंकिंग उद्योग में इस्लामी बैंकिंग का हिस्सा बढ़कर 15 से 20 प्रतिशत हो गया है । ब्रिटेन में 2006 ई॰ से लेबनानी बिज़नेस स्कूल और Security and Investment Institute के संयुक्त प्रयास से ऐसे कोर्स चलाये जा रहे हैं ।

ब्रिटेन के राजकोषीय पत्रक में कहा गया है कि लंदन अन्तर्राष्ट्रीय इस्लामी वित्त व्यवस्था के लिए यूरोप का गेटवे बनने जा रहा है ।

❖❖

इस्लामी बैंकिंग पर पाठ्यक्रम

लंदन स्थित IIBI इस्लामी बैंकिंग और इंशोरेंस (बीमा) में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स संचालित करता है । इसके साथ ही बहरैन स्थित एकाउंटिंग एंड अडिटिंग आर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक फाइनांसियल इंस्टीट्यूशन (AAOFIFI) के सहयोग से सर्टिफाइड इस्लामिक प्रोफेशनल एकाउंटेंट (CIPA) पाठ्यक्रम संचालित करता है ।

❖❖

फ्रांस में इस्लामी बांड

फ्रांस सरकार ने इस्लामी अर्थव्यवस्था के फ़ायदों को देखते हुए इस्लामी बांड (सुकूक) जारी किये हैं और इस स्कीम के क्रियान्वयन से उसे अपनी आर्थिक



स्थिति सुधारने में मदद मिलने की काफ़ी संभावना दिखती है ।

❖❖

ब्याज का निषेध

'क़ुरआन' में सूरह बक़रा की 275वीं व 276वीं आयत में ब्याज को हराम बताया गया है । ''मनुस्मृति (3:64) में कहा गया है–''ब्याज का व्यवहार करने वाले का कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाता है । मनुस्मृति (4:22) में आता है–''बिष्ठा वार्धुषिकस्यान्नं'' अर्थात 'सूदख़ोर का अन्न बिष्ठा के समान है ।'

मुद्रक एवं प्रकाशक ख़लील अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि॰), D-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली- 110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट, गली क़ासिम जान, बल्लीमारान, दिल्ली–6 से मुद्रित ।
फोन: 011-26949430
संपादक : डॉ॰ मुहम्मद अहमद

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है ।

NEW EMPRESS MILLS
1st Phase Industrial Area BALOTRA-344022 (Raj.)
Visit us. www.Empress. com. E-mail : empresspoplin@hotmail.com
(M) SAYED PARWAN ALI 09214408133
LILLY लिली गोल्ड GOLD
Superior Nighty
KAJAL काजल गोल्ड GOLD
MFG. OF : HIGHCLASS STANDARD POPLIN & NIGHTY PRINTS

ECHO OF SALAAM CENTRE IN RAJ BHAVAN



A delegation of Representatives of minorities met Honourable Governor of Karnataka Mr. Hans Raj Bhardwaj on Nov. 18. The delegation discussed the law and order situation in Karnataka and the incidents affecting minorities.

On the ocassion, Mr. Syed Hamid Mohsin, Chairman Salaam Centre presented a translation and commentry of Holy Quran titled **"Pondering Over Quran".** The said commentry is translation of *Taddabur-e-Quran* by Moulana Ameen Ahsan Islahi. After presenting the Quran to Honourable Governor of Karnataka Mr. Bhardwaj, Mr. Mohsin invited Honourable Governor to Salaam Centre. Retd. Chief Justice Saldhana, Mr. B. Chandrashekhar, Former Education Minister and Moulana Riayaz-ur-Rahman were also present.



SALAAM Centre Head Quarters

SALAAM Centre



SALAAM Centre Branch

Head Quarters: # 65, 1st Main Road, S.R.K. Garden, Jayanagar East, Bangalore - 41
Branch: G.C., RICH HOMES, RICHMOND ROAD, Bangalore - 25
Cell: 99451 88488, Tel.:26655786, 26639007
Email: salaamcentrebangalore@gmail.com **www.salaamcentre.org**

Posted on 20-21 December 2009
January 2010
E-mail: kantidelhi@rediffmail.com
Publishing Date: 18.12.2009

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका
कान्ति

RNI 53372/91
DL(S)-01/3147/2009-2011
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U (SE)-73/2009-11



Opening Vistas of Islamic Finance
TASIS

आज इस्लामी वित्त एक ट्रिलियन डॉलर से भी बड़ा उद्योग है और यह अन्तर्राष्ट्रीय वित्त के सबसे तेज़ी से विकसित हो रहे क्षेत्रों में से एक है। वर्तमान समय में दुनिया के 75 से अधिक देशों में इस्लामी बैंकिंग और वित्त प्रणाली प्रचलित है, जिसमें यूरोप, उत्तर अमेरिका और दक्षिण-पूर्व एशिया के कई सेकुलर देश शामिल हैं। भारत सरकार भी देश में इस्लामी वित्तीय प्रणाली को अनुमति देने के लिए कई विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रही है। भारत के प्राइवेट सेक्टर ने इस अवसर का लाभ उठाने के लिए रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। कुछ वित्तीय संस्थाओं जैसे HSBC, Benchmark, TATAS, Taurus UTI, Kotak, Reliance, Bajaj Allianz ने शरीअत पर आधारित कुछ उत्पाद उपलब्ध भी कराये हैं। भारत में बहुत तेज़ी से लोकप्रियता प्राप्त करते हुए इस उद्योग को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी भरोसेमन्द और स्वतंत्र संस्था की स्थापना करना आवश्यक था, जो इन्हें परामर्श दे सके, इनकी निगरानी कर सके और बाज़ार में शरीअत के नाम से प्रस्तुत उत्पादों को प्रमाणित कर सके। TASIS वित्त के क्षेत्र में भारत की अग्रणी शरीआ परामर्शदात्री संस्था है, जिसका लक्ष्य है शरीअत पर आधारित विभिन्न उत्पादों के बारे में निवेशकों को परामर्श देकर उनकी विश्वसनीयता बताना। TASIS को इस पर गर्व है कि उसके साथ भारत के कुछ बहुत अच्छे इस्लामी वित्तीय प्रणाली के विशेषज्ञ और इस्लामी स्कॉलर्स जुड़े हुए हैं।

TASIS का शरीआ बोर्ड :
1. मुफ़्ती बरकतुल्लाह अब्दुल क़ादिर (क़ासिमी)
2. मुफ़्ती ख़ालिद सैफ़ुल्लाह रहमानी
3. डॉ. इक़बाल मसऊद नदवी

TASIS के ग्राहक :
1. GIC ऑफ़ इंडिया
2. बजाज अलियांज़
3. सेक्यूरा इंवेस्टमेंट मैनेजमेंट, केरला

तक़वा एडवाइज़री एंड शरीआ इन्वेस्टमेंट सोल्यूशंस (TASIS) प्रा.लि.

कारपोरेट ऑफ़िस : नं. 5, नातालवाला बिल्डिंग, 110, एस.वी.एस. रोड, माहिम, मुंबई-400016 (महाराष्ट्र)
फ़ोन : 91-22-24454610

ब्रांच ऑफ़िस : नं. 23, वूड स्ट्रीट, द्वितीय तल, बंगलोर-560025 (कर्नाटक)
फ़ोन : +91-80-25360177
www.tasis.in